राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ६] द्वितीय विधान सभा के छठे सत्र का उन्नीसवां दिवस [संख्या १४

दिनांक २६ अगस्त, १६५६

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बजकर ११ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में आरम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[राजस्व, समाज कल्याण, स्वायत्त शासन, वित्त, स्वास्थ्य, आबकारी, पुनर्स्थापन, श्रम, खाद्य एवं रसद तथा मुद्रण एवं लेखन-सामग्री— विभाग]

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न । रावराजा श्री सरदारसिंह ।

जिला टोंक के पटवारियों और गिरदावरों के स्थानान्तरण

४५४. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) टोंक डिस्ट्रिक्ट में तहसीलवाइज ऐसे कितने कितने पटवारी तथा गिरदावर हैं जिनके क्रमश: गत १०, ५ और ३ साल से ट्रान्सफर नहीं हुए हैं ?

(ख) क्या उपरोक्त डिस्ट्रिक्ट में ऐसे पटवारी व गिरदावर हैं जिनके तबादले १ साल और ६ महीने में भी हुए हैं ?

(ग) क्या उपरोक्त तबादलों के लिए कोई नियम व अवधि निर्धारित हैं ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री सम्पतराम) : (क) इसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) इसकी सूचि भी सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ग) ये तबादले प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किए जाते है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह जो सूची आपने बख्शी है इसमें तीन साल में तबादले टोंक में १६ पटवारियों के और १ गिरदावर का, अलीगढ़ के अन्दर ८ पटवारियों के और १ गिरदावर का, मालपुरा में १ पटवारी का, तो क्या इससे मैं यह समझूं कि वहां पर ५ साल में किसी भी गिरदावर का और १० साल में किसी भी पटवारी का तबादला नहीं हुआ और ३ साल में अलीगढ़ में, टोंक में १६, निवाई में २२ हुए हैं तो इनका ट्रान्सफर किन आधारों पर किया गया है ? क्या इनके खिलाफ कोई शिकायत थी या इनके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार की शिकायत थी ?

Page No.2

श्री सम्पतराम : आधारों के बारे में तो मैं पहले अर्ज कर चुका हूं। अगर आप किसी स्पेसिफिक पटवारी के बारे में पूछें तो बताया जा सकता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह दूसरी सूची है इसमें १ साल के अन्दर टोंक के अन्दर पटवारियों के १०, अलीगढ़ में १४ और दूसरी जगह कोई एक एक के हुए हैं तो मैं यह कहता हूं कि इतने तबादले एक साल के अन्दर किस बिना के ऊपर किये गये पटवारियों के ?

श्री सम्पतराम : आपके प्रश्न के (ग) भाग में मैंने इसका उत्तर दे दिया है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : एक साल के अन्दर २२,२२ पटवारियों के तबादले हो जाते हैं और शायद एक तहसील में १०-१२ पटवारी रहते हैं। सियाले की फसल और उन्हाले की फसल पर दूसरे दूसरे आ जाते हैं तो इससे काश्तकार परेशान होते हैं क्योंकि कागजातों को पूरा नहीं कर पाते हैं। मैं कहता हूं कि कौन सी प्रशासनिक दिक्कतों से यह तबादले किए गये ?

श्री सम्पतराम : अगर माननीय सदस्य किसी व्यक्ति विशेष के बारे में पूछें तो जानकारी करके बताया जा सकता है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : प्रशासनिक कारणों में क्या क्या बातें आती हैं उनका जरा सूक्ष्म विवेचन कर दिया जाये।

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : प्रशासनिक कारणों में एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउन्डस जितने भी आते हैं वे हैं। कहीं पर रखना मुनासिब नहीं है तो उसके ग्राउन्डस हो सकते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह भी प्रशासनिक कारण है कि टोडा से मानकराम का तबादला उनियारा हुआ फिर वापिस निवाई वाले को उनियारा भेज दिया और उनियारा वाले को वापिस टोडा भेज दिया ? इसमें क्या प्रशासनिक कारण आ गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपको क्या बताया जाये ? आपको किसी खास केस में दिलचस्पी है तो फिर वह बताइये।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : दिलचस्पी की बात नहीं, सिर्फ सिद्धांत की बात है।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य जिस केस में इन्टरेस्टेड हों उसको बता सकते हैं।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : प्रशासनिक कारणों के अलावा दूसरे कारण भी तबादले के हो सकते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, दूसरे कारण भी हो सकते हैं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि एक पटवारी और गिरदावर एक जगह कितने साल तक रह सकता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आम तौर पर तबादले कम किये जाते हैं अगर कोई एक जगह ज्यादा रहे तो लैण्ड रेकार्ड ठीक तरह से नहीं रह सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयचन्द्र मोहिल।

समाज कल्याण सलाहकार परिषद्

४५५. श्री जयचन्द्र मोहिल (कपासिन-सु.) : क्या समाज कल्याण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या प्रान्तीय स्तर पर सरकार ने समाज कल्याण सलाहकार परिषद् या अन्य किसी नाम से किसी संस्था का निर्माण किया है जिसमें सरकारी और गैरसरकारी सदस्य हैं ?

(२) इन सदस्यों की कुल संख्या क्या है और इसका अध्यक्ष कौन है ? सदस्यों के नाम की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(३) उक्त संस्था की निर्माण से लेकर अब तक कुल कितनी बैठकें हुई ?

(४) क्या इन बैठकों में शरीक होने वाले सदस्यों और अध्यक्ष को टी. ए., डी. ए. दिया जाता है ? यदि हां, तो किस हिसाब से, किस विभाग से और आज तक इस प्रकार की टी॰ ए॰, डी॰ ए॰ की दी जाने वाली रकम की कुल कितनी संख्या हो चुकी है ?

उप-मंत्री, समाज कल्याण (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां, राज्य सरकार ने समाज कल्याण कार्यों के सम्बन्ध में सलाह देने के लिए राज्य स्तर पर (१) अनुसूचित जन जाति मंत्रणा परिषद (२) अनुसूचित जन जाति कल्याण बोर्ड (३) अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड का निर्माण किया है । इसमें सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों प्रकार के सदस्य हैं ।

(२) प्रत्येक परिषद के सदस्यों व अध्यक्ष के नाम की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(३) निर्माण से लेकर अब तक अनुसूचित जन जाति मंत्रणा परिषद, अनुसूचित जन जाति कल्याण बोर्ड व अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड की क्रमशः ११,१ व २ बैठकें हुईं ।

(४) जी हां, टी॰ ए॰ व डी॰ ए॰ सरकारी सदस्यों व अध्यक्ष को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नियमों के अन्तर्गत दिया जाता तथा गैर सरकारी सदस्यों को जिस हिसाब से दिया जाता है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । गैर सरकारी सदस्यों को टी॰ ए॰ व डी॰ ए॰ समाज कल्याण विभाग से दिया जाता है । सरकारी सदस्य अपने अपने विभाग से टी॰ ए॰ व डी॰ ए॰ लेते हैं । इस प्रकार के टी॰ ए॰ व डी॰ ए॰ की जितनी रकम इस विभाग से अब तक प्रति वर्ष दी गई उसका विवरण निम्न प्रकार है :

सन्	रकम (रुपयों में)
१६५५–५६	१,४८३.२८ नये पैसे
१६५६–५७	१,२४२.५० ,,
१६५७–५८	३५६.६२ ,,
१६५८–५६	४,१६६.६५ नये पैसे

योग ७,२५२.३५ नये पैसे

[कृपया परिशिष्ट २ देखिए]

Page No.4

श्री जयचन्द्र मोहिल : इस प्रकार के बोर्डों को गठित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है ?

श्री भीखाभाई : मैंने मुख्य उद्देश्य अर्ज किया कि दरअसल में जो प्लान चल रहे हैं उन प्लानमें जो प्रवृत्तियाँ हैं उन प्रवृत्तियों में किस प्रकार से उनका संचालन करना चाहिए, कैसे प्रायोरिटी फिक्स करनी चाहिए, इस प्रकार की सलाह राज्य सरकार को देने के लिए ऐसे बोर्ड गठित किए गए हैं ।

श्री जयचन्द्र मोहिल : बोर्ड ने अपनी मीटिंगों में महत्वपूर्ण निर्णय किए । उनको सरकार ने कार्यान्वित किया या नहीं ?

श्री भीखाभाई : दरअसल में आज ऐसे प्रश्न होते हैं जिनमें जांच करने की आवश्यकता होती है । बहुत सा पैसा राज्य सरकार को शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की योजनाओं के लिए भारत सरकार से मिलता है और जो सुझाव बोर्ड की तरफ से आते हैं और उन सुझावों को जिनको फाइनेन्स डिपार्टमेंट और प्लानिंग डिपार्टमेंट एग्री करता है उनको ले लिया जाता है । लेकिन बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं जिनकी ग्रान्ट-इन-एड भारत सरकार से मिलती है । वहां का प्लानिंग कमीशन और फाइनेन्स मिनिस्ट्री इन सुझावों से सहमत नहीं होती है तो जो सुझाव आए हैं जैसा माननीय सदस्य का भी आया है वह राज्य सरकार पूर्ण नहीं कर सकती है । प्रश्न का यह वैसे विषय ही नहीं है ।

श्री जयचन्द्र मोहिल : उपाध्यक्ष महोदय, यह सबजेक्ट तो मेरे प्रश्न में था लेकिन न मालूम वह पोर्शन क्यों हटा दिया गया है इसलिए इसका उत्तर दिया ही जाना चाहिए क्योंकि मेरे पूछने का मुख्य उद्देश्य ही यह था ।

श्री भीखाभाई : जो नहीं पूछना चाहिए था उसका जवाब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपनी तरफ से ही दे दिया है इसलिए यह प्रश्न नहीं उटता ।

श्री उपाध्यक्ष : उस प्रश्न पर नहीं जाइये जो नहीं दिया गया है क्वेश्चन में । That is not to be replied.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व) : पर सदन उसे जानने का इच्छुक है ।

श्री उपाध्यक्ष : That is not in Public interest. इसलिए काटा गया ।

श्री रामचन्द्र (डग-सु) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया कि तीनों प्रकार की परिषदों की ११-१ और २ बैठकें हुई तो यह कितने समय में हुई ?

श्री भीखाभाई : जो परिषद् निर्माण हुई थी वह जुलाई में हुई थी उस समय से दो मीटिंगे हुई हैं और जो आदिम जाति मंत्रणा परिषद् की बैठक ११ हुई वह १६५२ में बनी थी ।

श्री रामचन्द्र : यह ११, १ और २ का मतलब समझ में नहीं आया ?

श्री भीखाभाई : इसलिये कि माननीय सदस्य के दिमाग में ही कन्फ्यूजन है । उनको मालूमही नहीं हैकि आदिम जाति मंत्रणा परिषद्

[redacted]

(श्री भीखाभाई)

क्या है, आदिम जाती बोर्ड क्या है और अनुसूचित जन जाती बोर्ड क्या है। अगर उन्होंने इनके बारे में जान लिया होता कि इनका निर्माण कब हुआ तो उनके दिमाग में जरूर बैठ जाता।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : इन बोर्डों में गैर सरकारी आदमी किस प्रकार से नामजद किये जाते हैं ?

श्री भीखाभाई : जो लोग दिलचस्पी लेते हैं जैसे माननीय सदस्य अभी हैं वे दिलचस्पी लेते हैं इसलिए उनका नाम इसमें मौजूद है। इसलिये जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कार्यकर्ता इसमें दिलचस्पी रखते हैं उन्हीं लोगों को नामज़द किया जात है।

श्री रामचन्द्र मोहिल : अध्यक्ष महोदय, मेरा, प्रश्नकर्ता का नाम बताया गया है यह सही नहीं है।

हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : अब खयाल रखेंगे।

(हंसी)

रावराजा श्री सरदारसिंह

श्री रामचन्द्र (डग-सु) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक दो प्रश्न इस पर और करने हैं। इनकी साल में कितनी मीटिंगें होती हैं प्रत्येक परिषद की।

श्री भीखाभाई : आवश्यकता होने पर होती है। यों कोशिश की जाती है कि ३, ४ मीटिंगें हर साल हो जायं।

श्री रामचन्द्र : जब से इनका उद्घाटन हुआ है तब से अब तक कुल कितनी मीटिंगें हुई हैं ?

श्री भीखाभाई : मैंने अर्ज किया कि दो मीटिंगें हो चुकी हैं। और इनफार्मल मीटिंगें तो कई हुई हैं। जाब्ते की दो मीटिंगें हुई हैं।

श्री रामचन्द्र : एक प्रश्न और उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो टी. ए., डी. ए. का फरमाया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों को समाज कल्याण विभाग से दिया जाता है तो इसके विषय में मेरा यह निवेदन है कि अनुसूचित जन जातियों के जो लोग आते हैं उनको एलाउन्स सढ़े सात रुपया दिया जाता है लेकिन अनुसूचित जातियों के लोग आते हैं उनको पांच रुपया दिया जाता है। यह भेद क्यों है ?

श्री भीखाभाई : इस प्रकार की जानकारी मुझे नहीं है, माननीय उपाध्यक्ष। अगर कोई फर्क है तो वह रेक्टीफाई किया जायेगा।

श्री रामचन्द्र : उसको दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : कहा न कि रेक्टीफाई करने का प्रयत्न करेंगे।

रावराजा श्री सरदारसिंह।

नगरपालिक उनियारा के चुनाव

४५६. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

Page No.6

(क) क्या यह सही है कि सरकार की आज्ञा से उनियारा म्यूनिसिपेलिटी के चुनाव का प्रबन्ध जिलाधीश टोंक ने किया था।

(ख) क्या यह सही है कि जीलाधीश ने उस आज्ञा के तहत रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर करके चुनाव इन्तजाम नियमनुसार गजट में शाया कराकर शुरू कर दिया था ?

(ग) क्या यह सही है कि रिटर्निंग ऑफिसर सरकार को कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही करके बजरिये तहरीर या तार इत्तिला देते रहे थे।

(घ) क्या यह सही है कि बीच में सरकार के ऑर्डर्स हो गये थे कि स्थान की कार्यवाही अब करने हेतु कोई एक्ट में प्रोविजन नहीं है।

(ङ) अगर हां, तो पोलिंग होने के एक दिन पहले अचानक तार दिया जाकर चुनाव को क्यों स्थगित कर दिया गया ?

(च) क्या यह सही है कि सरकार के आदेशानुसार वोटर लिस्ट तैयार हो चुकी थी और उम्मीदवारों ने छपी हुई लिस्ट खरीद ली थी।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(क) जी हाँ।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां।

(ङ) नई वोटर लिस्ट तैयार नहीं हुई थी।

(च) जी नहीं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने यह फरमाया 'जी हां,' 'जी हां' और वहां पर इलेक्शन के ऊपर रिटर्निंग ऑफिसर पहुंच गये, और जिस रोज इलेक्शन भी था, और आप जी हां जी हां फरमा रहे हैं। आपने कहा कि वोटर लिस्ट तैयार नहीं हुई थी तो किस तरह से तारीख मुकर्रर हो गई और किस तरह से गजट में निकाली गई। यह क्या बात है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने जो सूचना चाही वह मैंने आपको देदी। किस तरह से क्यों हुआ इसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि नई वोटर सूची तैयार नहीं हुई थी, चुनाव नहीं हुए।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : वोटर लिस्ट तैयार नहीं हुई तो किस की गलती हुई।

श्री दामोदरलाल व्यास : वोटर्स लिस्ट म्यूनिसिपेलिटी करती है उस वक्त म्यूनिसिपेलिटी के अध्यक्ष रावराजा साहब के प्राइवेट सेक्रेटरी थे।

रावराजा श्री सरदारसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मिनिस्टर साहब को चेलेन्ज देता हूं कि बार बार रावराजा साहब का नाम लेते हैं तो मेरा म्यूनिसिपेलिटी से क्या ताल्लुक है ? आपने तार देकर उसको बन्द करवा दिया था।

(विपक्ष की ओर से हियर हियर)

श्री उपाध्यक्ष : Order, order.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : The House will like to know how the election date was fixed and how

Page No.7

(श्री पी० के० चौधरी)

Government later on adjourned it only 24 hours before declaring that the voters list was not ready. I will like to know it from the Hon'ble Minister.

श्री दामोदरलाल : The Government got this information that the Voters list was not ready any therefore the election was postponded.

श्री दयाकृष्ण विजय (छाबड़ा) : क्या यह सही है कि चुनाव की तारीख तय करने से पहले वोटर्स लिस्ट का प्रकाशन किया जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कायदा तो यही है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : नई वोटर्स लिस्ट प्रकाशित की जा चुकी थी तो उन्होंने उन वोटर्स लिस्ट को क्यों नहीं काम में लिया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नई वोटर्स लिस्ट तैयार होनी चाहिए रूल्स के मुताबिक । वह तैयार नहीं हुई तो इलेक्शन करवाना गैरकानूनी था । वाजिब नहीं था ।

श्री तनसिंह (बाडमेर) : क्या यह सरकार का उत्तरदायित्व नहीं था कि चुनाव लिस्ट तैयार हो ।

श्री दमोदरलाल व्यास : सरकार का भी उत्तरदायित्व था और सरकारी अफसरों का भी उत्तरदायित्व था किन्तु म्यूनिसिपल बोर्ड लिस्ट तैयार करता है । कानून और रूल्स के मुताबिक उनका कर्तव्य है ।

श्री मूलचंद डागा : कानून में तो यह है कि रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर होता है । उसके अधिकार में है लिस्ट तैयार करवाना । म्यूनिसिपल बोर्ड के हाथ में नहीं है तैयार करना ।

श्री दामोदरलाल व्यास : रिटर्निंग ऑफिसर वोटर्स लिस्ट तैयार नहीं करते । म्यूनिसिपेलिटी से तैयार करवाई जाती है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जब कि वे सूचियां इलेक्शन से पहले तैयार होकर म्यूनिसिपल बोर्ड में टाँग दी गई थी और रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस के बाहर लगाई जा चुकी थीं और ऑब्जेक्शन इन्वाइट कराये जा चुके थे और गजट में चला गया था ....

श्री उपाध्यक्ष : (श्री पी० के० चौधरी के खड़े होने पर) Mr. Chaudhary, there is already a question put by RaoRaja Shri Sardar Singh.

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि कोई ऑब्जेक्शन इन्वाइट किये गये हों या नहीं लेकिन नई वोटर्स लिस्ट तैयार नहीं हुई थी । यह मेरी सूचना है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : नई लिस्ट होनी चाहिये कायदे से यह कब मालूम हुआ ।

श्री दामोदरलाल व्यास : That is a different puestion. They can be compared and for that you may ask a separate question.

श्री दयाकृष्ण विजय : इस प्रश्न का उत्तर दें कि वहां पर बिलकुल साफ है कि

Page No.8

(श्री दयाकृष्ण विजय)

तारीख दी जा चुकी है और लिस्टें प्रकाशित हो चुकी हैं और रिटर्निंग ऑफिसर के दरवाजे के बाहर लगाई गई तो वोटर्स लिस्ट का प्रकाशन हुआ था, उस आधार पर चुनाव स्थगित किये जाते हैं तो बिलकुल गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : How should I find that the answer is wrong ?

श्री पी०के० चौधरी : Answer given by the Hon'ble Minister is wrong.

श्री दामोदरलाल व्यास : You say that. I say it is not wrong. I have got this information from the officers.

श्री दयाकृष्ण विजय : इनका प्रकाशन पहले हो जाता है चुनाव से।

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Vijay, I have understood the point.

श्री तनसिंह : क्य मंत्री महोदय यह यह बताने की स्थिति में हैं कि इस चुनाव के पहले कोई लिस्ट प्रकाशित नहीं हुई ?

श्रीदामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि प्रकाशित हुई या नहीं इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। जो नई लिस्ट एकॉर्डिंग टू रूल्स बननी चाहिए थी वह नहीं बनी थी।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : क्या यह सही है नहीं है कि जब चुनाव स्थगित किये गये थे तो कलेक्टर की कोई सलाह नहीं ली गई थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कलेक्टर से सलाह की गई है या नहीं यह मैं नहीं कह सकता हूं। मगर की गई होगी जरूर।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल।

नगरपालिका भरतपुर के अध्यक्ष व एक्जीक्यूटिव ऑफिसर द्वारा जारी किये परस्पर विरोधी क्लीयरेन्स सर्टीफिकेट

४५७. **श्री गिरधारीलाल** (नोखा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि भरतपुर नगरपालिका के अभी हाल के चुनवों के नोमिनेशन पेपर्स की जांच के समय श्री तुलसीराम मित्तल को जो क्लीयरेन्स सर्टीफिकेट जारी किये गये वे एक्जीक्यूटिव ऑफिसर व चेयरमैन के परस्पर विरोधी थे ?

(२) क्या यह सही है कि श्री तुलसीराम मित्तल म्यूनिसिपल कमिश्नर पर बकाया होते हुए भी एक्जीक्यूटिव ऑफिसर ने क्लियरेन्स सर्टीफिकेट जारी किया ?

(३) सरकार इस पर क्या कदम उठा रही है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी हां।

(२) एक्जीक्यूटिव ऑफिसर ने क्लियरेन्स सर्टीफिकेट जारी किया।

(३) इस सम्बन्ध में आवश्यक जाँच की जा रही है।

Page No.9

श्री गिरधारीलाल : इस जांच का रिज़ल्ट कब तक निकल जायेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जांच समाप्त होते ही रिज़ल्ट आ जायेगा।

श्री गिरधारीलाल : जाँच कब शुरू हुई है और कब तक उसका नतीजा आ जायेगा ?

श्री गिरधारीलाल : एक्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर ने यहां क्लियरेन्स सर्टीफिकेट दिया। उसकी वजह यह बताई जाती है कि सिविल कोर्ट में जिसका दावा चल रहा है, एरियर्स जमा करा दिये थे, लेकिन म्यूनिसपल बोर्ड के अन्दर उसका कोई रेकॉर्ड नहीं था और चेयरमैन ने क्लियरेन्स सर्टीफिकेट दिया....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : जांच कब शुरू हुई और कब तक खत्म कर देंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : दोनों के बीच की डिस्क्रीपेन्सी के लिए डाइरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज़ जांच कर रहे हैं।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : मेरा प्रश्न यह है कि जांच कब से कर रहे हैं और नतीजा आने की आशा कब तक है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तारीख मेरे पास नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : जाँच की तारीख के लिए वे कह रहे हैं कि He does not know the date...

श्री दयाकृष्ण विजय : यह नॉलेज में कब आया कि जाली सर्टीफिकेट जारी किये गये हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि तारीख मेरे पास में नहीं है।

श्री गिरधारीलाल : बकाया रकम कितनी है ?

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : मैंने समय का अंदाज पूछा था।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने प्रश्न में नहीं पूछा इसलिए मेरी जानकारी कुछ नहीं है। इस समय का अन्दाज नहीं बता सकता हूँ। मेरे पास जो सूचना है उसके आधार पर अर्ज कर रहा हूं कि क्लियरेन्स सर्टीफिकेट जो कि चेयरमैन, म्युनिसिपल बोर्ड ने दिया और जो एक्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर ने दिया उन दोनों में डिस्क्रिपेन्सी थी। एक ने उनके खिलाफ एरियर्स बतलाये और दूसरे ने नहीं बतलाये। इस की जांच कर रहे हैं डाइरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज़ कि किसकी तरफ क्या है ?

श्री महेन्द्रसिंह : श्रीमन्, मेरा प्रश्न रह गया। जवाब नहीं आया। तारीख तो नहीं मालूम है लेकिन कुछ समय का अन्दाज तो हो कि कितने अर्से से जांच चल रही है और कब तक, आशा है, पूरी हो जायेगी ?

श्री उपाध्यक्ष : अन्दाज नहीं है।

प्रश्न संख्या ४१८।

श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित)

Page No.10

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : उपाध्यक्ष महोदय, इसका जवाब दिलाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : I will take it afterwards. Next Sri Daya Krishna Vijay.

नगरपालिका चित्तौड़ द्वारा कांग्रेस कार्यालय को दी गई जमीन

४५६. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर-श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) द्वारा पूछा गया) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि नगरपालिका चित्तौड़ ने ११-५-५७ के प्रस्ताव के अनुसार ३०१६-१४ स्क्वायर गज भूमि १०१) रु० में कांग्रेस कार्यालय, चित्तौड़ को दी है ?

(ख) क्या यह सही है कि नगरपालिका ने २६-४-५७ के अपने प्रस्ताव के अनुसार २) रु० स्क्वायर गज निश्चित कर इस भूमि की कीमत ६,०३२) रु० ८ आने तय की थी ?

(ग) क्या यह सही है कि इस भूमि का सार्वजनिक नीलाम नहीं किया गया था ?

(घ) क्या यह सही है कि इस कार्यवाही से नगरपालिका को १०,०००) रुपये का घाटा हुआ है ?

(ङ) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां।

(घ) नगरपालिका को इससे कितना घाटा हुआ है यह निश्चित नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस जमीन के भाव नगरपालिका ने पहले निश्चित नहीं किये था। किराये से से जो दी गई है उसकी दर १) रु० प्रतिगज है और बिना किराये शुदा जमीन २) रुपये प्रति गज है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री दयाकृष्ण विजय : नीलाम क्यों नहीं की गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : म्युनिसिपल बोर्ड के लिए लाजिमी नहीं है कि वह नीलाम करे। वह नियम बनाकर जमीन का अलॉटमेंट कर सकती थी। अब गवर्नमेंट ने आदेश दे दिये हैं कि वे जमीन को नीलाम करेंगे। लो इन्कम ग्रुपवालों के लिए अलग रिज़र्व कर दिया जायेगा। जिसके अन्दर फिक्स्ड प्रिंसीपल्स पर जमीन दी जावेगी।

श्री दयाकृष्ण विजय : नीलाम करने के बाद मालूम हुआ कि अलॉटमेंट कम पैसों में हो गया तो नीलाम में जो कीमत आयेगी क्या वही कीमत उनसे वसूल की जायेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : म्युनिसिपेलिटी को अधिकार था कि सार्वजनिक काम के लिए उनको दे दे। ऐसी और भी जमीन दी गई है।

Page No.11

श्री दयाकृष्ण विजय : आपने म्यूनिसिपल बोर्ड को अधिकार दिया था कि वह खुद नियम बना कर जमीन उसके अनुसार दे दे। उन्होंने जो नियम बनाये उसका निरीक्षण करने की भी व्यवस्था आपने की थी क्या ?

श्रीदामोदरलाल व्यास : व्यवस्था ही नहीं की बल्कि नियम भी बने हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : आप जिनको जो अधिकार देते हैं उसका निरीक्षण करने की भी व्यवस्था करते हैं क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नियम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने बना दिये थे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन।

लूणकरण तहसील में तावान की वसूली

४६०. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर)-श्री गिरधारीलाल (नोखा) द्वारा पूछा गया) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) लूणकरणसर तहसील में इस वर्ष किन किन गांवों में तावान लैन्ड रेवेन्यू के एक गुना से अधिक वसूल किया गया है ?

(ख) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में लैंड रेवेन्यू का एक गुना तावान वसूल करने के आदेश थे ? अगर हां, तो क्या सरकार इस आदेश से अधिक वसूल किये गए तावान की रकम वापिस देने अथवा अन्य मदों में एडजेस्ट करने का विचार रखती है ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री संपतराम) : (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : इस प्रश्न के भाग (ख) में लिखा है "क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में लैंड रेवेन्यू का एक गुना तावान वसूल करने के आदेश थे ? अगर हां, तो क्या सरकार इस आदेश से अधिक वसूल किए गए तावान की रकम वापिस देने अथवा अन्य मदों में ऐडजेस्ट करने का विचार रखती है ?" आपका "जी नहीं" उत्तर किससे सम्बन्धित है ?

श्री सम्पतराम : एक के उत्तर में तो सूची सदन की मेज पर रख दी गई है और प्रश्न के दूसरे भाग में आदेश के बारे में कहा गया है कि 'जी नहीं'।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

नगरपालिका पर्बतसर के अध्यक्ष का निर्वाचन

४६१. **श्री भैरोंसिंह** : (श्री माधोपुर— श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा)द्वारा पूछा गया) : क्या स्वायत शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ४ मार्च, १९५६ को कलेक्टर, नागौर ने पर्बतसर नगरपालिका के चेयरमैन के चुनाव के लिए तारीख १४.३.५६ के निश्चित किए जाने के नोटिस इश्यू किए थे ?

Page No.12

(श्री भैरोंसिंह)

(२) क्या यह सही है कि सब-डिविजनल ऑफिसर, पर्बतसर, रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गए थे ?

(३) क्या यह सही है कि ११ मार्च, १६५६ को पर्बतसर की जनता की ओर से यह तार दिया गया था कि १४.३.५६ को एस० डी० ओ०, पर्बतसर अनुपस्थित रहेंगे अत: दूसरा प्रबन्ध किया जावे ?

(४) क्या यह सही है कि १२.३.५६ को जनता ने यह तार दिया था कि एस०डी० ओ० अनुपस्थित हैं अतः दूसरा प्रबन्ध किया जावे ?

(५) क्या यह सही है कि १२.३.५६ को एस० डी० ओ०, पर्बतसर बिना सूचना दिए ही पर्बतसर से चले गए और १४.३. ५६ को चुनाव और शपथ ग्रहण की कार्यवाही नहीं हो सकी ? कृपया जनता द्वारा दिए गए तारों की एक एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जावे ।

राजस्व मंत्री, (श्री दामोदरलाल व्यास : (१) जी हां ।

(२) जी हां ।

(३) जी हां ।

(४) पर्बतसर की जनता से कोई तार जिलाधीश नागोर को प्राप्त नहीं हुआ । मकराना से एक तार अवश्य प्राप्त हुआ था ।

(५) जी हां । जनता द्वारा दिए गए तारों की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं ।

[कृपया परिशिष्ट ४ देखिए]

श्री दयाकृष्ण विजय : यहां जो दो तार मिलना स्वीकार करते हैं और जिनकी कॉपीज साथ में दी हैं, उनमें से पहले वाला तार नागोर से दिया हुआ बतलाते हैं लेकिन वह नागोर से दिया हुआ नहीं है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : This is from Public Parbatsar.

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : एस० डी० एम० समय पर क्यों नहीं गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : किसी काम से उसको जयपुर बुला लिया था ।

श्री दयाकृष्ण विजय : वह तार पब्लिक पर्बतसर का है, तार की कॉपी साथ में है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने पूछा था कि क्या पर्बतसर की जनता से तार मिला था, उसके उत्तर में मैंने कहा 'जी हां' ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या इसकी सूचना नोटिस बोर्ड पर लगाई गई थी या मेम्बर्स को सूचित किया गया था कि १४.३.५६ को चुनाव नहीं होगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह नहीं कह सकता लेकिन एस० डी० ओ० ने १२ तारीख को कलेक्टर को लिख दिया था कि १४ तारीख को चुनाव नहीं करवा सकेंगे ।

श्री दयाकृष्ण विजय : फिर यह चुनाव क्यों कराया ?

Page No.13

श्री दामोदरलाल व्यास : कहां कराया ?

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या १४ तारीख को एस० डी० ओ० जयपुर में था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, खास काम के लिए यहां बुलाया गया था।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या खास काम था ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

प्लॉट नं. १ स्कीम 'ई', बनीपार्क, जयपुर

४६२. **सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सही है कि स्कीम 'ई', बनीपार्क के ६२१७ स्क्वायर यार्ड के प्लॉट नं १ ए. बी. को जिसकी कीमत करीब ६ लाख रूपया होती है सिर्फ ६,२१७ रु. में इस शर्त पर बेचा गया था कि इस प्लॉट पर सिर्फ रेजीडेन्शल पर्पज के लिये ही स्कीम 'ई' के बाईलॉज के मुआफिक मकान बनाया जा सकेगा, कोई बिजनेस पर्पज के लिये नहीं ?

(ख) क्या यह सही है कि पार्टी ने यू. आई. बी. में नक्शे व दरख्वास्त बाईलॉज स्कीम 'ई' के खिलाफ मकान बनाने के लिये पेश किये जो वहां से भी नामंजूर कर दिये गये?

(ग) क्या यह सही है कि इसपर पार्टी ने म्यूनिसिपल कौंसिल, जयपुर में नक्शे व दरख्वास्त पेश की जो वहाँ से भी नामंजूर कर दिये गये ?

(घ) क्या यह सही है कि पार्टी ने इस पर भी बिना मंजूरी प्लॉट में अशोक होटल के नाम की बिल्डिंग व दीगर बिल्डिंग बाईलॉज स्कीम 'ई' के खिलाफ व म्यूनिसिपल बाईलॉज के खिलाफ बना ली ?

(ङ) क्या यह सही है कि म्यूनिसिपल कौंसिल द्वारा स्पेशल मजिस्ट्रेट के यहाँ पर पार्टी का चालान किया गया और इस चालान पर पार्टी के नाम कोर्ट से ५०रु. का जमानती वारन्ट निकला ? इस वारन्ट पर बिल्डिंग इन्सपेक्टर, म्यूनिसिपल कौंसिल ने नारायणी देवी के मर जाने की झूठी रिपोर्ट करके चालान को कोर्ट से तारीख ८-७-५७ को खत्म करवा दिया ? यदि हां, तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(च) क्या यह सही है कि तारीख ३०-८-५७ को म्यूनिसिपल कमिश्नर ने बिल्डिंग के तोड़ देने का हुक्म कर दिया था ?

(छ) क्या यह सही कि पार्टी ने इस पर म्यूनिसिपल कमिश्नर के पास अपील की जिसको सुनने के बाद फिर दुबारा भी म्यूनिसिपल कमिश्नर ने तारीख ३०-६-५८ को बिल्डिंग के तोड़ देने का हुक्म दे दिया था और इसको आज तक भी कार्यरूप में परिणत नहीं किया गया ? अगर हां, तो क्यों और इसमें आगे क्या कार्यवाही हो रही है ?

(ज) क्या यह सही है कि पार्टी के बिना इजाजत बिल्डिंग बना लेने से म्यूनिसिपल कौंसिल, जयपुर को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान कर के न वसूल होने का हुआ ? यदि

Page No.14

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हां, तो क्यों और इसके विषय में क्या कर्यवाही की जा रही है ?

(झ) क्या यह सही है कि इस विषय में श्री डी. एस. जैन द्वारा मवरखा ४-१०-५८ को शिकायत दर्ख्वास्तें श्री स्वायत्त शासन मंत्री एवं चेयरमैन, नगर विकास मंडल को दीं ? यदि हां, तो उन पर क्या कर्यवाही की गई ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास):

(क) जी हां

(ख) जी हां

(ग) जी हां

(घ) जी हां

(ङ) यह सत्य है कि प्रार्थी का चालान स्पेशल मजिस्ट्रेटी में किया गया था मगर यह सत्य नहीं है कि बिल्डिंग इन्सपेक्टर ने कोई रिपोर्ट वारन्ट पर मुसम्मात नारायणी देवी के मर जाने के बारे में की हो । चालान खारिज हो चुका है ।

(च) जी हां ।

(छ) जी हां, कार्यवाही जारी है ।

(ज) इस विषय में म्यूनिसिपल कौंसिल की फीस तामीरात वाजिब होती है लेकिन क्योंकि पत्रादि में मकान के तोड़ने की कार्यवाही चल रही है, अतः म्यूनिसिपल फीस वसूल किये जाने का प्रश्न पैदा नहीं होता ।

(झ) जी हां । विकास मंडल के क्षेत्र में बाईलॉज के विरुद्ध बनाये गये मकानों के तुड़वाने का अधिकार नगरपालिका को है । जहां पहले ही से कार्यवाही जारी है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यदि बिल्डिंग इन्सपेक्टर ने यह रिपोर्ट नहीं दी थी कि मुसम्मात नारायणी देवी मर गई है तो कोर्ट की फर्द अहकाम में यह कैसे दर्ज है कि वह मर गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन बिल्डिंग इन्सपेक्टर ने रिपोर्ट दी यह सही नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, कोर्ट ने केस को यह कह कर खत्म किया कि पार्टी की रिपोर्ट है कि नारायणी देवी मर गई । यह रिपोर्ट म्यूनिसिपल रेकॉर्ड में नहीं है, डू अवे किया गया है लेकिन कोर्ट में रिपोर्ट मौजूद है । या तो फोर्जरी की गई है जिसकी जांच करवाई जाय । टेक्निकल ग्राउन्ड पर केस खारिज हुआ इसलिये मैं पूछ रहा हूं, हो सकता है कि पब्लिक प्रोसीक्यूटर ने मिस रिप्रजेन्ट किया हो लेकिन फर्द अहकाम पर मौजूद है । क्या आप इसकी जांच करवायेंगे कि केस क्यों खत्म हुआ ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यदि आप इस तरह की जानकारी देते हैं और आस-पास ऐसी सूचना है तो जरूर जांच कराऊंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : You can take it on oath if you can. यह इम्पोरटेन्ट मामला है ६ लाख का मामला ६ हजार में

Page No.15

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

निपटा दिया गया है। इसमें म्यूनिसिपल कमिश्नर ने गलत ऑर्डर दिया है तो उसके खिलाफ अब तक क्यों नहीं कार्यवाही की गई।

श्री दामोदरलाल व्यास : ऑर्डर दिया लेकिन उन्होंने मेजोरिटी से दिया होगा। यह म्यूनिसिपल कौन्सिल अपने आप करावे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नमेंट का है। १००, २०० रुपये खा जायेगा Will the Govt. see that the case is not compounded for a few hundres of rupees where thousands of rupees can be realised.

श्री दामोदरलाल व्यास : हां, गवर्नमेंट जरूर देखेगी कि इसका फैसला गलत तरीके से नहीं हो जाय।

(प्रश्न संख्या ४६३ तथा ४६४)

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचंद।

(अनुपस्थित)

ग्राम पंचायत पंचवार (लालसोट) के सरपंच श्री कन्हैयालाल के विरुद्ध की गई शिकायत

४६५. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): Will the Ministet for Local Self Government be pleased to state-—

1. Is it correct that complaints have been made aga'nst Shri Kanahiya Lal, Sarpanch, Ramgarh Pachwar village Panchayat, tehsil Lalsot, for embezzlement and misappropriation of Panchayat funds ?

2. Is it correct that the Sarpanch sold Panchayat land valued at Rs. 16/-to Shri Onkar, Harijan, issued him a receipt for the said amount but deposited only Rs. 6 / 4 / -in the Panchayat account under that head ?

3. Is it correct hat the Sarpanch sold two cows from the cattle pound, without any auction. privately to Shri Ghasi S/o Gulla, at Rs. 20/—only, issued him a receipt for the same but did not deposit the amount in the Panchayat account ?

4. Is it correct that the Sarpanch sold another cow from the cattle pound at Rs. 10-to Shri Gokul Rana issud him a receipt fcr the same but deposited Rs. 4/8/—only in the panchayat account under that head ?

5. Is it correct that the Sarpanch gave contract for collecting hides of dead animals to Shri Nathu Mahtar at Rs. 20/—,issued him a receipt for the same but didnot deposit the amount in the Panchayat accounts ?

उप-मन्त्री, पंचायत (श्री दौलतराम सारण): (१) जी हां।

(२) जी नहीं, भूमि १६ रुपये में नहीं बेची बल्कि १६।) रु०, (सवा सोलह रुपये में) बेची है और १६।) रुपये की रसीद देकर रोकड़ में ६।) रु० ही जमा हुए हैं।

(३) जी हां।

(श्री दौलतराम सारण)

(३) जी नहीं। १० रुपये की रसीद देकर रेकड़ में ४।।) रुपये जमा नहीं किए बल्कि ४ रु०, १४ आने जमा किये।

(५) जी हाँ।

(६) जांच सहायक निरीक्षक द्वारा की गई थी, डिविजनल पंचायत ऑफिसर द्वारा नहीं। बाद में जांच केस पुलिस में दिया जा चुका है जहां पर सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही जारी है। पुलिस विभाग के अंतिम परिणाम की सूचना अब तक प्राप्त नहीं हुई है।

श्री पी० के० चौधरी : What action has been taken against him ?

श्री दौलतराम सारण : पुलिस में केस दिया गया है।

श्री पी०के० चौधरी : कब से चल रहा है पुलिस में।

श्री दौलतराम सारण : दिसम्बर ५८ में लिखा गया था।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व) : लिखने के बाद क्या कार्यवाही हुई इसका कुछ पता है आपको ?

श्री दौलतराम सारण : पुलिस को फिर भी पूछा था लेकिन जानकारी उपलब्ध नहीं हुई।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : मालूम करने की कोशिश की ?

श्री दौलतराम सारण : पुलिस को जांच करके कार्यवाही करने का लिखा था।

श्री पी० के० चौधरी : इसका सरपंच अभी मौजूद है क्या ?

श्री दौलतराम सारण : उस समय का सरपंच मौजूद नहीं है। अब नया चुनाव हुआ तो पता नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

बीमा विभाग के कर्मचारियों पर परीक्षाओं में बैठने के हेतु लगाया गया प्रतिबन्ध

४३६. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या बीमा विभाग के कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की परीक्षा देने की आज्ञा नही है ? यदि अनुमति मिलती है, तो उसके क्या क्या आधार हैं ?

(२) क्या यह सही है कि इस प्रकार परीक्षा देनेवाले कितने ही विद्यार्थियों को राज्य सेवा से निकाल दिया गया है ?

(३) क्या यह सही है कि श्री चन्द्रभान टेमानी, उप-संचालक, बीमा विभाग ने भी सन् ५६-५७ में बीमारी का बहाना करके छुट्टी ली तथा एक्युएरी की परीक्षा दी ?

उप-मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) जी हां, गवर्नमेंट आज्ञा संख्या एफ. १३ (१७) अपोइन्टमेंन्ट्स (ए) ५५ दिनांक ११.१०.५८ के अनुसार परीक्षा देने की अनुमति दी जाती है।

(श्री संपतराम)

(२) जी नहीं ।

(३) श्री चन्द्रभान टेमानी, उप-संचालक, बीमा विभाग ने एक्युएरी की परीक्षा नहीं दी ।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिए)

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह माना जाय कि श्री चन्द्रभान टेमानी, उप-संचालक, बीमा विभाग परीक्षा में नहीं बैठा और फेल नहीं हुआ ?

श्री सम्पतराम : उत्तर में जो बातें बताई गई वे ठीक हैं ।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : आपने कहां से जानकारी प्राप्त की कि वह परीक्षा में नहीं बैठा ?

श्री सम्पतराम : जहां से जानकारी प्राप्त की जाती है, डिपार्टमेंट से ।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : कहाँ से आप जानकारी प्राप्त करते हैं, यह बताइये । महकमे से नहीं पूछा तो बीबी से पूछा है ?

श्री उपाध्यक्ष : Order, Order. I would request the Hon'ble Member to please not to enter into the privacy of the Hon'ble Member.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : मेम्बर को पूछने का अधिकार है ।

श्री उपाध्यक्ष : I express my resentment over the expression. There sould not be any aspersion on the Member and to his domestic life...

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : ऐसा भी पूछ सकते हैं ।

श्री दयाकृष्ण विजय : इस प्रश्न में यह पूछा गया था कि इस प्रकार की परीक्षा देनेवालों को राज्य सेवा से निकाला गया है या नहीं, इसके ऊपर में आपने कहा 'जी नहीं' । मैं समझता हूं आपकी सूचना गलत है । आपके यहां से श्री रघुवरदयाल राजगढ़ निवासी को इसी कारण से निकाला गया है । मैं आपको डेफीनेट इनफॉर्मेशन देता हूं ।

श्री सम्पतराम : Before answering this question, I would like to clarify one point. The Hon'ble Member who put a supplementary before he seems to be under drunk.

श्री दयाकृष्ण विजय : आप मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए । आपने दूसरे का जवाब दिया है यह उत्तर सही नहीं है । श्री रघुवर दयाल, राजगढ़ निवासी ने परीक्षा दी थी उसको पदच्युत किया है ?

श्री सम्पतराम : यह अलग सवाल है, जहां तक श्री चन्द्रभान का ।

श्री दयाकृष्ण विजय : Your answer is wrong.

श्री सम्पतराम : आपने तीसरे भाग में पूछा है, क्या यह सही है कि श्री चन्द्रभान टेमानी, उपसंचालक, बीमा विभाग ने भी सन् ५६-५७ में बीमारी का बहाना करके छुट्टी ली तथा एक्युएरी की परीक्षा दी ?

श्री दयाकृष्ण विजय : I am asking about second part of the question.

Page No.18

श्री सम्पतराम : 'क्या यह सही है कि इस प्रकार परीक्षा देनेवाले कितने ही विद्यार्थियों को राज्य सेवा से निकाल दिया गया है' ? मैंने कहा, जी नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : क्या यह माना जाय कि परीक्षा देनेवाले राज्य कर्मचारियों को राज्य सेवा से नहीं निकाला गया है ?

श्री सम्पतराम : प्रश्न नम्बर १ का उत्तर है उसको देख लीजिये। उसमें यह है कि स्वीकृति ली जाती है। अगर स्वीकृति नहीं देने पर उसके कन्ट्रावेन्सन में कोई व्यवहार करता है तो निश्चित तौर से उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है।

श्री दयाकृष्ण विजय : आपने कहा है 'जी नहीं'। यानि किसी को नहीं निकाला गया। मैं सूचना देता हूं कि श्री चन्द्रभान टेमानी छुट्टी लेकर परीक्षा में बैठा है और परीक्षा में फेल हुआ है। आप जांच करके देख लीजिये।

श्री सम्पतराम : वह सेपरेट इस्यू है। क्वेश्चन साफ है। गवर्नमेंट इजाजत देती है, लेकिन साथ कुछ कन्डीशन्स हैं। श्री चन्द्रभान टेमानी इम्तहान में नहीं बैठा, यह साफ है। और क्वेश्चन रखना चाहें तो रख सकते हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं यह कहना चाहता हूं कि कि श्री चन्द्रभान टेमानी को निकाल दिया है या नहीं, परीक्षा देने के कारण ?

श्री सम्पतराम : यह जानकारी नहीं है।

श्री तनसिंह (बाडमेर) : Whether you areeprepared to institute an inquiry, whether this man Shri Chandrabhan... श्री चन्द्रभानसिंह टेमानी परीक्षा में बैठा या नहीं, इसकी जांच करने के लिए तैयार हैं या नहीं ?

श्री सम्पतराम : मैंने कहा कि वह परीक्षा में नहीं बैठा। फिर जानकारी करने का सवाल कहां पैदा होता है ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी०के० चौधरी।

सन १६५८ में औरंगाबाद में बी०सी०जी० सम्मेलन में राजस्थान के प्रतिनिधि

४६७. श्री पी०के० चौधरी (फुलेरा): Will the Health Minister be pleased to state :—

1. Who represented Rajasthan Government in the B. C. G. Conference held at Aurangabad in February, 1958?

2. Is it correct that the distance by shortest motorable road Ex-Ajmer to Aurangabad is about 500 miles while the log book of the vehicle carrying the representatives from Rajasthan shows that the vehicle had covered 875 miles during its outward journey to Aurangabad via Khanagaon?

3. Is it correct that from Aurangabad the representatives went to Bombay on private work but drew salary for the period?

Page No.19

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्री भीखा भाई): (a) The following represented Rajasthan Government in the B. C. G. Conference held at Aurangabad:—

1. Dr. R. C. Totuka, S. M. O.

2. Dr. N. J. Advani, Team Leader.

3. Dr. Girish Chandra, Team Leader.

4. Shri H. C. Sharma, Publicity Officer.

(b) The shortest motorable road Ex-Ajmer to Aurangabad is 564 miles via Kotah, Jhalawar, Indore, Phalgarh, West Khandesh and Chalisagaon. This route was not known to the party at that time. After reaching Indore, on local enquiry, the route suggested was via Khandwa, Burhanpur, Edlabad and Malakpura (the route actually travelled). The total mileage Ex-Ajmer to Aurangabad via this route is 605 miles whereas the vehicle actually covered 875 miles due to the following reasons :—

1. The vehicle had run some miles at Ajmer for collecting the officers their luggage and petrol etc.

2. Inspection of B. C. G. parties working in Kotha Tehsil was also done during this journey.

3. The vehicle had also to run some miles at the places of stay in the day and night for lunch, dinner etc. as it is not possible that all these facilities are available on the road.

4. The road mileage as written on roads is measured along with the centre of road and the same is given in the map. But on actual journey the milometer reading is always about 10% more than those given in the map because of turns, by passes avoiding traffics etc. It is an established fact.

5. After Burhanpur and Edlabad the party had lost way at just time and had to cover some extra miles to regain the way.

6. The vehicle had to run some miles in Aurangabad for contacting the local Organisers and arrangement for accommodation etc.

(b) Yes Sir. (Went to Bombay). But they proceeded on Govt. duty to collect the UNICEF vehicles allotted to this State by the Central B. C. G. Organisation.

श्री पी० के० चौधरी : Is it correct that the party when lost the way found itself in the house of the father-in-law of the S. M. O.

श्री भीखाभाई : That is incorrect. I have not got this information.

श्री पी० के० चौधरी : Is it correct that the report given to you that the road was not motorable is incorrect. The road was perfectly motorable.

Page No.20

श्री भीखाभाई : It is a matter of...

श्री पी० के० चौधरी : The road was perfectly alright. Are you prepared to institute an enquiry into the affair. I can say.......

श्री भीखा भाई : If the Hon'ble Member has a particular information that he can pass on to me. I shall enquire.

श्री पी० के० चौधरी : Then the second thingh is that why did they go to Bombay and still drew their salary ?

श्री भीखाभाई : They had gone to collect a vehicle which was allotted to the Rajasthan B. C. by the Central Organisation.

श्री पी० के० चौधरी : Whethere they could not have gone by rail and was it necessary for all these to go there ? One man could have gone. Even a peon could have done.

श्री भीखाभाई : Some other officer could have been sent form here but it could have incurred double expenditure.

श्री पी० के० चौधरी : Why did they not go by rali ? Why did they not go by the shortest route through Ajmer ?

श्री भीखाभाई : That was the experts team and they had to go there.

श्री उपाध्यक्ष : Next Question please.

ग्राम पंचायत बड़ोद, कोटा

४६८. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपलदा—सु) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत बड़ोद, कोटा में सेक्रेटरी के पद पर श्री मांगीलाल आत्मज श्री भूरा मोमिन कार्य कर रहा है?

(२) यदि हाँ तो क्या यह भी सत्य है कि वह कई बार का सजा याफ्ता है ?

उप मंत्री स्वायत्त (श्री दौलतराम सारण): (१) जी हां।

(२) जी हां।

श्री होतीलाल (भरतपुर) : क्या यह सही है कि राजस्थान के नियमों के अनुसार कोई सजायाफ्ता व्यक्ति सेक्रेटरी नहीं हो सकता ग्राम पंचायत का ?

श्री दौलतराम सारण : जी हाँ।

श्री होतीलाल : तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री दौलतराम सारण : पंचायत ने अनजान होने के कारण रख लिया। इस प्रश्न के आने से पता लगा, तो पंचायत को सूचित किया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): किस जुर्म में सजायाफ्ता है?

श्री दौलतराम सारण : सेक्रेटरी ने लिखा है कि ३२५ और ४११ के अन्तर्गत सजायाफ्ता है। इसकी जानकारी के लिए हमने पुलिस को लिखा है कि यह व्यक्ति किन किन मामलों में सजा याफ्ता है, यह पता लगा कर लिखें।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): बिना पुलिस की इन्क्वायरी के यह कैसे कह दिया कि यह सजा याफ्ता है ?

श्री दौलतराम सारण : सेक्रेटरी को हमने पत्र लिखा था उसका जवाब आया उसमें लिखा है कि जहां तक मुझे याद पड़ता है, ३२५, ४११ के अन्तर्गत सजा याफ्ता है।

श्री श्रीभानसिंह : प्रश्न यह है कि यह सेक्रेटरी का काम नहीं। माननीय मंत्री महोदय कहें कि हमने पुलिस से वेरीफाई कर लिया है कि यह सजा याफ्ता व्यक्ति है या नहीं, इन्क्वायरी के बाद हाउस में कह सकते हैं कि सजा याफ्ता है। बिना पुलिस की इन्क्वायरी के कमिट कैसे कर रहे हैं कि सजायाफ्ता है ?

श्री दौलतराम सारण : शायद आपने प्रश्न के उत्तर पर ध्यान नहीं दिया। आपने पूछा है कि वह सजा याफ्ता है, मैंने कहा जी हाँ।' फिर निवेदन किया कि पुलिस से पूछा है कि किन किन धाराओं के अन्तर्गत वह सजा याफ्ता है। इसमें ऐसी क्या बात है जो मैंने गलत कही हो ?

श्री श्रीभानसिंह : फिर पुलिस से पूछने की जरूरत महसूस क्यों हुई ? जब उन्होंने खुद एड्मिट किया है, तो एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं ?

श्री दौलतराम सारण : उसको वेरीफाई कर लें।

श्री श्रीभानसिंह : वेरीफाई किससे कर रहे हैं ? वह खुद एडमिट कर रहा है कि मैं सजायाफ्ता हूँ। He is himself admitting and the Hon'ble Minister is verifying?

श्री उपाध्यक्ष : उसके एडमीशन को नहीं मानते।

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाललाल व्यास) : यह जवाब दिया है कि सेक्रेटरी ने जवाब में लिखा है कि उसे जहां तक याद पड़ता है वह दफा ३२५ में सजायाफ्ता है। वह दफा ऐसी है that it does not involve moral terpitude...

पुलिस को लिखा है कि वह बताए कि उसे किस मामले में सजा हुई ? यह जरूरी था, जब तक मालूम नहीं हो कि मोरल टरपीट्यूड में सजायाफ्ता है।

श्री तनसिंह (बाडमेर) : ३२५ और ३११ कहा था, आप मिस गाइड क्यों कर रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अब आप सूचना दे रहे हैं, अलग अलग सूचनाएं आ रही हैं अलग अलग जगह से, तो इस बारे में जानकारी कर के जवाब दिया जा सकता है।

(हंसी)

प्रश्न संख्या ४६६।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा।

अफीम-वितरण

४७०. **श्री मूलचन्दडागा** (पाली): क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) अफीमबन्दी का कानून बनाने के बाद कितनी अफीम सरकार प्रत्येक जिले में बेचने को देती है?

(ख) अफीमबन्दी से सरकार को कितनी कम अफीम जनता को देनी पड़ती है?

उप-मन्त्री,आबकारी (श्रीसम्पतराम): (क) रजिस्टर्ड एडिक्ट की संख्या और उनसे उनके उपभोग की मात्रा के अनुसार प्रत्येक जिले में डिविजन के आबकारी डिप्टी कमिश्नर अफीम का कोटा नियत करते हैं। प्रत्येक डिप्टी कमिश्नर को निम्नलिखित कोटा इस साल के लिए नियत किया गया है:

	मन	सेर
उदयपुर	६	१०
जोधपुर	२३	३०
जयपुर	१२	०
बीकानेर	२२	०
कोटा	३	०

गत वर्ष के मुकाबले में इस वर्ष २।३ हिस्सा कम देने का अनुमान है।

डा० बहादुरसिंह (धौलपुर): क्या सरकार पाली में अफीमचियों का विशेष खयाल रखेगी?

श्री सम्पतराम: पाली का भी खयाल है और भरतपुर का भी खयाल है।

श्री श्रीभानसिंह: इसमें अलवर को मत भूल जाना।

(हंसी)

श्री मूलचन्द डागा: मेरा सवाल करने का मतलब यह था कि अफीम का प्रोहिबिशन किया है तो इससे कितनी कीमत की अफीम कम बिकने लगी है?

श्री सम्पतराम: अभी दो महीने के फिगर्स हमारे पास हैं, ५८-५९ के अप्रेल महीने में २२ मन और मई महीने में ३० मन। इस साल जब कि १-४-५९ से लागू किया है तब से अप्रेल में १ मन २० सेर बीकी है और मई महीने में १ मन २० सेर बिकी है तो इससे जाहिर है कि अफीम की बीक्री बहुत कम हुई है।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०): कोटा में कुल ३ मन बिक्री बताई गई है जब कि सबसे ज्यादा अफीम पैदा होती है तो इसका क्या कारण है कि वहां सबसे ज्यादा अफीम पैदा होती है पर बिक्री वहां तीन मन ही बताई गई है?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरीबाजार, जयपुर): वहाँ के लोग ज्यादातर बाहर रहते हैं।

श्री सम्पतराम: किसी चीज का किसी जगह ज्यादा पैदा होना इस चीज का द्योतक नहीं है कि वहां उसकी खपत भी ज्यादा होती है।

प्रश्न संख्या ४७१, ४७२।

Page No.23

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा।

श्री मोहन पूनमियां द्वारा श्री महाराजा उम्मेद मिल्स, पाली में की गई भूख हड़ताल

(४७३. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या महाराजा श्री उम्मेद मिल्स, पाली की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रधान श्री मोहन पूनमियां ने जून, १९५६ में भूख हड़ताल की थी ? यदि हां, तो किसलिए ?

(ख) सरकार को टैक्सटाइल लेबर यूनियन, पाली की तरफ से इस भूख हड़ताल का नोटिस कितने दिन पहले मिला था ?

(ग) क्या हड़ताल गैर कानूनी थी ?

(घ) इस हड़ताल का क्या परिणाम रहा ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) जी हां, टैक्सटाइल लेबर यूनियन पाली द्वारा प्रस्तुत मांगों की पूर्ति के हेतु यह भूख हड़ताल की गई थी।

(ख) भूख हड़ताल चालू करने का नोटि हड़ताल पर जाने के एक दिन पश्चात् प्राप्त हुआ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता। भूख हड़ताल औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत हड़ताल की परिभाषा में नहीं आती है। अतएव इसके वैध अथवा अवैध का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(घ) यह भूख हड़ताल बिना शर्त तारीख १७–६–५६ को खत्म हो गई।

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : प्रश्न संख्या ४७४।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : You are in Medicine and she is in Literature.

खाद्यान्नों के निर्यात पर लगाया गया प्रतिबन्ध

४७४. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर–डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) द्वारा पूछा गया) : क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या १६ मार्च, ५६ को जयपुर तथा अन्य कई जगहों के खाद्यान्न व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल राजस्थान सरकार के खाद्य विभाग के डाइरेक्टर से मिला था ?

(ख) उक्त प्रतिनिधि मंडल ने अपने क्या क्या अभाव–अभियोग सरकार के समक्ष प्रस्तुत किए।

(ग) क्या सरकार खाद्यान्नों के निर्यात पर लगे प्रतिबन्ध को उठाना चाहती है ?

(घ) खाद्यान्न समस्या को सुचारु रूप से हल करने में क्या सरकार व्यापारियों का

(डा० बहादुरसिंह)

भी सहयोग आवश्यक समझती है ? यदि हां, तो उसे किस प्रकार प्राप्त करने की कोशिश की जावेगी ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) जी हां ।

(ख) प्रतिनिधि मंडल ने जो लिख कर दिया था उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर प्रस्तुत की जा चुकी है ।

(ग) भारत सरकार ने सिर्फ गेहूँ के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा रखा है । और बोर्डर मूनमेन्ट पर प्रतिबन्ध है। इसके अलावा अन्य किसी प्रकार के खाद्यान्नों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

(घ) जी हां, बफर स्टॉक बनाने के हेतु खाद्यान्न सरकारी तौर पर व्यापारियों द्वारा भी खरीदे जा रहे हैं । व्यापारियों का सहयोग खाद्यान्नों के भावों की कीमतें नीचे रखने के लिए भी अति आवश्यक है और मिल रहा है ।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिए)

डॉ० बहादुरसिंह : क्या एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर भी प्रतिबन्ध है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : किसके लिए । मैंने कहा कि गर्वमेंट ऑफ इन्डिया ने गेहूँ के लिए प्रतिबन्ध लगा रक्खा है ।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या यह सही है कि दूसरे जिलों में भी एक तहसील से दूसरी तहसील में जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप यह सूचना दे रहे हैं । मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसी ने आपको गलत सूचना दी है, फिर भी आपके पास सूचना है तो इन पर्टीक्युलर रखें ।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं सूचना देता हूं कि तहसील बाड़ी से धौलपुर मे गेहूं लाने के लिए प्रतिबन्ध है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : बीच में कोई दूसरा इलाका तो नहीं पड़ता है ।

डॉ० बहादुरसिंह : बिल्कुल नहीं ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : आपने बताया कि व्यापारियों का सहयोग फूड ग्रेन्स की कीमतों में कमी लाने के लिए लेने में लगे हुए हैं तो क्या आप बता सकते हैं कि हारवेस्ट के समय फूड ग्रेन्स की कीमतें क्या थीं और आज क्या कीमतें हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कीमतें तो हारवेस्ट के ऊपर फ्लक्च्युएट करती रही हैं पर व्यापारियों से सहयोग मिलता रहता है । अनाज की कीमतें पहले क्या थीं और अब क्या हैं, यह रेडीमेड स्टेटमेंट मेरे पास नहीं है ।

श्री श्रीभानसिंह : व्यापारियों का सहयोग प्राइसेज डाउन करने में लेते समय आपने आखिर कोई लेवल तो सोचा होगा कि ये रेट्स रहनी चाहिए ?

श्री दामोदरलाल व्यास : स्टेट ट्रेडिंग के लिए १४) रुपया मन का है ।

श्री श्रीभानसिंह : जब स्टेट ट्रेडिंग के लिए आपने १४) रुपया मनका लेवल रखा

Page No.25

(श्री श्रीभानसिंह)

है तो व्यापारी लोग जिनसे सरकार अनाज की कीमतों को डाउन करने के लिए सहयोग ले रही है उन्होंने मार्ट में प्राइसेज को फ्लक्चुएट कर रखा है तो क्या सरकार नहीं सोचती कि वह कहां तक इस एफर्ट में कामयाब हुई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बहुत कामयाब तो नहीं हुए पर हम कामयाबी के करीब जरूर हैं ।

श्री श्रीभानसिंह : स्टेट ट्रेडिंग का लेवल १४) रुपया मन का है । जहां प्राइसेज १८) रुपया मन तक फ्लक्चुएट हुई हैं क्या इसको माना जाय कि कामयाबी के करीब हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : १४ भी है, १५ भी है, १६ भी है, कहीं १७ भी है पर १८ तो नहीं है ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : It is a very important thing whether he has got the co-operation of the business community or not ?

श्री श्रीभानसिंह : उन मंडीज की आपके पास सूचना होगी कि इन इन मंडीज में ये ये भाव हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : किस किस जगह क्या क्या भाव है यह तो सूचना मेरे पास इस समय नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : जयपुर में बफर स्टॉक के लिए सरकार ने गल्ला खरीदा है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : राजस्थान लेवल पर कई जगह स्टॉक किया जा रहा है ।

श्री श्रीभानसिंह : किस बेसिस पर आपने बताया कि व्यापारियों का सहयोग अनाज की कीमतें कम करने में लिया जारहा है और वह सहयोग व्यापारियों से प्राप्त हो रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट...

श्री पी० के० चौधरी : Whether Byoparies have disclosed all the stocks to the Government and they are not smuggling and the Government is satisfied with that ?

श्री दामोदरलाल व्यास : So far as the Licence holders are concerned, they are supplying statements. We are satisfied with that. Statements are correct.

श्री श्रीभानसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, मन्त्री महोदय ने इस प्रश्न का जवाब तो दे दिया पर मैं समझता हूं यह जवाब बिल्कुल अन्सेटिस्फेक्टरी है । प्राइसेज को डाउन करने के लिए गवर्नमेंट ने व्यापारियों से सहयोग प्राप्त करने की कोशिश की तो किस तरह कोशिश की, किस शेप में की ? उनसे सहयोग गवर्नमेंट को मिल रहा है तो प्राइसेज क्यों फ्लक्चुएट हो रही हैं । तो मैं हाउस की ओर से निवेदन कर दूं कि इस पर एक दिन के लिए डिबेट का रखा जाय । स्टेट ट्रेडिंग या बफर स्टॉक से इसमें गवर्नमेंट की ओर से कुछ किया जारहा हो, प्राइसेज को डाउन करने में भले ही गवर्नमेंट को व्यापारियों से सहयोग मिल रहा हो पर आज एक्यूट

(श्री श्रीभानसिंह)

प्राइसेज की स्टेज पर फूड प्रोब्लेम राजस्थान में है। इस पर डिबेट के लिए दिन रखा जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने जो सूचना दी उससे क्या असंतोष माननीय सदस्य को हुआ है ? मैंने कहा कि व्यापारियों से जितना सहयोग मिलना चाहिए मिल रहा है। पूरी कामयाबी हमें नहीं हुई है पर कामयाबी के करीब हैं। प्राइसेज में खुद कह रहा हूं कि फ्लक्च्युएट हैं।

श्री श्रीभानसिंह : आप व्यापारियों से किस तरह का सहयोग चाहते थे। लाइसेंसेज देकर प्राइसेज को कम करने के रूप में या किस तरह और आपको किस तरह का सहयोग मिला ?

श्री दामदोरलाल व्यास : लाइसेंस लेना, जितने स्टॉक्स उनके पास आवें उनका हिसाब रखना ताकि गवर्नमेंट की जानकारी में रहे कि कितना स्टॉक लाइसेंस होल्डर्स के पास है, किसानों के पास अनाज पड़ा है। व्यापारी ऐसा न करें कि बगैर दर्ज किए ही ले लें और स्मगल कर दें। यही सहयोग होता है। वह सहयोग हमें मिल रहा है। प्राइसेज के ऊपर तो हमने कन्ट्रोल नहीं किया है और प्राइसेज फ्लक्च्युएट होती रहती हैं।

श्री श्रीभानसिंह : यह अभी स्टोरेशन में सहयोग व्यापारियों का बताया। पहले मन्त्री महोदय ने बताया था कि प्राइसेज को नीचे लाने में गवर्नमेंट व्यापारियों का सहयोग। तो एक बार तो कहते हैं कि गवर्नमेंट व्यापारियों से सहयोग चाहती है। लाइसेंस लेने में, स्टोर करने में। स्टेट ट्रेडिंग में एंटर होना था तो फिर फ्री कॉम्पीटिशन से एंटर हो। इसकी प्राइसेज कन्ट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट एन्टर नहीं हुई, तो मैं मन्त्री महोदय का स्टेटमेंट कन्ट्राडिक्टरी समझता हूं। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि गवर्नमेंट का फ्री ट्रेड का पर्पज था या प्राइसेज कम करने का पर्पज था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पर्पज प्राइसेज को कन्ट्रोल करने का था इसलिए ग्रेन की मंडियों से अनाज खरीद करते। जब हम व्यापारियों से खरीदते तो यह लाजिमी है कि वे लोग उसको सस्ते भाव से और कम कीमत पर खरीदेंगे। यही एक तरीका है प्राइसेस को कन्ट्रोल करने का।

श्री श्रीभानसिंह : If the Government wanated to control the prices, I would like to know how far you have suceeded ?

श्री दामोदरलाल व्यास : We have not fully succeded but we are nearly succeeding because the prices have not gone high.

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रामकरणसिंह।

नायब तहसीलदार व सदर कानूनगों की नियुक्ति हेतु बनाये गये नियम

४७४. श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली): क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :

Page No.27

(श्री रामकरणसिंह)

(१) क्या यह सत्य है कि नायब तहसीदार व सदर कानूनगो की नियुक्ति हेतु सरकार द्वारा बनाये नियमों का कताई पालन नहीं किया जाता ?

(२) यदि नहीं, तो श्री अमीरचन्द जैन जो एक कन्फर्म्ड एल. डी. सी. भी नहीं है न कानूनगो की लिस्ट में है उसको कानूनगो बना कर सदर कानूनगो किस नियम से बनाया गया है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री सम्पतराम) : (१) यह सत्य नहीं है।

(२) सदर कानूनगो का स्थान रिक्त होने के कारण अस्थायी तौर पर ऐसा किया गया है। स्थाई तौर पर जगह भरने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री रामकरणसिंह : अमीरचन्द जैन को कानूनगो की लिस्ट में न होते हुए भी उसको सदर कानूनगो किस नियम से बनाया ? क्या यह वाजिब है ?

श्री सम्पतराम : इस बात को मानते हुए उसको १४-८-५६ को आज्ञा जारी कर दी गई है कि उसको सबस्टेन्टिव पोस्ट पर रिवर्ट कर दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मोहब्बतसिंह।

सिरोही के ग्राम पोसालिया में चिकित्सालय का खोला जाना

४४६. **श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही)** Will the Minister for Medical and Public Health Department be pleased to state :

Whether the Government is contemplating to open dispensary at Posaleya village in Sirohi District

उपमन्त्री, स्वास्थ्य (श्री भीखाभाई) : There is no scheme for opening dispensaries in the current year budget as such a dispensary cannot be opened at village Posaleya (Sirohi District).

श्री मोहब्बतसिंह : When the dispensary is contemplated to be opened, in the current year or the next year ?

श्री भीखाभाई : It all depends on the peoples' participation and money which is offered.

श्री मोहब्बतसिंह : Is the Government aware of the fact that the people of the village have offered a purse of one thousand for the purpose of this Hospital ?

श्री भीखाभाई : Only proposal is not enough. It should be actually implemented.

श्री मोहब्बतसिंह : If a purse of 10 thousand is placed at the disposal of the Government, will the dispensary be opened next year ?

श्री भीखाभाई : I cannot say it just, because whatever is said to have been offered should have through the Govenment. It has not been received yet. So we can not say the actual scheme of the building.

Page No.28

तहसीलदार व नायब तहसीलदार, सोजत द्वारा भूमि वितरण.

४७७. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत): क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि गत वर्ष तहसीलदार, सोजत व नायब तहसीलदार ने बिना अलॉटमेंट कमेटी को बुलाये ही जमीन अलॉट की व परमिशन दी है ?

(२) यदि हां, तो किन किनको कितनी कितनी भूमि किस किस तारीख को अलॉट की गई व काश्त की इजाजत दी गई ?

(३) क्या उक्त परमिशन देने के पहले परमिशन देनेवाले अधिकारी ने यह जांच, की कि ये भूमिहीन कृषक हैं, जो लैन्ड अलॉटमेंट रूल्स के तहत अनिवार्य है ?

उप-मंत्री राजस्व (श्री संपतराम) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को पोस्टपोन कर दिया जाए क्योंकि इसकी अभी सूचना नहीं मिली है।

श्री उपाध्यक्ष : Postponed.

Next. Shir Daya Krishna Vijay.

अध्यक्ष नगरपालिका पिलानी द्वारा भूमि विक्रय.

४५८. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) क्या यह सही है कि पिलानी के नगरपालिका अध्यक्ष ने राज्य सरकार की १७ फरवरी, सन् ५६ की आज्ञा के बावजूद १३,००० स्क्वायर गज भूमि ३४६ व्यक्तियों को केवल दो आने गज के हिसाब से मार्च के महीने में बेची है ?

(२) क्या यह सही है कि क्लेक्टर इस अवैधानिक कार्य की जांच कर रहे हैं ? यदि हां, तो यह जांच किस स्टेज पर चल रही हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): जी नहीं।

(१) दिनांक १८-२-५६ को ३४६ व्यक्तियों को दो आने गज के हिसाब से करीब १३,००० स्क्वायर गज भूमि नगरपालिका द्वारा बेची गई है।

(२) जी नहीं।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या नगरपालिका ने बेची उस वक्त कोई भी आज्ञा थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या सरकार अपना यह कर्त्तव्य नहीं समझती कि इसमें जांच की जाए ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने क्लेक्टर का पूछा था। क्लेक्टर के जरिये से जांच नहीं कराई। डिप्टी डाइरेक्टर ने जांच की है और सारी रिपोर्ट गवर्नमेंट को उसने सबमिट कर दी है और वह विचाराधीन है।

श्री दयाकृष्ण विजय : रिपोर्ट कब पेश की गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ७ अगस्त, १९५९ को।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री मूलचन्द डागा ।

कृषि सहकारी समितियां, पाली

४७६. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) इस वर्ष पाली तहसील में कुल कितने काश्तकारान को गैरखापी जमीन काश्त करने की स्वीकृति दी गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(ख) पाली तहसील में कुल कितनी कृषि सहकारी समितियां बन चुकी हैं व कितनी भूमि काश्त के लिये उनको दी जा चुकी है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री सम्पतराम) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जिस प्रकार की सूचना मांगी गई है वह पाली के प्रत्येक गांव की मांगी गई है। वह अभी उपलब्ध नहीं हुई है इसलिये इस प्रश्न को पोस्टपोन किया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष : Postponed.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या इस सम्बन्ध में पहले आपको निवेदन कर दिया गया था ?

श्री उपाध्यक्ष : Yes, he has referred it to me.

श्री श्रीभानसिंह : It has become a regular disease now-a-days.

श्री उपाध्यक्ष : This has been corrected.

Yes, next Sri BanaRam Gehlot.

ग्राम आहुवा, तहसील खारची में चिकित्सालय की स्थापना

४८०. श्री बेनाराम गहलोत (खारची): क्या मन्त्री स्वास्थ्य विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि ग्राम आहुवा, तहसील खारची में डिस्पेन्सरी बनाने हेतु वहां के किसी सेठ ने १०,०००) रुपये दान स्वरूप सरकार को दिये थे ? यदि हां, तो कब ?

(२) क्या सरकार ने रकम जमा कराते समय यह आश्वासन दिया था कि आधी रकम सरकार अपनी ओर से इस भवन में लगायेगी ? यदि हाँ तो सरकार ने कितनी धनराशि उसमें से भवन निर्माण हेतु खर्च की ।

(३) उपरोक्त भवन का निर्माण कार्य किस स्टेज पर है ?

उप-मन्त्री, स्वास्थ्य (श्री भीखाभाई) :

(१) जी हाँ । यह रकम १६५७ में दी गई।

(२) जी नहीं । शेष प्रश्न उपस्थिति नहीं होता ।

(३) अभी कार्य आरम्भ नहीं हुआ है ।

श्री बेनाराम गहलोत : अभी तक बनाने का कार्य का आरम्भ क्यों नहीं हुआ ?

श्री भीखाभाई : इसके लिए प्लान एप्रूव होकर नहीं आया था ।

श्री बेनाराम गहलोत : कब तक आ जावेगा ।

श्री भीखाभाई : शीघ्र ही।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : प्लान आ जाने के बाद तो डिस्पेन्सरी खुल जाएगी ?

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री भोगजी भाई।

शराबबन्दी के प्रशिक्षण के लिए बम्बई भेजे गये उम्मीदवार

४८१. **श्री भोगजी भाई** (बांसवाड़ा): क्या समाज कल्याण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे।

(क) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग की ओर से शराबबन्दी प्रशिक्षणों के लिये कुछ उम्मीदवार बम्बई ट्रेनिंग में भेजे गये थे। अगर हां, तो कितने उम्मीदवारों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

(ख) ट्रेनिंग प्राप्त की जाने के पश्चात् उन्हें किन किन जिलों में किस किस पोस्ट पर नियुक्त किया गया ?

उप-मंत्री, समाज कल्याण (श्री भीखाभाई) :

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री भैरोंसिंह।

भूतपूर्व कस्टम विभाग के निरीक्षकों व नाकेदारों का युनिफाइड व रेशनेलाइज्ड पे स्केल के एरियर का भुगतान

४८२. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर-श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) द्वारा पूछा गया) : क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि भूतपूर्व कस्टम विभाग निरीक्षक और नाकेदार जो अन्य विभागों में लिए गये थे उनको १-४-५० से दी गई युनीफाइड तथा रेशनेलाइज्ड पे स्केल के एरियर का भुगतान अभी बकाया है।

(२) यदि बकाया है तो सरकार उनके शीघ्र भुगतान के लिये क्या कार्यवाही कर रही है और अब तक भुगतान क्यों नहीं हो सका।

उप-मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) जहां तक निरीक्षकों का सवाल है, कोई भी निरीक्षक इस विभाग से अन्य विभाग में नहीं गया है। अलबत्ता नाकेदार जरूर हैं जो कस्टम्स समाप्तिपर १-४-५५ से दूसरे विभागों में लगाये गये थे और उनका युनिफाइड पे स्केल में फिक्सेशन तो हो चुका है परन्तु एरियर देना बाकी है।

(२) एरियर देने में जो कुछ भी देरी हो रही है वह महालेखपाल, राजस्थान, जयपुर की ओर से है क्योंकि वे केसेज प्रि-आडिट के लिये पड़े हुए हैं। जहां तक इन केसेज का इस विभाग से ताल्लुक है, जल्द करवाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार ने इसके लिये कोई रिमाइन्डर भेजा है ?

श्री सम्पतराम : मैं निश्चित तारीख तो नहीं बता सकता मगर यह कह सकता हूं कि दो महीने पहले किया गया है।

Page No.31

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री श्रीमानसिंह ।

अनाज का राज्य-व्यापार

४८३. श्री श्रीमानसिंह (बयाना) Will the Minister for Food and Supplies please state:—

1. Does the State Government intend starting State trading in food-grains? If so, what is the nature of the scheme?

2. How much grain is to be collected through this scheme and from which districts and how much has actually been purchased and at what price?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदर लाल व्यास): 1. Yes, by stages. The first stage is to licence wholesale dealers in food-grains and to build up buffer stocks of foodgrains so that the upward trend of prices could be checked. In the last stage the Co-operative Marketing Societies would take over the wholesale trade in Food Grains. The initial stages of the scheme cover licensing of wholesale traders and procurement of Food Grains for building up buffer stocks for which targets have been laid down, both through the Co-operative Marketing Societies and departmentally.

2. The targets fixed for procurement under this scheme are as follows:—

	Wheat	Gram	Barley
	(All figures are in '000 Tons).		
(i) Ganganagar	50	20	10
(ii) Kota	32.3	14.4	3
(iii) Bundi	11.5	2.8.	6
(iv) Jhalawar	6.3	3.0	1
(v) Tonk	10	4.0	8
(vi) Sawai Madhopur	12	10	4.
(vii) Bharatpur	8	8	-
(viii) Alwar	-	8.0	-

The purchases made so far are detailed below:—

(All figures are in Maunds)

(a) Ganganagar Departmental procurement	Wheat	1,47,451—0—0
	Gram	93,357—0—0
	Barley	62—0—0
Procurement through the Apex Marketing Society.	Wheat	98,114—0—0
(b) Jhalwar	Wheat	89—35—12
(c) Kota	Wheat	1,425—0—0.

Page No.32

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(d) Bharatpur	Wheat	247— 0—0
	Gram	854— 0—0
(c) Bundi	Wheat	231—25—0
	Gram	19—15—0
	Barley	16—35—0

The rates fixed for purchases are as under :—

Wheat :	Farmi Rs. 15/-	per md.
	White Rs. 14/-	per md.
	Red Rs. 13/-	per md.
Gram	Rs. 10/-	per md.
Barley	Rs. 9/8/-	per md.

श्री पी०के० चौधरी (फुलेरा): क्या आपने जो धान पर्चेज किया है वह १४) रुपये मन में नहीं किया और उसको १७) रु० और १८)रु० मन में पर्चेज किया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मुझे यह मालूम नहीं है।

श्री पी०के० चौधरी : क्या आप यह देख सकेंगे कि हाइयर प्राइसेज दी गई हैं ?

श्री श्रीभानसिंह : जो टारगेट आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज एचीव करने थे उनके एचीव नहीं होने का क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : काश्तकारों ने मंडी में अनाज नहीं बेचा और गांववालों ने उसको वहां से ट्रकों के द्वारा बाहर भेज दिया जिसका उनको भेजने का अधिकार था।

श्री श्रीभानसिंह : आपने ऐसा जवाब दिया है कि काश्तकारों ने अनाज ट्रकों में भर कर बाहर भेज दिया, That is the laxity of the Government. Why did not the Government take strong action for preventing the smuggling ?

श्री दामोदरलाल व्यास : It is not smuggling. You should understand our scheme. Our scheme is that we should purchase it from the licence holders in the Mandis. But there is no grain in Mandis.

श्री पी०के० चौधरी: आपने कहा कि काश्तकार मंडी में अनाज नहीं लाये। क्या यह सही है कि काश्तकार बकाई में अनाज लाए, व्यापारियों को डिस्पोज ऑफ कर दिया और व्यापारियों ने उस अनाज को दबा रखा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह बात सही नहीं है कि काश्तकारों ने व्यापारियों को अनाज दे दिया है और उन्होंने दबा लिया है।

श्री पी० के० चौधरी : क्या मंडी में अनाज आने से पहले ही बाहर भेज दिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उनको मंडी में अनाज लाने की जरूरत नहीं है। आम

Page No.33

(श्री दामोदरलाल व्यास)

तौर से वे लाइसेन्स होल्डरों को बेचते हैं। मगर अब काश्तकारों ने खुद ने होल्ड कर रखा है। कुछ यह भी खबर आई कि वे ट्रक में बाला बाला भर कर जयपुर में लेकर आये जिसकी कोई रुकावट उनको नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह : जयपुर में भी फूड प्रोक्योरमेन्ट, स्टेट ट्रेनिंग की स्कीम है। जयपुर में भी टार्गेट्स पूरे नहीं हुए। किसी जगह के टार्गेट्स पूरे नहीं हुए हैं और उससे फूड प्राइसेज काफी बढ़ी हुई हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : किसने जयपुर मंडी का नाम लिया। मैंने तो जयपुर मंडी के लिए नहीं कहा। यह प्रोक्योरमेंट एरिया नहीं है, यह तो कन्जम्पशन एरिया है।

श्री श्रीभानसिंह : आप बेसिस बतायें कि क्यों नहीं प्रोड्युसर्स मार्केट में फूड ग्रेन्स ला रहे हैं। क्या कारण है कि प्रोड्युसर्स फूड ग्रेन्स नहीं ला रहे हैं, होर्डिंग कर रखने की बेसिक इन्फोर्मेशन क्या है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मंडीज़ में अनाज नहीं आया उससे मिलान कर लिया, होर्डिंग कर रखा है।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : टार्गेट्स को काश्तकारों से क्यों नहीं पूरा करवाते।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह अलग प्रश्न है, कम्पलसरी लेवी होगी या नहीं।

श्री श्रीभानसिंह : तो क्या यह मान कर चलें कि आपके टार्गेट्स कभी भी पूरे नहीं होंगे या कोई तारीख इसके लिये मुकर्रर की गई है कि अमुक तारीख तक टार्गेट्स पूरे हो जावेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : आजकल बरसात का मौसम है और इसीलिए गांवों में ट्रान्सपोर्टेशन के साधन तो हैं नहीं कि मंडीज़ में अनाज आ सके। ज्यों ही वर्षा समाप्त हो जावेगी, गवर्नमेंट ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है कि जो टार्गेट्स फिक्स किये गये हैं वे पूरे हों।

श्री श्रीभानसिंह : गवर्नमेंट ने कौन सी तैयारी पूरी कर ली है प्रोड्युसर्स को फूड ग्रेन्स मंडी में लाने के लिए और टार्गेट्स पूरे करने के लिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : दोनों।

श्री श्रीभानसिंह : क्या तैयारी है।

श्री दामोदरलाल व्यास : पब्लिक इन्ट्रेस्ट में डिस्क्लोज नहीं कर सकते।

श्री श्रीभानसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो मैं मानूंगा कि माननीय मंत्री महोदय ने पब्लिक इन्ट्रेस्ट को ले लिया है। क्या पब्लिक इन्ट्रेस्ट में पहले एक्शन लिया जा रहा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : जो कानून में तरमीम करना है तो की जायेगी और जो भी स्टेप मुनासिब होंगे लिये जावेंगे टार्गेट्स को पूरा करने के लिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री श्रीभानसिंह : पब्लिक इन्ट्रेस्ट में बताना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनकी तैयारी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : प्रश्न संख्या ४८४ ।

श्री श्रीभानसिंह : मैं फिर निवेदन करूंगा कि गवर्नमेंट की फूड पॉलिसी पर काफी असन्तोष है । इधर फूड ग्रेन्स की प्राइसेज डाउन नहीं हो सकी है और उधर सरकार के टार्गेट्स पूरे नहीं हो सकें हैं । सरकार स्टेट ट्रेडिंग नहीं कर सकी है इसके लिए हाउस की एक दिन की डिबेट रखी जाय ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर): पर्टिकुलरली स्टेट मिनिस्टर इसीलिए गये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : इसके लिए सैपरेट मोशन मूव कर दीजिये ।

श्री पी० के० चौधरी : There is a remedy with us. The House is of the opinion that there should be a dabate on this issue.

श्री दामोदरलाल व्यास : You may put a motion. We shall give a statement.

श्री श्रीभानसिंह : The Chair can take the sense of the House and there can be a debate.

श्री पी० के० चौधरी : If a motion is necessary, then alright I move a motion that a day may be allowed for having a debate on the point of food.

श्री दामोदरलाल व्यास : No Sir, there should be a separate motion.

श्री उपाध्यक्ष : Well then we proceed further.

Sri Bhairon Singh.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : प्रश्न संख्या ४८४ ।

श्री श्रीभानसिंह : मोशन का ऑब्जेक्शन किया यह मेरी समझ में नहीं आया। पिछले टाइम जब ऐसा हुआ था तो हाऊस में मोशन मूव नहीं हुआ था और जब यह डिमान्ड किया गया था कि प्राइसेज फूड ग्रेन्स की ठीक नहीं हैं और प्राइसेज कन्ट्रोल नहीं कर सकें हैं इसके लिए डिबेट रख दी जाय तो उसी कन्टेन्शन को ध्यान में रखते हुए मैं निवेदन करूंगा कि एक दिन के लिए इस सम्बन्ध में डिबेट रख दी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : Order ...

पहले भी नोटिस दिया गया था ।

श्री श्रीभानसिंह : नहीं दिया गया । मैं जानना चाहूँगा कि किसने नोटिस दिया ?

हाऊस ही में इसके लिए डिमान्ड की गई थी ।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भैरोंसिंह ।

बंगाली शरणार्थियों को दी जानेवाली सहायता

४८४. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर – श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार,जयपुर) द्वारा पूछा गया) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(क) क्या यह सही है कि सरकार ने घट्टी कॉलोनी में बसाये गये बंगालियों को कारट डोल देने बन्द कर दिये हैं ? यदि हां, तो क्यों और कब से ?

(ख) सरकार की ओर से इस कॉलोनी में बसाये गये बंगालियों को अब तक प्रत्येक व्यक्ति या परिवार के हिसाब से कब-कब और किस किस कार्य के लिये यह कितनी कितनी किस किस प्रकार की सहायता किन किन शर्तों पर दी है ? कृपया इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ग) क्या यह सही है कि वहां के एग्जीक्युटिव ऑफिसर के द्वारा सामयिक कार्यवाही नहीं करने के कारण काफी भूमि काश्त किये बिना रह गई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

(घ) क्या यह सही है कि विस्थापितों ने वहां के एग्जीक्युटिव ऑफिसर के विरुद्ध आचरण सम्बन्धी व अन्य प्रकार की शिकायतें की हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई है ?

(ङ) क्या यह सही है कि इस कॉलोनी में शिक्षा, स्वस्थ्य, सुरक्षा, सिंचाई पानी व अन्न सम्बन्धी कोई समुचित सुविधा प्रदान नहीं की गई है ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री सम्पतराम) : शरणार्थियों को आर्थिक सहायता (मेंटीनेन्स लोन) सरकार से स्वीकृत योजना के अन्तर्गत बराबर दी गई है व दी जा रही है।

(ख) सम्बन्धित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) ऐसा सोचा गया कि यह अच्छा होगा कि विस्थापित लोग स्वयं ही अपनी जमीन बैलों के द्वारा तैयार करें। मगर अब यह मालूम हुआ कि पूरी भूमि को वे स्वयं तैयार नहीं कर सकते। अतः कृषि विभाग की आवश्यक सहायता ली जा रही है और आशा की जाती है कि शीघ्र ही समस्त भूमि तैयार हो जावेगी। ढ़ाई एकड़ सिंचित भूमि प्रत्येक कृषि परिवार ने तैयार की है और इस समय धान की खेती भी की है।

(घ) शिकायत आई है और कलेक्टर की रिपोर्ट माँगी है। परन्तु यह स्वाभाविक है कि प्रत्येक कमी व कठिनाई के लिए स्थानीय अधिकारी को दोषी ठहराया जाता है। यदि समय पर उनकी इच्छानुसार किसी भी कारण यह सहायता व लाभ की प्राप्ति न हो तो उस स्थानीय अधिकारी को ही निशाना बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त उन परिवारों में कुछ ऐसे व्यक्ति भी कैम्प में आ गये हैं जिनकी गतिविधियाँ संदेहजनक प्रतीत होती हैं अतः ऐसे विस्थापितों पर बड़ा नियन्त्रण रखा गया। हो सकता है कि जिसके फलस्वरूप ही इस प्रकार शिकायत करने का मौका मिला हो।

(ङ) यह सत्य नहीं है कि इस कॉलोनी में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सिंचाई व पानी आदि की समुचित सुविधा नहीं की गई है। सब सुविधाएं इस कॉलोनी में उपलब्ध हैं।

जी हां, इतना अवश्य है कि अभी इसके लिए इमारतें आदि नहीं बन पाई हैं जिसके फलस्वरूप अवश्य कुछ असुविधा का सामना

Page No.36

(श्री सम्पतराम)

करना पड़ता है। इन इमारतों के निर्माण के लिये अब एडमिनिस्ट्रेटिव सेन्क्शन दी जा चुकी है अत: भवन निर्माण विभागद्वारा इनके बनाने का कार्य सम्पन्न किया जा सकेगा।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिए)

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Not audible.

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : २०० परिवारों को क्या बराबर डोल दिया जा रहा है ?

श्री सम्पतराम : जी हां, बराबर दिया जा रहा है।

श्री दयाकृष्ण विजय : यह इन्फोर्मेशन सत्य नहीं है। पहले आने वालों का डोल बन्द कर दिया गया। जमीन भी अभी तक वहां तैयार नहीं हुई है। उनको इसके लिए बराबर परेशानी उठानी पड़ रही है और इसीलिए यह प्रश्न दिया गया है।

श्री सम्पतराम : तकावी वगैरह की सुविधाएं बराबर मिल रही हैं। जहाँ तक मेन्टीनेन्स अलाउन्स का सम्बन्ध है उसको नवम्बर, ५८ तक बढा दिया गया।

श्री पी० के० चौधरी : जिनको जमीन दी है उनको बैल की तकावी नहीं दी तो फिर कैसे काश्त कर सकेंगे ?

श्री सम्पतराम : बिल्कुल गलत बात है।

श्री पी० के० चौधरी : कब दिया, तारीख बताइए ?

श्री सम्पतराम : कब रुपया लिया, किसको दिया गया, क्यों दिया गया, किस काम के लिए दिया गया, २०० फेमिलिज् में उन सब के लिए तारीख बताना असम्भव है। यह डिटेल्स की सूचना है और माननीय सदस्य मौके पर जाकर स्वयं पता लगावें।

श्री पी. के चौधरी : I still maintain that all the people who have been given land have not been given well. Some of them have been given taccavi 80 percent of them have not been given taccavi.

श्री सम्पतराम : यदि किसी खास केस में तकावी न मिली हो कन्डीशन्स पूरी न हों तो इसके फलस्वरूप यह कहा जाय कि सबको नहीं मिली, यह सही नहीं है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अमेजर-पूर्व) : आपने जिनको जमीन दें उनको बैल के लिए भी तकावी देने की नीति रक्खी है ?

श्री सम्पतराम : मैं जवाब दे चुका हूँ, माननीय सदस्य को सुनना चाहिए था।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही कि जो जमीन अलॉट की गई है उसके लिए यह कहा गया था कि जमीन को ट्रेक्टर से तुड़वा देंगे लेकिन अब तक जमीन तुड़वाई नहीं गई और उनसे कहा जा रहा है कि जंगल साफ करो।

श्री सम्पतराम : शुरू में सोचा था कि बैलों से ठीक कर लेंगे। उसके बाद

Page No.37

(श्री सम्पतराम)

एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की मदद ली गई और ट्रक्टरों से ठीक करने की व्यवस्था की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : I think there remain still 10, 12 qusstions.

श्री पी०के० चौधरी : But, Sir, It will be stopped from November.

श्री उपाध्यक्ष : I understand the position. But now there are still 10, 12 questions to be answerd. Only written replies will be given.

श्री दयाकृष्ण विजय : That is a very important puestion Sir.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : हरएक को लिखित उत्तर दे दिये जांय।

श्री दयाकृष्ण विजय : यह कहा गया कि सिंचाई के लिए प्रबन्ध हो गया तो क्या वहां सिंचाई के लिए कोई प्रबन्ध बांध का किया गया है ?

श्री सम्पतराम : हाँ वहाँ इर्रिगेशन का बांध है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए। Written replies of the rest of the questions may be given.

[कृपया परिशिष्ट ८ देखिए]

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए। Rest of the questions......

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : दो तीन प्रश्न स्थगित किये गये थे, उनमें से मेरे भी प्रश्न हैं जो बहुत आवश्यक हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं मजबूर हूं।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Mr. Dy. Speaker Sir, I put a notice regarding Half an hour discussion and I have received the reply. It says that the Government has not taken any decision in the matter and so it will not be admitted for the discussion. The question was to elicit information about the certain facts. The other thing on which the information is required to be elicited, is the exceptional circumstances under which the Government can issue such Notification including area which are three miles away from the Municipality. This reply does not satisfy on this issue.

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Chaudhary, you may see me in the Chamber if it does not satisfy you.

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १६५६

क्लॉज १२

श्रीरामकरण सिंह (कोटपुतली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय में कल इसी क्लॉज़ पर बोल रहा था। इस बारे में श्री सोहनलाल जी भटनागर ने एक अमेन्डमेन्ट रखा है उसके लिये मेरा निवेदन है कि अगर नगर पालिका का रहने वाला भी पंचायत समिति का सदस्य हो सकता है और उसके बाद वह प्रधान भी बनाया जा सकता है, में इसका विरोध करता हूं। मेरा तो यह निवेदन है कि पंचायत

(श्री रामकरणसिंह)

समिति के एरिया में रहने वाले ही सरपंच बनने चाहिये अगर शहर वालों को इसलिये चुना जाता है कि वे गांवों में जाकर किसी प्रकार से विकास में सहयोग दें, गाँवों के विकास में किसी प्रकार की उलझने आयें उनको सुलझायें तो वही व्यक्ति जो उस तहसील में रहता है वही वहां के विकास के लिये फायदेमन्द साबित हो सकता है। इस प्रकार के लोग नहीं होते और पंचायत क्षेत्र के बाहर के लोगों को ले लिया जाता है तो मैं यह मानता हूं, इस प्रकार की पंचायत समितियां बनने और न बनाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। एक व्यक्ति जो प्रधान चुना जाता है वह चुनाव के बाद शहर में आकर रहने लगेगा और वह तहसील के क्षेत्र में जाने की जरूरत नहीं समझेगा, यह बिल्कुल नेचुरल सी बात है। जब उन पर किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा तो वह किसी भी प्रकार से इस काम में दिलचस्पी नहीं लेगा। इस प्रकार की चीजें हमारी पंचायत समिति में जिसको हम शिक्षा का प्रबन्ध दे रहे हैं, उसके द्वारा समाज में परिवर्तन लाने की चेष्टा कर रहे हैं, प्राइमरी एज्युकेशन प्राइमरी हैल्थ सेन्टर जो कि उन्हीं के देख रेख में होगी जिस प्रकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमेन, वह अपने डिस्ट्रिक्ट में रहता हुआ उस काम की। देखभाल करता है, ऐसी बातें इनके लिये लगू हो नहीं सकती। क्योंकि पंचायत समिति का जो प्रधान होगा उसके लिये यह जरूरी होना चाहिये कि वह उसी क्षेत्र का रहने वाला हो ताकि उसके अन्तर्गत जो प्राइमरी एज्युकेशन प्राइमरी हेल्थ सेन्टर आदि कार्य हैं, उनको ठीक प्रकार से देख सके, उसके लिये प्लानिंग वगैरह बना सके। वह वहां रहकर किसी की मदद ले सकता है और विकास के कार्यों को शीघ्रातिशीघ्र करवा सकता है। नगर में रहने वाले व्यक्ति को जो इस अमेन्डमेन्ट द्वारा थोपा जा रहा है, मैं इसके सख्त विरोध में हूं। इसमें हम देखते हैं कि उस मेम्बर के लिये कोई भी पाबन्दी नहीं, वह चाहे जहां रह सकता है, विदेश में भी जा सकता है। इस प्रकार का जो अमेन्डमेन्ट रखा जाता है वह किसी भी प्रकार से पंचायत समितियों को आगे बढ़ने नहीं देगा। आप इस प्रकार का प्रोवीजन उस हालत में रख सकते हैं जब कि आप रूरल एरिया के अन्दर के लोगों को नगरपालिका में आने की क्या अनुमति देते हैं ? यदि नगरपालिका में रूरल एरिया के रहने वाले को लेते हैं तो मैं भी आपके इस अमेन्डमेन्ट का स्वागत करता। इस अमेन्डमेन्ट द्वारा आप यह चाहते हैं कि रूरल एरिया पर आप अर्बन एरिया के लोगों को हावी करना चाहते हैं और इसी भावना को लेकर यह अमेन्डमेन्ट लाया गया है। अगर आप नगरपालिकाओं में इस प्रकार का प्रावधान रखते कि उसमें रूरल एरिया के लोग भी रह सकते हैं तो हम भी इसमें अर्बन एरिया के लोगों के हस्तक्षेप को सहन कर सकते हैं। आप जो इस प्रकार से अर्बन एरिया का प्रभुत्व बनाये रखना चाहते हैं तो वह दिन दूर नहीं जब कि आपको इसमें मुँह की खानी पड़ेगी और हर प्रकार से आपको पीछे हटना पड़ेगा। इसलिये आप किसी भी भावना से ऐसे काम न करें। अच्छा है आप इस प्रकार के अमेन्डमेन्ट को चुपचाप वापिस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष : क्या आप यह चाहते हैं कि मुझे इत्तिला न दें और चुपचाप ही ले लें।

(हँसी)

Page No.39

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्वमन्त्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज १२ में कई माननीय सदस्यों ने अपने अपने अमेन्डमेन्ट्स रखे हैं उसमें से एक संशोधन श्री रामप्रसाद लड्ढा ने रखा है। क्लॉज १२ बी में जो कि अमेन्डमेन्ट नं० ४६ पर है उसको स्वीकार करता हूं केवल उसमें फर्क लेंग्वेज का होगा:—

"Provided that the provision mentioned in sub-Section (1) of sub-clause (ii) shall nct apply to the person coopted under sub-clause (vi) of sub-section (2) of Section 6, if he is not elected as a Pradhan of the Panchayat Samiti to which he is co-opted.

इसी तरह से इसकी भाषा हो जावेगी। इसको तो मैं स्वीकार करता हूं। बाकी ऐसे हैं जो स्वीकार करने लायक नहीं हैं।

म्युनिसिपेलिटी वाला अमेन्डमेन्ट आवश्यक नहीं है क्योंकि जिस तरह से ओरिजिनल क्लॉज में वर्डिंग हैं उससे सेंस कवर हो जाता है।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलुम्बर): यह कोऑप्शन के बारे में नहीं, सब मेम्बर्स के बारे में है।

श्री दामोदरलाल व्यास : म्युनिसिपल एरिया को कम्बाइन कर दिया जावे that will not be proper.

मकान कहीं भी हो, ब्लॉक में हो तो इसमें ऐतराज भी क्या हो सकता है। छोटी बड़ी म्युनिसिपेलिटीज में डिफरेन्सियेट करने की जरूरत नहीं। इसलिये इसको भी मन्जूर नहीं करता।

बाकी और जो संशोधन पेश किये हैं मैं उनको भी स्वीकार नहीं करता। इस तरह एक के सिवाय बाकी के जो संशोधन पेश किये गये हैं आशा है माननीय सदस्य उन्हें विथड्रा कर लेंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मुझे विड्रॉ करने की इजाजत दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष : विड्रा करना चाहते हैं?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Yes sir, I beg leave to withdraw amendment part 2 becaue one has been accepted.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री रामप्रसाद लड्ढा ने क्लॉज १२ में पार्ट (२) जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसको उन्हें वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : I withdraw.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री रामप्रसाद लड्ढा ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है और जिसे मिनिस्टर इन्चार्ज ने स्वीकार कर लिया है उसे स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री सोहनलाल भटनागर : I beg leve of the House to withdraw my amendment.

Page No.40

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सोहनलाल भटनागर ने प्रस्तुत किया उसे उन्हें वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री सोहनलाल भटनागर : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : मैं वापिस लेना नहीं चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय ने जो संशोधन क्लॉज १२ में प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

श्री उपाध्यक्ष : राजा मानसिंह।

राजा श्री मानसिंह (बैर): Not withdrawing Sir.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज १२ पर जो संशोधन राजा श्री मानसिंह ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय। जो पक्ष में हों हां कहें, जो विपक्ष में हों ना कहें।

(दोनों तरफ से कोई नहीं बोला)

Both Sides are silent.

I may again put it.

प्रश्न यह है कि क्लॉज १२ पर जो संशोधन राजा श्री मानसिंह ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

I hope you don't understand the language.

राजा श्री मानसिंह : This is the first time.

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : वे इन्टरेस्टेड नहीं थे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज १२ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज १२ संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

Then I come to Clause 6-B, deferred Clause.

राजा श्री मानसिंह : On a point of Order Sir. According to Rule 264, Notice of an amendment to a Motion shall be given one day before the day on which the motion is to be considered, unless the Speaker allows the amendment to be moved without such notice. And no doubt some of the Hon'ble Members have moved amendments and you

Page No.41

(राजा श्री मानसिंह)

have given them permission to move their motion. But you have not given indication to the House that all amendments received within their notice period would be considered and therefore I move that it may be considered to-morrow and not today.

श्री सोहनलाल भटनागर : कल इसलिये डेफर किया गया था कि लोग अमेन्डमेन्ट मूव करना चाहते थे। जिन्होंने किये वे आज हमारे सामने भी आ गये हैं। अब इसे पोस्टपोन करने की क्या आवश्यकता है ?

राजा श्री मानसिंह : Sir, your instructions in the clause to be deferred were given at 4. 30 p.m. in the evening and 'one clear day before' has not been able to be availed of.

श्री उपाध्यक्ष : You have referred to Rule No. 264. But that concerns to Notice of amendments—'Notice of an amendment to a Motion shall be given one day before the day on which motion is to be considered... It is not applicable here. For your information I may say, refer Rule 71. It can be applied here in this case. But so far as your amendment is concerned, I have accepted.

राजा श्री मानसिंह : The opportunity has not been given to other Hon'ble Members to move Sir.

श्री उपाध्यक्ष : How can we anticipate it. There was ample opportunity to move their amendments. So I take Clause 6 B.

राजा श्री मानसिंह : Then you mean that who anticipate if a clause is to be deferred and taken before the time is allotted, you can call...

श्री उपाध्यक्ष : No. No. 6-B addition was before the House and it was moved yesterday and then deferred...

राजा श्री मानसिंह : It was only at 4.30 p.m. in the evening.

I appeal to the Chair that those members who desire to commit their amendments will be permitted to do.

श्री उपाध्यक्ष : Yes I will consider it.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : But that will not prevent me from objecting him on these amendments.

श्री सोहनलाल भटनागर : जो नया क्लॉज इन्सर्ट करना चाहता हूं वह इस प्रकार है :

'6B. Associate Members of Panchayat Samitis:—

(1) Every member of the Legislative Assembly of the State shall, for so long as he continues to be such member, be an associate member of the Panchayat Samiti of each block which wholly or partly, lies or is included in, or forms part of, the constituency from which he has been

(श्री सोहनलाल भटनागर)

elected to the State Legislative Assembly.

(2 Such associate members shall have the right to attend the meetings of each Panceyat Samiti of which he is such member and to take part in the deliberations there at but shall not have the right to vote or to be elected as the Pradhan or Up-Pradhan of any such Panchayat Samiti or as the member or Chairman of any standing committee thereof'.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में दो विचारधाराएं हैं और दोनों ही एक्स्ट्रीम पर हैं। इन दोनों विचारधाराओं के बीच का नया वाया मीडिया मैंने प्रस्तुत किया है। यह सही है कि दोनों विचारधाराओं में तथ्य हैं। तो हम आज जो विकास कार्यों में तीव्रता लाने के लिए, नया उत्साह लाने के लिए जो नई व्यवस्था करने जा रहे हैं...

श्री श्रीभानसिंह : अब तक नया जोश और नया उत्साह कहां था ?

श्री सोहनलाल भटनागर : माननीय उपाध्यक्ष, यह बहुत जरूरी है कि जिस परिस्थिति में एम० एल० ए० है, जैसा उसका सम्पर्क है, जैसा उसका अनुभव है, अगर वह समितियों में जाता है तो काफी मदद ही अपने अनुभव से उन कार्यों में दे सकेगा जो विकास के लिए जरूरी हैं और जिनके लिए समितियों का निर्माण करने हम जा रहे हैं। पर इसके साथ यह भी है कि फुलफ्लैज्ड वोटिंग आदि का अधिकार दिया जाना ठीक नहीं होगा। जिस स्थिति में वह है उसमें वह अधिकार देना अनुपयुक्त है। इसलिए मेरे ख्याल से वोट वे न दें और दूसरी जो समितियां या उपसमितियां वहां हों उनमें वे न जावें और प्रधान या उपप्रधान वे न बनें। वे केवल अपने अनुभव का जो लाभ हो सकता है वह पंचायत समितियों को बतावें। इससे कोऑर्डिनेशन भी ठीक बैठेगा।

कई माननीय सदस्य यह कह सकते हैं कि खाली एक विधान सभा के सदस्य के इतना एक्सपीरीयन्स नहीं है। कई सदस्य ऐसे हैं कि जो पंचायत समिति के प्रधान या उपप्रधान बनेंगे उनसे भी एक्सपीरीयन्स कम हो सकता है लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रशासन के अन्दर, यहां विधान सभा का सदस्य कुछ न कुछ हिस्सा लेता है और यदि वह डिबेट वगैरह में ठीक तरह से भाग न ले तो विधान सभा के अन्दर जो उसका संसर्ग सरकार के साथ है उस दृष्टिकोण से जो उसकी इन्टेलीजेन्स हैं उस पर जरूर कुछ न कुछ असर पड़ेगा। इसलिए उसको एसोशियेट मेम्बर कर दिया जाये तो दोनों ही प्वाइन्ट मिल जायेंगे और विकास कार्य में भी इससे ठीक प्रकार से तीव्रता आ सकेगी।

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा सिर्फ, इतना सा संशोधन है :

Omit the words 'or as the Member or Chairman of any Standing Committee thereof' occurring in sub-clause (2) of the clause.

Page No.43

(डॉ० बहादुरसिंह)

बात यह है कि हमने उसका मेम्बर तो बना दिया पर १ परसेंट ऐसी परिस्थिति आ जाये कि वहां पर ऐसी सब-कमेटी बने और उसमें अगर एम० एल० ए० को रखा जाये और वहां वह ठीक उपयुक्त हो तो इस क्लॉज के अनुसार मेम्बर नहीं रह सकेगा। इसलिए जो सब-कमेटीज वगैरह बनें उसमें प्रतिबन्ध नहीं रखना चाहिए कि एक एम० एल० ए० उसमें सदस्य नहीं हो सकता। क्योंकि आप कह सकते हैं कि मेम्बर वहां जाकर के राजनीति में भाग लेने लगेगा। लेकिन जो सब-कमेटीज बनेंगी उनके अन्दर उसका सदस्य बनने का जो आप प्रतिबंध लगा रहे हैं यह उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि जो अमेन्डमेंट माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो मेरा यह संशोधन है इस पर विचार करें। क्योंकि वहां पर एक सब-कमेटी बनेगी तो उसमें उसको रखने से विशेष बात नहीं होगी। अगर सपोज करिये कि विकास कार्यों के लिए कोई सब-कमेटी बनाना चाहते हैं कि जिसमें विधान सभा का मेम्बर भी कुछ राय दे वह उसका सदस्य बन जाता है तो विशेष असर वहां की स्थिति पर नहीं पड़ता है इसलिए यह संशोधन स्वीकार करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो अमेन्डमेंट है...

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर। माननीय उपाध्यक्ष, जो अभी अभी माननीय सदस्य ने जब अमेंडमेंट मूव किया तो मैंने उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लिया था क्योंकि माननीय उपाध्यक्ष महोदय की कल रूलिंग हो चुकी थी। लेकिन उस निर्णय से यह नहीं होता कि जो अमेन्डमेन्ट्स अब माननीय सदस्यों ने मूव किए हैं उनकी नेचर देखी जाये, जैसा माननीय सदस्य श्री पी० के० चौधरी या ऑनरेबल श्री तनसिंहजी का या राजा श्री मानसिंह का है, उनको देखा जाए तो यह देखना पड़ेगा कि यह किस नेचर के हैं और क्या हाउस ने प्रीवियसली इन अमेन्डमेन्ट्स पर डिसीजन लिया या नहीं। यहां पर मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा कि जो अमेंडमेंट्स मूव किए थे माननीय सदस्य श्री लक्ष्मण हीरात और श्री नारायणसिंह जी ने और एक माननीय सदस्य का शायद और था उनको एक्टिव मेम्बर्स बनाने के लिए, और वे अमेन्डमेन्ट्स हाउस ने रिजेक्ट कर दिए थे और रिजेक्ट किया किस तरह से कि जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं, वह यह कहते हैं कि जबकि क्वेश्चन हाउस के लिए पुट कर दिया जाता है और हाउस की वोट ले ली जाती है, यस और नो के लिए, उसको रिजेक्टेड माना जाता है और उसको हाउस की ओपीनियन एक्सप्रेस की हुई मानी जाती है। दोनों अमेन्डमेन्ट्स पर जब हाउस ने नो कह दिया और उसके बाद में वे अमेन्डमेन्ट्स गिर गए तो अब उस जगह में इनको टेबल किया जाये तो मतलब यह होगा कि उन्हीं इश्यूज को, जिन पर हाउस ने डिसीजन दे दिया नेगेटिव के अन्दर, कह दिया कि हाउस इन अमेन्डमेन्ट्स को एक्सेप्ट करने की पोजीशन में नहीं तो फिर उन अमेन्डमेन्ट्स को अब कैसे टेबल किया जा सकता है, मेरा यह निवेदन है। बहुत से माननीय सदस्य ऐसा कह सकते हैं कि उन्हीं अमेन्डमेन्ट्स के ऊपर

(श्री श्रीभानसिंह)

एप्लाई होता है जिन पर माननीय सदस्यों ने अमेन्डमेन्ट्स विड्रॉ किए थे और जो रूल्स विड्राअल में एप्लाई होते हैं वह इसके अन्दर एप्लाई नहीं होते हैं। मेज पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस में यह है कि जो अमेन्डमेंट्स मूव नहीं किए हैं याने it is considered as not moved. जब तक कि हाउस का वोट नहीं हो जाये और क्वेश्चन भी जो है वह माननीय अध्यक्ष जो हाउस के लिए पुट करते हैं वह यह है, 'Is it the leave of the house to withdraw the amendment' और उधर जो क्वेश्चन पुट किया जाता है वह क्वेश्चन क्लियरली यह पुट किया जाता है हाउस के डिसीजन के लिए तो विड्रॉअल की हाउस ओपीनियन एक्सप्रेस नहीं करता। विड्रॉअल का अमेन्डमेन्ट फिर भी आ सकता है लेकिन जिसके लिए हाउस ने पहले 'नो' कह दिया इसलिए वह अब टेबल नहीं किया जाये......

श्री उपाध्यक्ष : Your contention is that the amendment moved by Shri P. K. Chaudhary and R. M. are identical with that of Shri Narain Singh and Shri Lakshman Hirat.

श्री पी० के० चौधरी : Both the amendment of Shri Narain Singh and Lakshman Hirat—they withdrew their motion.

श्री श्रीभानसिंह : I think the Hon'ble Member was not present when it was put.

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय उपाध्यक्ष, मेरा निवेदन करना है कि एक क्वेश्चन जो एक बार हाउस में डिस्कस हो जाये और वह एक बार पास हो जाये या उसको वोट आउट कर दिया, लेकिन जिस प्रकार हाउस कॉम्पीटेन्ट है कि अपने पास किए क्लॉज में कोई भी अमेन्डमेन्ट कर सकता है ऐसी परिस्थिति में जो लाया गया है वह इसी दृष्टिकोण से लाया गया है कि इस प्रकार की बहस होते हुए भी इस प्रकार की मन्शा हाउस की है कि इसको लिया जाये और ऐसी अवस्था में जब एक क्वेश्चन री-ओपिन होता है तो जो भी प्रपोजल है उसमें अमेन्डमेन्ट करने का उसी तरह से राइट है जिस तरह से पहले का है।

श्री उपाध्यक्ष : To be re-opend with the leave of the House ?

श्री पी० के० चौधरी : No Sir. Even if that question was put, the clause was regarding full fledged membership. The amendments were regarding fullfledged member that it will not have a voting right.

श्री उपाध्यक्ष : Your contention is that they are not identical, so far as legal position is concerned.

श्री पी० के० चौधरी : Pardon.

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Sribhan Singh has placed a legal position that once it has been rejected and the House has considered. So to that extent you concede ?

श्री पी० के० चौधरी : I concede so far as 6 B. It was regarding full fledged members and if the House has taken decision it was about the full

(श्री पी० के० चौधरी)

llleged membership. This is a new clause regarding Associate Membership. Any amendment can be moved. It was not asked for consideration at that time.

श्री श्रीमानसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि क्लॉज नया है और अमेन्डमेन्ट्स भी उसमें मूव किये जा सकते हैं मगर क्या वे अमेन्डमेन्ट्स मूव किये जा सकते हैं कि जिनको हाउस ने रिजेक्ट कर दिया और जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि फुलफ्लेज्ड मेम्बर, तो क्या फुलफ्लेज्ड मेम्बर वह कोई वैक्यूम में तो है नहीं। They have certain rights and right of voto is essential for the associate member and the house has rejected.

अब वह रिजेक्ट कर दिया तो इस स्टेज के ऊपर इस पर अमेन्डमेन्ट हो सकता था 'delete the Clause,' या वह अमेन्डमेन्ट हो सकता था जो की हाउस के....

श्री उपाध्यक्ष : I understand that position Raja Shri Mansingh, are you to explain? The legal position is against you also.

राजा श्री मानसिंह : My amendment is entirely different from the amendment that have been placed befor the House.

श्री सोहनलाल भटनागर : माननीय उपाध्यक्ष, अगर राजा मानसिंह ने जो अमेंडमेंट दिया है वह रह जाता है तो उसके बारे में कोई निर्णय दे दें तो एक दूसरी बात मेरी ओर है कि According to Rule 263, an amendment shall be relevant to and within the scop of, the motion to which it is proposed......

यह है रूल २६३। तो उसमें अगर आपके अमेंडमेंट को देखेंगे तो बिल्कुल डिफरेन्ट है।

श्री पी० के० चौधरी : On a Point of Order Sir. Raja Man Singh's amendment has not come before the House.

राजा श्री मानसिंह : The question before the House is that...

डॉ० बहादुरसिंह : राजा मानसिंह ने ने मोशन मूव नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष : So far as the legal position is concerned, we may decide it is a whole. Yes which rule you were referring?

श्री तनसिंह : श्रीमानसिंहजी ने जो रूल बताया है।

श्री श्रीमानसिंह : The Hon'ble Member should be prevented from pointing at me.

श्री सोहनलाल भटनागर: Rule 263. भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य का और मेरा अमेंडमेंट है वह क्वाइट रेलेवेन्ट है।

श्री उपाध्यक्ष : Is it Rule 262.?

Page No.46

श्री सोहनलाल भटनागर : २६३, सर। आप चाहते हैं कि मेम्बर ऑफ दी असेम्बली ..

राजा श्री भानसिंह : My amendment is an amendment which he has moved. When his amendment is debarred under this particular section he wishes to disqualify his own amendment...

श्री पी० के० चौधरी : I refer it to Rule 272. The amendment shall not be consitent on the same question. The question was about fullfiedgel membership. Now the question is about Associate Membership. So the question is quite different and as such the question cannot be inconsistent because the House cannot anticipate about the motion,

महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व) : श्रीमान्, इस सम्बन्ध में जब क्लॉज ६ पर बहस हो रही थी तो ऐसी तरमीम पेश हुई थी एम० एल० एज० को पंचायत समिति का मेम्बर बनाया जाय। उस पर बहस होने के बाद निर्णय हो चुका है। और निर्णय के बाद दुबारा स्पेसिफिक मोशन नहीं है। जब तक हाउस में वह न रक्खा जाय तब तक बहस नहीं हो सकती है। इसके लिए २७० देखिए।

श्री श्रीभानसिंह : Which Please ?

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : २७० (४)। A Member while speaking shall not reflect on any determination of the House except on a motion for rescinding it ?

श्री उपाध्यक्ष : २७४ ?

श्री महेन्द्रसिंह : २७०, सब-रूल ४।

श्री तनसिंह : इसका मतलब यह है कि बहस नहीं हो सकती।

श्री श्रीभानसिंह : आपने क्या पॉइन्ट रखा था।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : श्रीमान्, क्लॉज ६ पर जब बहस हुई थी वह बात आ चुकी है और हाउस का निर्णय हो चुका है। अब उस बात पर बोल नहीं सकते हैं जब तक कि एक स्पेसिफिक मोशन हाउस में लाकर उसको रद्द नहीं किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : I treat that the amendment moved by Shri P, K. Chaudhary is not identical with those rejected.

श्री पी०के० चौधरी : Then Sir....

श्री श्रीभानसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, आइडेन्टिकल लेन्वेज में....

श्री पी० के० चौधरी : Ruling is here Sir.

श्री श्रीभानसिंह : I am raising another Point of Order.

श्री उपाध्यक्ष : Yes let me hear that.

श्री श्रीभानसिंह : I am raisign another Point of Order...

(श्री श्रीभानसिंह)

जहां तक आइडेन्टिकल का प्रश्न है मैं आपके ऑब्जरवेशन और रूलिंग को मानता हूँ। मैं यह मान सकता हूँ कि लेन्वेज के अन्दर आइडेन्टिकल नहीं है लेकिन उनके एमेंडमेंट की इन्टेंशन क्या है। उनकी इन्टेशन यह है कि जो मेम्बर्स होने चाहिए वह फुल फ्लेज्ड मेम्बर होने चाहिए। उनको राइट ऑफ वोट होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : Yes Mr. Shribhan Singh, my observations even extend to the fact that even the intention and the spirit of the amendment moved by Shri P. K. Chaudhary is not identical.

श्री पी० के० चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो अमेंडमेंट है वह क्लॉज़ ६-बी के पार्ट (ii) में है पार्ट (ii) है :—

'.........that he shall have the right to vote or to be elected as the Pradhan or Up-pradhan of any such Panchayat Samiti or as the member or Chairman of any standing committee thereof.' यहां पर जो the word 'to vote or' is to be deleted and add the words 'and to vote in all matters coming up before Panchayat Samiti for consideration.'

After redrafted read like this......

श्री श्रीभानसिंह : On a point of Order Sir. I draw your attention to Rule 272. That may not be identical but I would like to have your observations whether this amendment will not be inconsistent with the decision taken by this House. I would like to know your decision whether the question decided by the House previously rejecting the amendments of Shri Lakshman Hirat, Shri Narain Singh and Dr. Bahadur Singh probably......

डॉ० बहादुरसिंह : मैंने तो विड्रा किया था।

श्री श्रीभानसिंह : जो क्वेश्चन रेज हुआ था कि लेंग्वेज जो हाउस ने एक्सप्रेस की है और अब जो एक्सप्रेन ओपिनियन हाउस की करवाना चाहते हैं वह इनकन्सिस्टेन्ट है या नहीं....

श्री पी० के० चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय ..

राजा श्री मानसिंह : According to May's Parliamentary Practice the question must remain again...rule is to seek by raising an amendment by verbal alterations and essential persons 'opinion has been negatived'.

This is the principle according to which the House should proceed.

श्री पी० के० चौधरी : Yes, The question as was referred when the House was considering the composition of the Panchayat Samiti, it was just different question.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : श्रीमान् अमेंडमेंट नं० ६६ को देख लिया जाय जो

Page No.48

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

कि श्री रामप्रसाद लड्ढा ने मूव किया था क्लॉज़ ६ में एक तीसरी सब-क्लॉज़ एड करने के लिए।

राजा श्री मानसिंह : There is another motion. He wants a decision to sub-clause—Members of the Legislative Assembly in the block and that was rejected by the House.

श्री तनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रूल ७२ जिसके लिए यहां पर एतराज़ उठाया गया वह यहां एप्लाई नहीं होता है! इसलिए नहीं होती है कि कि एडमिसिबिलिटी के सिलसिले में निर्णय करना है तो वह तो एडमिट हो गया है और सरक्यूलेट हो गया है और वह सब लोगों के पास में गया है। वह अमेंडमेंट एडमिट हो गया है। रही मूव करने की इजाज़त अगर वह २६७ में आती है तो उसको एप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अमेंडमेंट जो भेजते हैं तो उसकी स्क्रूटिनी होती है उसके बाद में वह माना जाता है। चेयरमैन, डिप्टी स्पीकर या स्पीकर जिस किसी ने भी सेन्क्शन दी हो। जब कि एक बार एडमिट होकर अमेंडमेंट सरक्यूलेट हो गया है तो उसके बाद में रूल ७२ एप्लाई नहीं होता है।

श्री पी० के० चौधरी : Motion has already been moved and the question is under discussion. Rule 270 applies to admissibility....

श्री उपाध्यक्ष : Just to supplement my previous observation I rule that the amendment moved by Shri Chaudhary are not inconsistent with the previous clause.

श्री पी० के० चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष, पार्ट (ii) एड करने के बाद क्लॉज़ ६-बी की सब-क्लॉज़ (२) इस तरह से रीड करेंगे :—

'Such associate members shall have the right to attend the meetings of each Panchayat Samiti of which he is such member and to take part in the deliberations thereat but shall not have the right to be elected as the Pradhan or Up-Pradhan of any such Panchayat Samiti or as the member or Chairman of any standing committee thereof and to vote in all matters coming up before Phnchayat Samiti for consideration.'

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो क्लॉज़ है और यह जो पंचायत समिति बिल है उसको जब हम कंसीडर करते हैं तो बहुत सी बातें हमारे सामने नहीं रहती हैं और उसके एक करेक्ट प्रोस्पेक्टिव में देखने की कोशिश नहीं करते हैं, हालांकि जैसा मैंने पहले कहा है बिल को देखने से यह मालूम होता है कि इसमें....

श्री उपाध्यक्ष : You are giving an opportunity for another point of order.

(हंसी)

श्री पी० के० चौधरी : No Sir. No scope for another point of order. He shall have a right of vote for

(श्री पी० के० चौधरी)

all matters coming up before the Samiti for consideration.

उपाध्यक्ष महोदय, जो लोकल बोडीज़ हैं हम पंचायत समितीज़ को लोकल बोडीज़ की डेफिनेशन में लाते हैं, लेकिन प्रेक्टिकली देखेंगे तो पंचायत समिति...

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : मैं पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर पर आपत्ति उठाता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : I think we don't appear to be in a mood to dispose of clause 6 B.

श्री महेन्द्रसिंह पवार : अमेन्डमेंट ६४ मेरे ध्यान में लाया गया है, श्री नारायणसिंह का उस पर वोट हुआ है और रिजेक्ट हुआ है। उसमें यह कहा गया था कि लेजिस्लेटिव असेम्बली के मेम्बर्स जो उस ब्लॉक में हैं उनको पंचायत समिति में रखा जायेगा। इस बारे में हाउस का निर्णय हो चुका है कि उनको नहीं रखा जायेगा...

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Panwar, you are drawing my attention to the facts. I have given my ruling on the principle

श्री महेन्द्रसिंह : पंवार On facts.

श्री उपाध्यक्ष : On principles and also if you would like to analyse the facts, I am not prepared to accept them. I have decided the principle based on facts.

श्री पी० के० चौधरी : You have decided the principle, not the facts.

श्री उपाध्यक्ष : I would not like that my attention may be invited to facts.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : आप इसको एक बार देख लें।

श्री उपाध्यक्ष : I am reluctant to go through.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : सदन की बात का आदर करना होगा।

श्री पी० के० चौधरी : At present the clause reads like this :—

"Such associate Members shall have the right to attend the meetings of each Panchayat Samiti of which he is such member and to take part in the deliberations thereat but shall not have the right to vote..."

My amendmen is that delete the words "to vote or" and add the words "and to vote in all matters coming up before Panchayat Samiti for considdration" after the word "thereat"

The clause will then read as under :

"(2) Such associate members shall have the right to attend the meetings of each Panchayat Samiti of which he is such member and to take part in the deliberations thereat and

Page No.50

(श्री पी० के० चौधरी)

to vote in all matters coming up before Panchayat Samiti for consideration but shall not have the right to be elected as the Pradhan or Up-Pradhan of any such Panchayat Samiti or as the member or Chairman of any standing committee thereof."

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को जब हम कंसीडर करते हैं तो एक्च्युअली लोकल बोडीज और पंचायत समिति में कुछ तफावत है। आज तक लोकल बोडीज के पास डेवलपमेन्ट का काम नहीं रहा है लेकिन पंचायत समिति को स्टेट गवर्नमेन्ट का काम जो है वह भी दिया जा रहा है, स्टेट गवर्नमेन्ट का काम भी हम पंचायत समिति के ज़रिये कराना चाहते हैं। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग लोकल बोडीज़ का जो काम था वही काम इसको नहीं दे रहे हैं बल्कि उससे आगे बढ़कर कांस्टिट्युशन के अंडर में स्टेट गवर्नमेन्ट को डेवलपमेन्ट की सारी बातों के लिये रेस्पोन्सिबल किया है। गवर्नमेन्ट शुड डू दिस और डू देट और वह सारा का सारा काम स्टेट गवर्नमेन्ट खुद न करके they are getting it done through this executive machinery. नयी बोडी क्रिएट करके उसके ज़रिये कराना चाहती है तो पंचायत समिति और ऑर्डिनेरी लोकल बोडीज़ के फंक्शन्स और करेक्टर में फर्क है। ऑर्डिनेरी लोकल बोडीज़ के फंक्शन्स और पॉवर का जो स्कोप है उससे पंचायत समिति के पॉवर्स, स्कोप और फंक्शन्स कहीं ज्यादा हैं। कोई नहीं बता पावेगा कि आज तक किसी भी लोकल बोडीज़, को पंचायत समिति के जरिये जितने काम करना चाहते हैं राइट फ्रोम प्रोडक्शन टू डिस्ट्रिब्युशन ये उससे नहीं कराये जाते हैं। लोकल बोडीज़ का काम सेनिटरी इन्तज़ाम करने का और थोड़ा बहुत सड़कें आदि बनवाने का रहा है लेकिन पंचायत समिति के पास जो काम हैं वे right from production to distribution programme सारा डिस्ट्रिब्यूशन प्रोग्राम इससे एग्ज़ीक्यूट कराना चाहते हैं तो आज तक जो कोरस्पेन्डिंग स्कोप और फंक्शन दोनों के हैं उन दोनों में डिफरेन्स है। दे आर नोट आइडेन्टिकल। जिनको लोकल बोडीज़ मानते हैं उनके और पंचायत के आइडेन्टिकल फंक्शन्स नहीं हैं। एम० एल० एज़० को इसमें नहीं रखना चाहिये इसलिये कि इनके फंक्शन्स लोकल बोडीज़ के हैं और एम० एल० एज़० का चुनाव स्टेट गवर्नमेंट को चलाने के लिये हुआ है इसलिये एम० एल० एज़ को एक्स ऑफिशियो लोकल बोडीज़ में नहीं लेना चाहिये क्योंकि लोकल बोडीज़ लोकल अफेअर्स को डील करते हैं। लेकिन आज हमारी प्लान्ड इकोनोमी है। इंडिया हेज लान्ड फाइव ईयर प्लान्स जो स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू इम्पलीमेन्ट होंगे और स्टेट गवर्नमेन्ट को डाइरेक्ट और कंट्रोल एम० एल० एज़० करते हैं। पार्लियामेन्टरी प्रोसीज़र बाइ क्वेश्चन्स, इन्टरपेलेशन्स, रिप्लाइज़ एक्सेट्रा और एग्जीक्यूटिव को डाइरेक्ट करते हैं we direct the executive. अब यह जो लोकल डवेलपमेन्ट का काम है उसको आज लोकल डवेलपमेन्ट कहना गलत रहेगा। ये सारे ऐसे डवेलपमेन्ट वर्क हैं जिनके लिये प्लान्ड इकोनोमी में पंचायत समितीज़ का एक इन्स्ट्रूमेन्ट क्रिएट किया है। We have developed a new instrument for implementation of Plan programme.

उपाध्यक्ष महोदय, बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट देखेंगे तो जैसा कि मैंने पहले आपके सामने बतलाया था, कॉम्युनिटी

(श्री पी० के० चौधरी)

डवेलपमेन्ट का प्रोग्राम फेल हुआ, it was planned programme, not local. एन० ई० एस० लोकल नहीं थे लेकिन सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने पार्लियामेन्ट की एप्रूवल से किया। that was a national plan इसका डाइरेक्शन विल बी सेन्ट्रेलाइज्ड। जब लोगों की तरफ से इनिशियेटिव नहीं मिला तब जाकर यह नया हथियार तैयार किया गया जिसको नाम दिया पंचायत समिति का। उसको स्ट्रिक्टली स्पीकिंग लोकल बोडी नहीं कह सकते। इसलिये लोकल बोडीज़ के पॉइन्ट को लेकर एम० एल० एज० को नहीं लेना चाहिये, यह कंसिस्टेन्ट नहीं है।

दूसरी बात यह आती है कि एम० एल० एज० बौसिंग करेंगे। एम० एल० एज० को पंचायत समिति में नहीं लेने के लिये दो पॉइन्ट्स बताये गये। एक तो यह कि वे विधान बनाने के लिये चुने गये हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि एम० एल० एज० सिर्फ विधान बनाने के लिये ही नहीं हैं लेकिन एग्जेक्यूटिव को डाइरेक्शन देने के लिये भी है By our questions, replies and interpellations we give directions to the executive. We direct them in proper way. तो हमारा काम कानून बनाने का नहीं है, लेकिन कानून बनाने के साथ साथ एक्जीक्युटिव को कंट्रोल करते हैं। The executive is responsible to u यही नहीं कि कानून बनाते हैं तो खाली जुडिसियल वर्क के लिए हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे पास और भी काम हैं It will be executive which will be answerable to the M. L. A, s यह कहना कि एम० एल० एज० कानून बनाते हैं, इसलिए यहां बैठ कर कानून बनाने चाहिए और उन्हें और कोई काम नहीं करना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि जो कानून बनता है, तो वह कोई हवा में कानून नहीं बनता है, जब तक एम०एल० ए० वर्क को नहीं देखेगा, उसमें पार्टीसिपेट नहीं करेगा, तो कानून बनाने के लिए उसे एक्सपीरियेन्स कहां से मिलेगा? प्रेक्टीकल तजुर्बा उसे कहां से हो सकता है? वह थ्योरिटिकल आर्ग्युमेंट पेश कर सकता है, लेकिन इससे प्लान बनाने में सहायता नहीं दे सकता, प्लानिंग इकॉनोमी नहीं कर सकता, विकास के कार्य नहीं कर सकता।

दूसरा सवाल लाया जाता है कि एम० एल० ए० इन लोकल बाडीज़ में क्या जाय, वह एक्स ऑफिसियो मेम्बर होकर क्या जाय, इलेक्टेड आदमी आने चाहिए। मैं निवेदन करूं कि इसमें सबसे पहला कारण है कि लोकल बाडीज़ नहीं हैं: First and foremost puestion is, it is different from local body. This is a new body we have created to implement our plan programme, our production programmes and our distribution programmes. हमारे सारे गांव के विकास के प्रोग्राम हैं, उसके एक्जीक्यूशन के लिए हैं It is an executive body. It is not merely a local body. तो इसलिए उसको क्रियेट किया है। दूसरे जो प्लान हैं, उसके लिए यह जो बाडी है, उसके लिए मिसाल के तौर पर कहना चाहता हूं कि इन बाडीज़ को कम्पलीटली लोकल बाडीज़ मानलें इनके ऊपर सेन्ट्रल डाइरेक्शन नहीं रहे और इलेक्टेड रिप्रजेन्टिव की तरफ से डाइरेक्शन न मिले तो प्लान इकॉनॉमी का इनके जरिये एक्जीक्यूशन नहीं हो सकता। If you come to the logic conclusion....

(श्री पी० के० चौधरी)

और लोजीकली कन्क्लूजन पर जाकर कहेंगे These local bodies are clearly autonomous. They can do what they like and then you cannot have national planning, State planning or State programmes. तो सारे के सारे प्रोग्रामों में There should be some cohesion, some central relationship. और वह रिलेशनशिप जो है, वह प्रोवाइड करेगा एम० एल० ए० । सवाल यह सवाल आता है कि एशोसियेट मेम्बर होकर यहकाम कर सकता है तो क्या जरूरत है वोट का अधिकार देने की । उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अमेंडमेंट यह है कि एम० एल० ए० द्वारा चूंकि लोकल टेलेन्ट को इम्प्रूव करना चाहिए, इसलिए उसको पदाधिकारी नहीं होना चाहिए, पंचायत समिति का चेअरमैन नहीं होना चाहिए लेकिन यह कहे कि मेम्बर तो रहे लेकिन वोट नहीं देगा, तो इसका मतलब यह होता है, उपाध्यक्ष महोदय, He refuses to shoulder the responsibility.

आप किसी मीटिंग में शरीक होते हैं, भाषण देते हैं और जब वहां कोई डिसीजन लेते हैं और वह डिसीजन गलत हो जाय तो आप कहेंगे, मैं क्या करूं, मेरा राइट ऑफ वोट नहीं है और अगर डिसीजन सही हो जाय तो कहेंगे कि मैंने गाइडेंस दी, इसलिए यह सही हुआ। तो किसी का किसी बोडी को किसी मीटिंग में शरीक होने की इजाजत देना, उसमें वर्क करने देना और उसको राइट ऑफ वोट न देने का मतलब यह होगा कि You give him full liberty to behave उसकी, जैसी उसकी मर्जी चाहे, बिहेव करने की इजाजत देते हैं। उसका इररेस्पॉन्सिबल वे में बिहेव करने की इजाजत देते हैं तो डेमोक्रेसी का जो फर्स्ट और फोरमोस्ट तरीका है वह यह है कि एक इलेक्टेड बोडी बनाते हैं, कोई कमेटी बनाते हैं तो उसमें किसी आदमी को डेलीबरेशन्स में पार्टीसिपेट करने का मौका देते हैं, किसी एडवाइजरी स्थिति में बराबर पार्टीसिपेट करने का मौका देते हैं, then he must shoulder the responsibility of the decisions taken at that meeting.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार: On a point of information sir. माननीय सदस्य यह बात कह रहे हैं वे यह मान कर कह रहे हैं कि लेजिस्लेचर को बनाने के लिए अधिकार दिया है!

श्री पी० के० चौधरी : I am talking on clause 6 B. मेरा अमेंडमेंट यह है कि ६ बी में एम० एल० ए० को एशोसियेट मेम्बर बना दिया, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि यदि वह किसी कमेटी में वर्क करता है, और उसे राइट ऑफ वोट नहीं देते हैं तो उसका मतलब यह होता है You make him completely irresponsible. He can talk any damn nonsense there. मैं कोई सुझाव दे दूं और मान लीजिये कि वह सुझाव मंजूर कर लेते हैं....

श्री भानसिंह : One can talk nonsense even otherwise. Who prevents him?

श्री पी० के० चौधरी : वह कमेटी में जाता है और वहां गलत सुझाव मंजूर होता है तो उसका कहने का मौका रहता है कि मैं इस डिसीजन में शरीक नहीं था ultimately the right of vote decides whether

(श्री पी० के० चौधरी)

a person effectively participates in it or not.फन्डामेन्टली यह गलत है। अगर यह करेंगे तो आप एम० एल० ए० को ईर्रेस्पॉन्सिबल होने का मौका देते हैं। इससे तो बेहतर होगा कि इस क्लॉज् को मंजूर न किया जाय। अगर एसोशियेट मेम्बर बनायेंगे और वहां कोई गलत फैसला हुआ तो वह कहेगा कि यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मुझे राइट ऑफ् वोट नहीं है। तो मैं समझता हूं कि वोट का राइट होते हुए वोट न देना और वोट का राइट नहीं हैं इसलिए वोट नहीं देना, इसमें फर्क आता है। इसलिए मैं समझताहूं कि यह काफी इम्पोरन्टेट है एन्ड इट इज् नेसेसरी। अगर आप एसोशियेट मेम्बर बनायेंगे तो राइट ऑफ् वोट देना चाहिए। अगर आप राइट ऑफ् वोट नहीं देना चाहते हैं, तो मैं कहूगा कि फिर एसोशियेट मेम्बर नहीं बनाना चाहिए। मैं चाहूंगा कि इस परिस्थिति को जिन्होंने महसूस किया है, वे जानते हैं कि मेरा अमेंडमेंट, जिसमें यह है कि राइट ऑफ् वोट होना चाहिए, मंजूर करना चाहिए।

एक बात यह कही गई कि पंचायत समिति में एम० एल० ए० होने से वे ओवर राइड हो जायेंगे। यह सबसे बड़ा आग्युमेन्ट है एम० एल० ए० को नहीं रखने का। जब एसोशियेट मेम्बर बना कर वहां बैठा देते तो उन्हें ओवर राइड होकर बैठने का मौका मिल जायगा, यह सवाल है। इसका मतलब क्या निकला है। लोग कहें कि एम० एल० ए० हावी हो जायेंगे, पंचायतों के लोग दब जायेंगे, इसको मैं मन्जूर नहीं करता हूं। इसको मन्जूर करता हूं कि उन्हें राइट ऑफ वोट देना चाहिए जिससे वे बराबर जिम्मेदारी महसूस करें। He fully shares the reponsibility of the decision taken by him.

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो पंचायत समिति का ढाँचा बनाया गया है, इस पर तो मैं थर्ड रीडिंग के समय विस्तार से कहूंगा। लेकिन इतना मैं कहूंगा कि ऐसा ढांचा बनाया है कि सारे के सारे एग्जीक्युशन में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का डॉमीनेट कायम रखा है। मैं यह कहता हूं—the executive dominates in the administration. प्रशासन की सारी पॉवर्स एग्जीक्युटिव के अन्दर रखी गई है। मैं समझता हूं कि अगर वहाँ एम० एल० ए० नहीं होगा तो उन्हें आप लोकल बोडीज की तरह मनमानी करने की आजादी दे देंगे तो एम० एल० ए० के रहने से एग्जीक्युटिव पर कन्ट्रोल रहेगा। These Panchayats will be dominated by the Panchas, the executive and it is a danger against which we should guard. वह हम कर देते हैं यह दूसरी बात है लेकिन एग्जीक्युटिव के लिए पूरा प्रावधान रखा है very little control. And let them devolop according to their own genius.

वह सारी पंचायतों के ऊपर स्ट्रोंग होल्ड रखा गया है। उस स्ट्रोंग होल्ड के होते हुए एम० एल० ए० को नहीं रखेंगे तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं कह सकता हूं कि एम० एल० ए० के नहीं होने से वे पंचायत समिति के नकेल लगा देंगे, पंचायतें एग्जीक्युटिव से दबेंगी, इसलिए यह जरूरी है कि एम० एल० ए० वहां रहें ताकि एग्जीक्युटिव पर कन्ट्रोल रहे so that there may be some control over the executive.

Page No.54

(श्री पी० के० चौधरी)

तो मेरा जो अमेंडमेंट है, यह जरूरी है और मैं मानता हूं कि मूवर ऑफ दी अमेंडमेंट और मिनिस्टर-इन-चार्ज इसको मन्जूर करेंगे।

श्री तनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं....

श्री श्रीभानसिंह : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, इस अमेंडमेंट को मूव करने की इजाजत न दी जाय।

श्री तनसिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं यह जरूरी नहीं है....

श्री श्रीभानसिंह : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर...

श्री तनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष....

श्री श्रीभानसिंह : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर....

श्री तनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : When there is a point of order raised, all ordinary orders will go down.

श्री तनसिंह : मैं जिस समय बोल रहा हूं तो यह जरूरी नहीं है कि मैं बैठ जाऊं जब तक...

श्री श्रीभानसिंह : A copy of the rules may be supplied to the Hon'ble Member of Ram Rajya Parishad.

श्री तनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इस समय निवेदन है कि....

श्री श्रीभानसिंह : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर, ..

श्री उपाध्यक्ष : Yes, state your point of order.

श्री तनसिंह : रूल्स के खिलाफ बात है, इसके खिलाफ सब्मिट करने को तैयार नहीं हूं। पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर के लिये दो ही सूरत में बैठ सकता हूं एक तो आप लेग्स पर खड़े हों तब।

श्री श्रीभानसिंह : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर,....

श्री उपाध्यक्ष : Yes Mr. Tan Sing will please resume his seat.

श्री तनसिंह : But Sir, I have to submit ......

श्री उपाध्यक्ष : When there is a point of order before me, I must give preference to it.

श्री सोहनलाल भटनागर : The procedure is that when there is a point of order raised by any Hon'ble Member, that point of order will have a prefernce against all sorts of debate.

श्री उपाध्यक्ष : Yes that is the practice. When a point of order is raised the Hon'ble Member who is either debating or participating will resume his seat.

श्री श्रीभानसिंह : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर ...

श्री तनसिंह : आप रूल देख लीजिये, हियर इट इज ...

श्री श्रीभानसिंह : Point cf order, Sir ......

श्री उपाध्यक्ष : I have given my observations many times on this issue and I will not re-open it.

श्री पी० के० चौधरी : Let us have a via media, The Hon,ble Members may both resume their seats.

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : Order, order please I must point out that when the Chiar is on its legs the Hon'ble Members should resume their seats. The trouble with me is, as soon as I resume my seat, both the Hon'ble Members rise seats and no one is going to yield the floor.

श्री श्रीभानसिंह : My point of order is Sir.

पहले जो उपाध्यक्ष महोदय ने रूलिंग दी थी कि पहला अमेंडमेंट आइडेंटिकल नहीं था, इनका अमेंडमेंट प्रीवियस अमेंडमेंट्स से आइडेन्टिकल है तो माननीय उपाध्यक्ष ने रूलिंग दी थी....

श्री तनसिंह : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर, I would like to raise a point of order.

श्री उपाध्यक्ष : Not at this stage, until that point of order is disposed of.

श्री श्रीभानसिंह : यह जो अमेंडमेंट माननीय तनसिंहजी ने टेबल किया है वह प्रीवियस अमेंडमेंटस से आइडेन्टिकल है....

श्री तनसिंह : No. No.

श्री श्रीभानसिंह : First listen to me. प्रीवियस अमेंडमेंट इस तरह है । श्री लक्ष्मण हीरात का-for inclusion of 'Member of the Legislative Assembly in the block'. इसी तरह का माननीय नारायणसिंहजी का है : for Member of theLegislative Assembly in the block. यह क्लीयर है । अब आपने जो अमेंडमेंटस टेबिल किए हैं, उन्हें देखें तो इस प्रकार के हैं । Delete the word 'associate' wherever occuring in the clause.

इसको डिलीट करके क्लॉज को पढ़ते हैं तो वह होता है :

"Every member of the Legislative Assembly of the State shall, for so long as he continues to be such member, be a member of the Panchayat Samiti of each block..."

उनका मतलब यह था कि असेम्बली के मेम्बर पंचायत समिति के मेम्बर हों और वही आपके एसोशियेट वर्ड को डिलीट करने से मतलब आता है, चाहे १० लाइन में ड्राफ्ट किया हुआ हो या एक लाइन में या एक शब्द में रखा हो मतलब वही निकलता है ।

(श्री श्रीभानसिंह)

तो आपका यह अमेंडमेंट प्रीवियस अमेंडमेंट था उनसे टेली करता है ।

सेकिन्ड में है:— "Such associate members shall have the right. ." "associate" डिलीट करने का । इसको डिलीट करके पढ़ते हैं तो : Such members shall have the right to attend the meatings of each Panchayat Samiti of which he is such member and to take part in the deliberations thereat...'

तो यहां पर सिर्फ आपने जो अमेंडमेंट दिया है वह फंक्शन्स एलोबोरेट करता है, इसमें फंक्शन्स अलोबोरेट नहीं है । पंचायत समिति के मेम्बर को मेम्बर रह कर सारी लाइबिलिटीज इन्कर होती हैं, वह सब कमेटी का मेम्बर हो सकता है प्रधान, उपप्रधान हो सकता है । तो वह अमेंडमेंट है । that the Member of the Assembly shall be a mamber of the Panchayat Samiti. This is a comprehensive amendment and such amendments have been rejected by the House and decision has been taken.

और अब इन वर्ड्स 'एसोशियेट' को डिलीट कर दिया जाता है तो आपका अमेंडमेंट इस चीज को रखता है जिसको हाउस ने रिजेक्ट कर दिया है ।

श्री तनसिंह : माननीय सदस्य महोदय ने अभी एक बात बताई थी तो श्री सोहनलाल भटनागर द्वारा प्रस्तुत अमेंडमेंट इसलिये स्वीकार किया गया है कि वह विड्रा किया गया था । श्री लक्ष्मण हीरात के बाबत भी यही बात है विथड्रा किया गया था ।

श्री श्रीभानसिंह No, no, that was rejected,

श्री उपाध्यक्ष : No, it was rejected, for your information.

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि क्लॉज ६ बी नया क्लॉज होकर आया है, उस पर विचार कर रहे हैं । हो सकता है कि पहले विड्रा कर लिया हो पर यह नया है तो इसके अन्दर संशोधन प्रस्ताव दिये जा सकते हैं । हो सकता है कि पहले आया उसी तरह का है पर यहां क्लॉज ६ बी० पर संशोधन दिये जा रहे हैं, क्लॉज ६ बी० पर किसीके संशोधन का क्या असर पड़ता हो तो भी हर मेम्बर को संशोधन देने का अधिकार है ।

श्री उपाध्यक्ष : Yes I understand your point of view.

श्री तनसिंह : २६३ एप्लाई नहीं होता है । 263 is for amendments to motions.

अमेंडमेंट क्लॉजेज पर ७१, ७२ लागू होता है । २६३ है वह that is for mendements to motions.

२७२ का कहा जाता है वह इस चीज पर लागू नहीं होता।

श्री श्रीभानसिंह : मेरा ऑब्जेक्शन ७२ (२) के नीचे था ।

"An amendment shall not be inconsistent with any previous decision of the House on the same question.'

Page No.57

(श्री श्रीभानसिंह)

आपने फरमाया कि लक्ष्मण हीरात का विड्रा हो गया था तो मेरा कहना है कि हाउस ने रिजेक्ट कर दिया था। अब देखना पड़ेगा कि हाउस ने डिसिजन लिया है कि नहीं, वह आइडेंटिकल है कि नहीं। मैंने मूव कर दिया हैं कि चाहे १० लाइन में ड्राफ्ट करें या एक लाइन में आवे, मतलब एक है तो वह आइडेंटिकल है। हाउस का डिसिजन जिस और वे में हुआ था फिरभी वह पुट हुआ था....

श्री उपाध्यक्ष : I understand that position. Now once we have treated clause 6 B as admissible, then the amendments to this clause are not subject to the limitations or to the points raised by Hon'ble Shri Sribhan Singh. I therefore rule out the point of order raised by Shri Sribhan Singh.

श्री तनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष , . . .

श्री श्रीभानसिंह : Point of information, Sir.

श्री श्रीभानसिंह : I am submitting, Sir that means............

श्री तनसिंह : I am not going to yield the floor.

श्री श्रीभानसिंह : It means, Sir, that a decision of the House can be re opened. This I should take from your honour's observations.

श्री उपाध्यक्ष : No, that is not the position. The position is that clause 6 B has been admitted and treated as admissible. The other amendments on that particular clause are also admissible.

श्री श्रीभानसिंह : Yesterday......

श्री तनसिंह : He is disturbing me Sir.

श्री उपाध्यक्ष : I will again supplement my observations. Shri Tan Singh has moved an amendment on 'associate Members' to the effect that if at all Members of the Legislative Assembly are to be taken they should be full fledged members. I do not treat this amendment as identical to the amendments moved on the floor of the House.

श्री तनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो अमेंडमेंट है उसको स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह काफी स्पष्ट हो चुका है पर इस सिलसिले में उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो अमेन्डमेंट रखा है उसको अब स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब वह काफी स्पष्ट हो चुका है लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, आपने यह फरमाया, उस सिलसिले में आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति बोल रहा होता है तो उस समय...

श्री उपाध्यक्ष : अब आप पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर क्यों ला रहे हैं। आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री तनसिंह : I wanted to clarify...

श्री उपाध्यक्ष : I think you will not debar the House from being benefitted by your speech.

श्री तनसिंह : मैं समझता हूं कि अगर मैं गलती पर हूं तो...

श्री श्रीभानसिंह : The Hon'ble Member is raising a point of order on his own speech.

श्री तनसिंह : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर अब नहीं होता है। जो माननीय सदस्य ने ६ (बी) क्लॉज़ प्रोपोज़ किया है और उसके सम्बन्ध में जो वक्तव्य दिया है वह ऐसा विचित्र है कि मैं नहीं समझ सकता कि कौनसी बात साफ और कौन सी भ्रम में है। वे कहते हैं कि हमने वाया मीडिया निकाला है। मैं यह निवेदन करूंगा कि वाया मीडिया तो ऐसा होता है जिसको राजस्थान में पाली की पंचायती कहते हैं। अगर दो सिद्धान्त ऐसे होते हैं जो आपस में मेल नहीं खाते और उन पर आपस में समझौता नहीं होता है तो आपस में उनको समझा-बुझाकर काम चलाते हैं उसको वाया मीडिया कहते हैं। एक तो असल चीज़ है और दूसरी असली चीज नहीं है इन दोनों में अगर कोई झगड़ा पैदा होता है तो ऐसी हालत में वाया मीडिया निकाला जाता है। माननीय सदस्य ने यह कहा है कि एम. एल. ए. होने के कारण वे पंचायत समितियों में और तहसील पंचायत में काम नहीं कर सकते क्योंकि वे इसलिये नहीं चुने गये हैं कि वे पंचायत समिति में और तहसील पंचायतों में काम करें। वे विधान सभा में काम करने के लिये चुने गये हैं। इससे इसमें विशेष फर्क नहीं पड़ता है। यदि हम इस बात पर शंका करते हैं कि वहां पर वे जाकर राजनैतिक अखाड़ा बना कर दांव-पेच खेलेंगे तो मुझे समझ में नहीं आता कि इस प्रकार की असमानताओं का क्या कारण हो सकता है। क्या हम खुद अपनी ईमानदारी में इतना विश्वास नहीं करते हैं और उसके लिये राजस्थान की विधान सभा इस प्रकार का निर्णय लेती है या इस प्रकार का प्रस्ताव पास करे और ऐसा रिफ्लेक्शन करते हैं कि हम बाहर जाकर अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह और ईमानदारी से वहन नहीं करते तो मैं समझता हूं कि भगवान् भी इस प्रकार की चीज़ को बचाने में सहायता नहीं करेगा। अगर हम उनकी ईमानदारी में विश्वास नहीं करते और हम कानून के द्वारा पाल बांधना चाहते हैं और मैं यह कहूँगा कि जब हम एसोशियेटेड सदस्य बने तो क्या हमारी उपस्थिति इतनी प्रभावित नहीं है कि हम उनको प्रभावित कर सकें। हम कर सकते हैं। या तो उनको इसके सदस्य होना नहीं चाहिये और अगर इस सिद्धान्त को मानते हैं कि किसी प्रकार से पंचायत समिति में एम० एल० ए० का सहयोग होना आवश्यक है तो इस एसोशियेटेड मेम्बर के इस वाया मीडिया के तरीके को मंजूर करने को हम तैयार नहीं है। यह एक गलत तरीका है। या तो सदस्य रहें या न रहें।

अब रहा प्रश्न यह कि सदस्य रहना चाहिये या नहीं। जो चीज़ पक्ष में कही जाती है कि सदस्य रहना चाहिये उसके विषय में यह कहा जाता है कि राजस्थान की विधान सभा के जो विधान सभाई सदस्य

(श्री तनसिंह)

हैं उन पर केवल कानून बनाने का अधिकार है और विकास करने और विकास के कार्यों का निर्माण करने का अधिकार नहीं है। मैं यह कहूँगा कि केवल विधान सभा कानून नहीं बनाती है बल्कि उसका जन-जीवन के विकास कार्यों से अधिक सम्बन्ध है। हमको जिला परिषद् में रखा जावे और इसलिये कि हम वहां के सारे के सारे योजना के कार्यों में रुचि रख सकें और योग दान दें। मैं समझ नहीं सकता कि हमको दूसरे विकास कार्यों में अधिकार क्यों नहीं है। हमको, इस कानून के द्वारा समाज का जो नव-निर्माण हो रहा है उसमें पूर्ण योग देने का उतना ही अधिकार है जितना दूसरे नागरिकों को है। यदि मैं विधान सभा का सदस्य हूँ और पंचायत समिति में चुना जाने का प्रयास करता हूं तो चुना जा सकता हूँ। इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है क्योंकि जिस क्षेत्र से चुन कर आये हैं वहां से आ सकते हैं। यह कहा जा सकता है कि आप वहां जाकर चुनाव में लड़िये और बहादुरी से आइये। मैं समझता हूं कि इस दलील में ज्यादा कोई तथ्य नहीं है और अगर इसमें कोई तथ्य है तो इस तथ्य में कोई वजन नहीं है। इसलिये मेरी राय में यह बात आती है कि श्री सोहनलाल भटनागर ने जो संशोधन रखा है उसको अस्वीकार किया जाना चाहिए और अगर स्वीकार किया जाता है तो मेरे अमेन्डमेंट के साथ उसको स्वीकार किया जाना चाहिये क्योंकि आज स्थिति इस प्रकार की है कि अगर एम० एल० ए० को रखेंगे तो उसका प्रभाव रहेगा। मगर यदि आप एसोशियेटेड सदस्य भी रखेंगे और हमको कोई वोट देने का अधिकार नहीं देंगे और फिर भी हम भाग लेंगे तो भी हमारी बात लोग मानेंगे और हमारा प्रभाव रहेगा। मिनिस्टर लोग इस बात को नहीं मानते हैं। मगर मैं यह कहूंगा कि यदि हम जहां से चुन कर आये हैं तो वहां तो हमारा प्रभाव होगा ही। आप हमको तहसील पंचायत में रखेंगे तो हम डाइरेक्टली या इनडाइरेक्टली उनको प्रभावित करेंगे ही। अगर आप हमको ईमानदार मान कर मौका देते हैं तो पूर्णतया हम ईमानदारी से काम करने को तैयार हैं अगर आप बेईमानी करने का मौका देते हैं तो हम पर छोड़िये कि भर पेट कर बेईमानी करें। यदि जिला परिषद् में रखा जाता है तो हमारी प्रतिष्ठा के विरुद्ध बात कही जाती है। आप यह कहते हैं कि आप जिला परिषद् के सदस्य रहें। आप हमको सदस्य बनाना चाहते हैं और यह कहते हैं कि आप चौकीदार की तरह दरवाजे पर बैठे रहें। हम आपका वोट नहीं मानते। आपकी विसेज़ की नहीं मानते। मैं यह कहूँगा कि जो कानून बनते हैं हमारे करेक्टर पर रिफ्लेक्ट करते हैं। व्यक्तिगत मैं यह मानता हूं कि विधान सभा के सदस्य को पंचायत समिति में जाना ठीक नहीं है और अगर इस बात को हाउस ठीक मानता है तो मैं इस बात को ठीक नहीं मानता हूं कि बकवास तो तहसील पंचायतों में करते रहें और हमारी राय और वोट न रहे। जहां ऐसी स्थिति हो, जाना उचित नहीं है। मैं यह निवेदन करूंगा कि श्री सोहनलाल भटनागर के संशोधन को मेरे संशोधन के साथ मंजूर किया जाए अन्यथा उसको स्वीकार नहीं किया जाए।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलुम्बर): ऑन दी पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर, जैसा मैंने पहले

(श्री सोहनलाल भटनागर)

निवेदन किया है । अब यह अमेंडमेंट है देखा जावे तो it is for substitution of the clause 6B. It is not relevant to the subject to which it relates. सारा ही नया सब्सटीट्यूट होता है ।

श्री उपाध्यक्ष : Your contention is that it should not be admitted.

श्री सोहनलाल भटनागर : Yes Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Will I have decided the question of admissibility in my chamber.

राजा श्री मानसिंह : Mr. Deputy Speaker, Sir.

My first amendment which is not on the list is a negativing amendment that the whole clause be deleted.

श्री श्रीमानसिंह : But before that I would like to say that the Hon 'ble Member has not explained his position the point raised by Shri Sohan Lal.

श्री उपाध्यक्ष : That explanation is not necessary now. I have decided it and the Hon'ble Member has conceded it.

राजा श्री मानसिंह : That is right Sir.

श्री उपाध्यक्ष : You will only move the amendment and have your debate.

राजा श्री मानसिंह : My first amendment is that the clause...

श्री पी० के० चौधरी : Point of order, Sir. This amendment is against the scope of the clause.

श्री उपाध्यक्ष : That has already been disposed of and besides I don't think you have crossed the floor! (Shri Chaudhary was sitting on opposition benches). Are you in reality mis-placed, Mr. Chaudhary ?

श्री होतीलाल (भरतपुर) : He is trying to cross the floor, Sir.

राजा श्री मानसिंह : I move Sir that the clause 6-B as proposed by Hon'ble Shri Sohan Lal, be deleted. I have put up before several arguments as to why M.L. A.s should not be included in the Panchayat Samities and here is a clause which wants M. L. As to be included in the Panchayat Samities as associate members. Under this clause an M. L. A. shall not have the right to vote or be elected as Pradhan or Up-Pradhan of any such Panchayat Samiti or a standing committee thereof. I feel, Sir that such a provision is an insult to the members of this House. But even with these disadvantages, we have seen that the members are very much inclined to have the right to attend meetings of the Panchayat Samities even though they may not have the right to vote. The only reason for this can be that they wish to exploit the full-fledged members of the Panchayat Samities and to create political intrigues there. They also feel that perhaps by becoming associate members, they may be able to influence the block staff in that block.

(राजा श्री मानसिंह)

There is every opportunity for an M. L. A. to become a member of these Panchayat Samities by election or co-option. He can contest the election of Sarpanch of Panchayat and he can also be co-opted by the Panchayat Samiti if he is of any benefit to it by way of having either administrative experience, or experience in rural development and public life. Why then does he want to be thrust on the Panchayat Samiti under this clause ?

The House has already expressed its opinion that a member of the Legislative Assembly should not be a member of the Panchayat Samiti. This was done by rejecting the amendment to clause 6 by Shri Laxman Hirat, which sought for the addition of M. L. A. s in the Panchayat Samities. The intention of the House was clear at that time that the members of this House should not be included in the Panchayat Samities and by passing clause 6 as a whole, the House was also clear that it wanted to make no other provision for the addition of any other members. The House was also of the opinion that any persons who reside in Municipal areas should also not be members of the Panchayat Samities. Then why do the M.L.A s who reside in Urban areas, want to be included as associate members. Most of the members who are supporting this clause are of urban bias and I think they perhaps don't enjoy the confidence of the Sarpanchas and Panchas who will form the membership of the Tehsil Panchayat in their constituencies. The members feel that unless they have a finger in the pie in the day-to-day functions of the Panchayat Samiti, they will not be able to go to the people and say that they have a major hand, influencing the development of the block, and thereby seek......

श्री पी० के० चौधरी : Point of order, Sir.

राजा श्री मानसिंह : ...and thereby seek votes at the next general elections.

श्री पी० के० चौधरी : Point of order, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : But not as a matter of right. The point of order has to be accepted by the Chair at the same time.

श्री पी० के० चौधरी : The point of order is this, Sir, that if you read the amendment, it refers to qualifications and disqualifications of members about residence etc. and, as such, it does not refer to clause 6-B. Even if you rule out my other point of order about Rule 72.........

श्री उपाध्यक्ष : Let me make my self clear on this point. This point was raised by Shri Sohan Lal prior to you and it has been disposed of.

श्री पी० के० चौधरी : My second point of order is that this amendment should come under the clause about disqualifications, because it deals with disqualifications which come under clause 12. They cannot come here......

राजा श्री मानसिंह : I think I have an opportunity to explain.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, you will have that opportunity of explaining.

श्री पी० के चौधरी : His amendment at No. 199 reads :—

"6-B. A member of the Legislative Assembly of the State, who is a member of Panchayat or Tehsil Panchayat, and becomes a member of or is co-opted to a Panchayat Samiti under clause 6, shall not be disqualified under Clause 12 (b) as such and the number of days when he attends the meetings of the Legislative Assembly, or of Committees constituted by the said Assembly or by the State Government shall be counted in the aggregate towards the qualification for residence in the block."

राजा श्री मानसिंह : What is this point of order?

श्री पी० के० चौधरी : So clearly it refers to clause 12, regarding residential qualification. It can never come in this place and is out of place.

श्री उपाध्यक्ष : Then where should we have it?

श्री पी० के० चौधरी : It should come in clause 12 (b) because it never says about 'associate members'. It refers only to 'a member of'. It says a member not an 'associate member'. It says that "a member of the Legislative Assembly of State who is a member of Panchayat or Tehsil Panchayat, and becomes a member of or is co-opted to a Panchayat Samiti, shall not be disqualified under clause 12 (b)." In his case this disqualification should be waived. So it dors not come under clause 6-B because it does not talk about 'associate member' but simply about 'member' about an M. L. A. who may be a member of the Panchayat Samiti, in his case the disqualification should not apply. As such, it should be ruled out from this place.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Raja Shri Man Singh.

राजा श्री मानसिंह : The members feel that by this they can get the votes by following...

श्री श्रीमानसिंह : I think you have called upon the Hon'ble Member, to explain.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, I understand the position. Hon'ble Raja Man Singh have you anything to explain the position that has been raised by Shri Chaudhary?

राजा श्री मानसिंह : Sir, clause 6-B has been introduced and I have made

Page No.63

(राजा श्री मानसिंह)

an amendment for substituting it by another clause 6-B. It is not necessary that clause 6-B should relate to associate members only. Clause 6-A itself is a qualifying clause and I was coming to that in my speech...

श्री पी० के० चौधरी : On a Point of order Sir. The provision which has been brought by Raja Shri Man Singh refers to clauses 11 and 12 (b) and we have already passed over them. How then can it come here? It does not relate to associate member.

श्री उपाध्यक्ष : Have you anything to add to the point of order ?

राजा श्री मानसिंह : A new clause 6-B has been admitted before this House and we can delete it or substitute it with a new clause 6-B. The original Bill did not contain anything abot associate members and a new clause 6-B has been introduced which mentions associate members...

श्री पी० के० चौधरी : No Sir, it will be going against the decision of the House.

राजा श्री मानसिंह : I am substituting a new clause 6-B for the clause which has been proposed by Shri Sohan Lal. There is no difference between my motion and the motion made by Shri Sohan Lal Bhatnagar. I am also admitting a new clause.

श्री उपाध्यक्ष : Under the rules the only amendment which can be against the clause is that which has the effect of negativing it. Other wise it has always to be connected with the motion.

श्री पी० के० चौधरी : It is not a negativ ing amendment.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व): Substitution is not negation. It is something more.

राजा श्री मानसिंह : The whole clause 6-A, the now clause 6-B and the clause that I have proposed are all qualifying clauses in relation to clause 6. How can this be said to be different matter.

श्री पी० के० चौधरी : If he refers to 'associate member' then it is alright, but he refers to full-fledged members about whose qualifications etc. we have already decided and the House has no intention to make a relaxation that if an M. L. A. by virtue of his being a Sarpanch is elected on the Panchayat Samiti or co-opted on the Panchayat Samiti, then we should make a relaxation. The house has no intuntion to make a relaxation in their case and while discussing clauses 11 and 12 the house has taken decision on them about residence and other qualifications mentioned there.

राजा श्री मानसिंह : No Sir. My objection stands. The Hon'ble Member has not been convincing at all.

श्री पी० के० चौधरी : Everybody is convinced except you.

राजा श्री मानसिंह : A new clause 6-B has been propossed and I have proposed for substitution of it by another clause 6-B.

श्री उपाध्यक्ष : Well, my observastions are that the amendment proposed by Raja Shri Mansingh principally relates to disqualifications coming under clause 12 (b). It is, therefore, not in order. This amendment is certainly not relevant to the subject matter of clause 6-B. I, therefore, entertain the point of order raised by Shri Chaudhary.

राजा श्री मानसिंह : Sir, my amendment is that this new clause 6-B may be deleted and I may be permitted to continue.

श्री उपाध्यक्ष : On what question is the Hon'ble Member speaking now ?

राजा श्री मानसिंह : For deleting the clause. A negativing amendment.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : There can be no negativing amendment.

राजा श्री मानसिंह : As I was saying, Sir, that by accepting this clause the members admit that they wish to be enabled to get votes by influencing the Pachayat Samities. There is also a provision in the Bill that every member of a Panchayat Samiti has to be paid an allowance for attending meetings; and there is an amendment by Shri Hoti Lal that such associate members shall not be paid any allowance under Section 26...

श्री उपाध्यक्ष : That has not been moved.

राजा श्री मानसिंह : It has not been moved, but it has been admitted and you have given a ruling previously that a motion that has been admitted is considered as moved and if you feel that it has not been moved, then we shall be given a right to speak again.

श्री उपाध्यक्ष : No, no. You will continue.

राजा श्री मानसिंह : For the rest of my amendment, Sir, that has been ruled out. I shall request the Chair that I may be permitted to make a new amendment to the clause which right was granted to......

श्री उपाध्यक्ष : No, that I will not concede at this stage.

राजा श्री मानसिंह : Sir, then my amendment may be treated as...

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : श्रीमान्, पहले अमेन्डमेन्ट रख दें फिर उसके बाद विरोध में या पक्ष में बोलें...

श्री उपाध्यक्ष : I treat it as moved.

श्री होतीलाल : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ६-बी क्लॉज है उसमें...

Page No.65

राजा श्रीमानसिंह : On a point of order, Sir. My amendment has been ruled out of order as coming under clause 12. I may be permitted to move that amendment, after the clause 12 has been decided by this House We are following the same procedure for this clause also. so I will request the Chair to allow me to move my amendment to that clause...

श्री उपाध्यक्ष : I am not in a position to allow it at this stage.

राजा श्री मानसिंह : Sir, we could not anticipate that the amendments that we have moved yesterday and the decision that has been taken before us......

श्री उपाध्यक्ष : Well, I have given my observations over it.

Shri Hoti Lal.

श्री होतीलाल (भरतपुर) : अमेन्डमेंट यह है। ६-बी के क्लॉज २ के बाद में दूसरा क्लॉज यह बढ़ा दिया जावे।

"(3) Such associate members shall not be paid any allowance under section 26" जहां तक ६-बी का सवाल है, मैं दरअसल इस पक्ष का था कि हमें ६–बी नया क्लॉज जोड़नेकी आवश्यकता नहीं है। इस पर काफी बहस भी हो चुकी। लेकिन अगर यह जोड़ना ही है तो यह मेरा अमेन्डमेंट है।

इसे लाने में दो ही इन्टेन्शन हो सकते हैं। एक के बारे में करीब करीब इस सदन में काफी चर्चा हो चुकी कि मेम्बर क्यों इसमें आना चाहते हैं। कुछ अपने आगे का इलेक्शन देखते हुए, गांवों में इससे चेतना आयेगी फिर इससे साइड टाइप की लीडरशिप खतम होजावेगी इन सारी बातोंको देखते हुए आना चाहते हैं। यह निश्चित है कि Political motive behind this now addition of clause 6-B. लेकिन साथ साथ mover of this clause 6-B seems to be quite intelligent because he has gone through clause 26 before drafting the amendment under clause 6-B.

Clause 26 reads :—"The members of a Panchayat Samiti including the Pradhan, the Up-Prachan and the members of a Standing Committee of a Panchayat Samiti including its Chairman shall be paid such allowances at such rates and in such circumstances as may be prescribed...." Now I will read the deleted portion. इससे इन्टेन्शन ज्यादा साफ होता है। पहले था : "as may be prescribed for attending the meetings of the Panchayat Samiti or a standing committee thereof." Now this portion has been deleted by the Select Committee and the members of the Panchayat Samiti will be paid allowances irrespective of the fact whether they attend a meeting or not. It is not necessary now to attend a meeting to earn the allowance.

तो इसमें इस तरह का मालूम देता है कि प्रेस्क्राइब्ड रूल्स बनेंगे, मेम्बरों के लिये अलाउन्स फिक्स्ड। होगा वह इस तरह का हो सकता है जैसा आज विधान सभा का मन्थली अलाउन्स है। तो इनके अलावा एक यह भी कारण हो सकता है कि मीटिंग अटेन्ड करें

(श्री होतीलाल)

या न करें, पर जो भी पचास पचीस सौ अलाउन्स के तौर पर फिक्स हो जावेंगे वह भी एक एडीशनल इन्कम हो जावेगी। इसलिए मैं उन मूव करने वाले माननीय सदस्य से नम्र निवेदन करूंगा कि वे इस अमेंडमेंट को मान लें तो एक तरफ से उनकी नीयत साफ है कि पैसे के लिए नहीं मरते। मैं इस पॉइन्ट ऑफ व्यू से निवेदन कर रहा था कि इस क्लॉज को एड कर दिया जावे।

बाकी फिलॉस्फर, फ्रेन्ड और गाइड का ऊसल तो नहीं है। ऐसे फ्रेंण्डस हैं जो ऊपर से आना चाहते हैं। फिर हमारे माननीय सदस्य ऐसे फिलॉस्फर हैं तो इस सदन से बाहर वाले फिलॉस्फरों के समझ आवेगा नहीं कि इस हाउस में फ्रेंण्ड, गाइड और फिलॉस्फर हैं जिनको चिन्ता नहीं है और जिनको जनता भी चाहती नहीं। अगर चाहती तो पंचायतों के इलेक्शन में आइये, कौन रोकता है आपको कोऑप्ट होकर आइये। फिर यहां ऐसे भी हैं, जो रहते हैं जयपुर में और चुनकर आये हैं बीकानेर से। तो यह कितना बर्डन पंचायत समिति पर होगा अगर ऐसी चीज एम० एल० ए० को अलाऊ करेंगे। फिर सेशन विधान सभा का भी चल रहा है और उधर पंचायत समिति की मीटिंग भी चल रही है। वहां जाना है तो क्या प्रेस्क्राइब्ड फार्म ऐसा एम्बीगुअस है कि पंचायत समिति के हैड क्वार्टर पर जाने के लिए टी. ए., डी. ए. भी होगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थना करता हूँ कि मेरा अमेंडमेंट स्वीकार कर लिया जावे।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग): यह जो ६-बी नया क्लॉज जोड़ा है, उसका मैं समर्थन करता हूँ और इसमें जितने भी संशोधन प्रस्ताव आये हैं उनका विरोध करता हूं।

यह नया क्लॉज जोड़ने की क्यों आवश्यकता अनुभव हुई इस पर काफी बहस हम कर चुके हैं और इसकी आवश्यकता को मान भी चुके हैं।

एम. एल. ए. के सम्बन्ध में प्रायः यह शंका उठाई गई है कि उसका पंचायत समिति में रहना इसलिए आवश्यक नहीं कि उससे वे अपना प्रभाव बढ़ावेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में उन लोगों पर अपना रौब दौब गालिब करेंगे जो उनसे कम योग्यता रखते हैं, उनकी दृष्टि में वे समझे जाते हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी शंका इस पर प्रकट की कि शायद ये कुछ पैसा बनाने के लिए ऐसा चाहते हैं। यानि हर प्रकार से उन माननीय सदस्य ने एम. एल. ए. के यहां रहने का विरोध किया है और इसके लिए उन्होंने कोई न कोई कारण ढूंढ लिया है।

मेरा यह विश्वास है कि एम. एल. ए. जो कि लगभग ८०, ६० हजार जनता का प्रतिनिधि होता है और प्राय: उसके क्षेत्र में ब्लॉक आता है उसको यह अधिकार है कि वह ब्लॉक के विकास के सब कार्यों में सर्वथा न केवल परिचित ही रहे, बल्कि सक्रिय सहयोग दे और वह सक्रिय सहयोग उस हालत में हो सकता है जब कि जब जब भी ऐसे अवसर आवें कि विकास अधिकारी, पंच, सरपंच या दूसरे एक्सटेन्शन ऑफिसर कोई भी कहीं भी इकट्ठे होते हैं और ब्लॉक के विकास के सम्बन्ध में चर्चा करते हैं या विचार विनिमय करते हैं तो उसमें भाग लेने का वहां के एम. एल. ए. को मूल रूप से बुनियादी अधिकार है।

(श्री युगलकिशोर चतुर्वेदी)

भले ही फिर वह उन मीटिंग्स में फिर दर्शक के रूप में ही रहे, पर दिलचस्पी लेने का उसका बुनियादी अधिकार है, इतना ही नहीं वह योग्य सलाह मशविरा भी दे। यह माना कि उसको फुलफ्लेज्ड मेम्बर नहीं माना है। इसमें कारण हो सकता है और उसमें सबसे बड़ा कारण यह है कि वहां यदि उसको वोट का अधिकार होता है तो पंचायत समिति के सदस्य जिनमें अधिकांश सरपंच होंगे या कुछ कोआप्टेड सदस्य होंगे वे यदि कोई निर्णय लेते हैं अपने मत के द्वारा तो उसमें कुछ के अनुकूल और कुछ के प्रतिकूल अपना मत देना होगा और दृष्टि से बहुत सम्भव है कुछ इस सरपंच, जो सदस्य हैं वे यह समझें कि यह एम. एल. ए. हमारे विरोध में है। लेकिन यदि वह उस प्रकार का मत न देकर और न इसका अधिकार रखते हुए वहां रहता है, अपनी सलाह मशविरा ही देता है, विकास के कार्यों में रुचि रखता है और अपने अनुभव से जो कुछ यहां विधान सभा में देखता है उसके आधार पर भी उनका पथ प्रदर्शन करता है तो हित कर हो नहीं, बल्कि उसको मैं बहुत आवश्यक भी समझता हूं। तो इसलिए यह नया क्लॉज ६-बी जो इन्सर्ट किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं। उसमें इस प्रकार की सभी व्यवस्था है। उसमें वोट का अधिकार नहीं दिया गया है और इसके साथ साथ किसी भी चुने हुए पद पर खड़े होने का भी अधिकार नहीं है। तो यह भी मैं आवश्यकता समझता हूँ। यह खतरा हो सकता था कि फुलफ्लेज्ड मेम्बर होने से यह भी वह चाह सकता है कि वह उसका अध्यक्ष या उसकी स्टेंडिंग कमेटीज का चेयरमैन चुना जावे यह मैं समझता हूँ कि एक एम. एल. ए. के लिये वैधानिक दृष्टि से तो मैं नहीं कह सकता कहां तक अनुपयुक्त होगा, पर व्यवहारिक दृष्टि से यह अनुपयुक्त होता कि वह उधर समिति का अध्यक्ष होता जिस अध्यक्ष को कि वहां पर बहुत कुछ काम करना पड़ेगा। जैसा कि कल एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया था कि वह अध्यक्ष केवल एक बार को ही रहे और उसके बाद में सिर्फ बी० डी० ओ० भी काम चलाता रहे। अगर ऐसा अध्यक्ष रहा तो शायद एम० एल० ए० कुछ काम कर सकते थे। अगर उसे पूरे ३० दिन काम करना पड़ा तो जो एम० एल० ए० होगा वह वहां का प्रधान बन कर नहीं रह सकेगा। क्योंकि एक से अधिक बार सभाएं हो सकती हैं तो विधान सभा सदस्य उसका अध्यक्ष होता है तो उसको वहां पर पहुँचना मुश्किल हो जाता है। तो न तो पंचायत समिति का न स्टेंडिंग कमेटी का उसको रखा जाए यह ठीक ही है। साथ ही साथ वह अपने वोट को भी एक्सरसाइज वहां न करे। वह इसलिए नहीं कि उसके ऊपर विश्वास नहीं है। मैं समझता हूं उस पर विश्वास तो है और विश्वास नहीं होता तो वह चुनकर नहीं आता और अब यद्यपि वह अपने क्षेत्र की सेवा करता है तो पंच का नहीं, सरपंच का नहीं बल्कि सारी जनता का विश्वास उस पर रहेगा और खतरा भी शायद कुछ ही माननीय सदस्यों को होगा जो कि अपने क्षेत्र के सरपंच या उनसे कुछ अलग राय रखते हैं। लेकिन जो वास्तविक रूप में अपने क्षेत्र का सेवक है, पंच, सरपंच हो नहीं बल्कि वहां की सारी जनता की सलाह को, उनके हित को, उनके विकास कार्यों को पूर्ण रूप से जानता है और उनमें पूर्ण रूचि रखता है तो उसके प्रति अविश्वास का कारण नहीं हो सकता है। तो इसलिए यह कहना कि वह इसलिए वहां

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी) —

पर रहता है कि उसका प्रभाव वहां पर नहीं रहेगा वह शायद अगली बार चुनाव में भी जीत कर नहीं आए तो यह कोई ठीक आशंका प्रतीत नहीं होती। उसका रहना जरूरी है और उसका रहना इसलिए जरूरी है कि वह वहां के विकास कार्यों में पूर्ण सहयोग दे। जहां तक पंचायत समिति का हमने उद्देश्य देखा, इसके निर्माण के जहां तक उद्देश्यों पर हमने नजर डाली है। इसमें स्पष्ट है कि इसकी जो अधिकांश मंशा है वह विकास कार्य से संबंधित है। उसमें स्पष्ट बताया है कि उसको कोई रेवन्यू अधिकार नहीं दिये जायेंगे, कोई पुलिस अधिकारी नहीं हैं, कोई बड़े जुडीशियल अधिकार भी नहीं हैं। यदि यह इस दृष्टि से बना होता तो सम्भव है कि एम० एल० ए० के वहां रहने से उसके प्रभाव का दूसरा असर पड़ सकता था, उस क्षेत्र पर। लेकिन जब यहां पर पूर्ण रूप से विकास कार्यों में ही सहायता देना है तो फिर मैं नहीं समझता कि एम० एल० ए० के वहां रखे जाने का विरोध क्यों किया जाता है। हां, जो करने की चीज हो सकती है मैंने भी इस हद तक अपनी सम्मति प्रकट की है कि उसको वोट देने का अधिकार न हो क्योंकि वोट के अधिकार देने से कुछ के विरोध में और कुछ के पक्ष में वोट दे सकता है। लेकिन उसका वहां पर काम समन्वय का होगा। जितने भी सदस्य होंगे। कोआप्टेड मेम्बर्स होंगे जितने सरकारी अधिकारी होंगे वह भी उसकी सलाह से लाभ उठायेंगे। तो उसका रहना जरूरी है और वह रहेगा और जैसा कि इसमें बताया है कि उसको इसमें एसोशियेट मेम्बर की हैसियत हो तो यह जो ६–बी जोड़ा गया है वह बहुत ही उपयुक्त है। उसका रहना बहुत ही आवश्यक है और इसके रहने से एम० एल० ए० जो अपने क्षेत्र का वास्तविक रूप में प्रतिनिधि है वह प्रतिनिधि शब्द को तभी सार्थक रख सकता है, जब कि वह एसोशियेट मेम्बर की हैसियत से रहता है। इसलिए प्रस्ताव ६-बी इन्सर्ट करने का रखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूं और जितने भी संशोधन पेश किए गए हैं उनका मैं विरोध करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रीभानसिंह।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन ६–बी के अन्दर रखे गए या जो नया क्लॉज ६–बी हाउस के सामने रखा गया है, मैं इन दोनों का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले तो हमें इस बात का निर्णय करना पड़ेगा कि आखिर यह व्यावहारिक है या नहीं। जिस तरह से आरग्यूमेंट्स दिए गए कि एम० एल० ए० का पंचायत समिति में रहना व्यावहारिक है और दूसरा आरग्यूमेंट दिया गया कि वह वहां से जनता द्वारा चुनकर भेजा गया है, इसलिए वह क्षेत्र की सबसे ज्यादा इनफोरमेशन रखता है और तीसरा आरग्यूमेंट दिया गया कि वह उनकी सलाह से, उनकी ओपिनियन से, उनकी राय से ब्लॉक और डेवेलपमेंट अधिकारी हैं या पंच हैं वह फायदा उठायेंगे और अन्य इसी तरह के आरग्यूमेंटस दिए गए। इन तीन आरग्यूमेंट्स को देकर एक ऐसा केस बनाया, एक ऐसा एटमोस्फियर बनाया, जिस केस और एटमोस्फियर का नतीजा है ६-बी क्लॉज और इस पर सदन की तो अभी तक राय डिवाइडेड है कि एक तरफ तो चाहते हैं पूरा अधिकार और दूसरी तरफ चाहते हैं बहुत से माननीय

(श्री श्रीमानसिंह)

सदस्य एसोशियेट मेम्बर होना । अगर यह निश्चित मानकर चलते हैं कि सदन का बहुमत आज सत्ता छोड़ने के लिए, आज सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि आधे मांगते हैं ज्यादा पॉवर्स, फुल फ्लेज्ड पॉवर्स और आधे माँगते हैं एसोशियेट मेम्बरशिप । तो यह मानना पड़ेगा कि सदन को आज हर तरह से जहां कहीं भी पॉवर्स मिले उन पॉवर्स को एम० एल० ए० हथियाने के लिए तैयार हैं । मैं इसको मान कर चलता हूँ क्योंकि हमारे सामने एक एम० एल० ए० का नक्शा देखना है । एक असेम्बली का मेम्बर है, वह जिला परिषद् का भी मेम्बर है, उधर जाइए वह पंचायत समिति का भी सदस्य है और ग्राम पंचायत की मेम्बरशिप के लिए आपको कोई रोक सकता नहीं और तहसील पंचायत की मेम्बरशिप से कोई रुकावट आपके लिए नहीं और यहां पर कई माननीय सदस्य ऐसे हैं कि जो ग्राम पंचायत के भी सदस्य हैं, तहसील पंचायत के भी सदस्य हैं, पंचायत समिति के भी मेम्बर रहेंगे और जिला परिषद् में भी । तो राजस्थान के अन्दर कम से कम यह मान कर चलना पड़ेगा कि एम० एल० ए० या मेम्बर ऑफ दी लेजिस्लेचर एक ऐसा व्यक्ति है जिनके अन्दर राजस्थान की सारी सत्ता केन्द्रित है । चाहे वह न्याय पंचायत का हो, चाहे वह विकास का हो, चाहे सोशियल एज्यूकेशन का हो । एक पर्सनेलिटी ऐसी है राजस्थान में जो कि सारी सत्ता को सेन्ट्रेलाइज करती है वह है मेम्बर ऑफ दी लेजिस्लेचर । और इस केस पर ऐसा आरग्यूमेंट दिया जाता है कि हम तो अपने क्षेत्र के बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं । मुझे ताज्जुब आता है कि कोई इन्डीविजुअल है या कोई स्वतंत्र आदमी, इस तरह की बात कहे ।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

मगर जब एक पार्टी के व्यक्ति यह कहते हैं कि हमें हमारे क्षेत्र में रहना जरूरी है तो मैं यह मानकर चलता हूँ कि उस क्षेत्र में एक कांग्रेस पार्टी का प्रभाव है एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्त्ता हैं । कभी कोई कांग्रेस पार्टी के या दूसरी पार्टी के मेम्बर चुन कर आ जाते हैं उनकी पोजीशन स्वतंत्र मेम्बर की तरह है । जब यह पोजीशन में देखता हूं तो एक पार्टी केन्डीडेट को इस तरह से सोचना कि मेरे क्षेत्र के अमुक गांव में कुआ बने, एक मदरसा गांव में बने या उस गांव की स्ट्रीट्स पक्की हों या उस अमुक गांव में हैंड पम्प लगने चाहिए । तो मैं नहीं समझता कि यह हमारा जो डवेलपमेंट का इन्टरप्रिटेशन है, उसकी एक मखौल है, उसकी मज़ाक उड़ाना है कि आप पहले अपनी पॉवर्स को देखिए । मैं यह मान-कर चल सकता हूं कि हमारे यहां पर डेमोक्रेसी नहीं है और हम हमारा लेजिस्लेचर के अन्दर या पार्लियामेंट के अन्दर रोल नहीं जानते । अगर आप विधान सभा में बैठे हैं तो आपका यह काम नहीं है । कम से कम मैं यह कहता हूं मेरा मतलब यह नहीं है है कि अमुक गांव के लिए अमुक कुंए के लिए खर्चा पास कराऊं या हैंड पम्प के लिए यहां पर पैसा करवाऊं । यह माइन्यूट डिटेल्स के अन्दर यहां पर जाने के लिए हम नहीं आते हैं । यहां पर तो हम एक ब्रॉड पॉलिसी पास करते हैं और वह ब्रॉड पॉलिसी हमारे बजट के अन्दर है । हम स्वयं जनता के सामने पॉलिसी रखते हैं । अगर कोई मुझसे मेरे क्षेत्र का आदमी यह उम्मीद करता है कि मैं उसको

(श्री श्रीमानसिंह)

यह प्रोमिज करके आया हूं कि फलां गांव में कुंआ खुदेगा या उसको स्ट्रीट पक्की होगी या उसकी रुफ ट्रिन की हो जायेगी या इस तरह के जो फंक्शन्स हैं उन फंक्शन्स के लिए मैंने प्रोमिज किसी को नहीं दिया है।...

श्री युगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : मैं समझता हूँ कि प्रश्नों के द्वारा इस प्रकार की बातों को हम यहां लाते हैं।

श्री श्रीमानसिंह : अफसोस इसी बात का है कि हम अपना राइट समझते हैं। सिफारिश से काम कराना एम० एल० ए० का काम नहीं है। इस तरह की सिफारिश से काम चलता है इसलिये आप रहना चाहते हैं। पंचायत समितियों को यहां आकर शिफारिश करें।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : point of order, Sir. The questions which are placed here are not 'sifarish'. It is accepted parliamentary practice that by questions, replies and interpellations the members give directions to the executive.

श्री श्रीमानसिंह : That is not the question hour. The Hon'ble Member can be enlightened in the question hour.

श्री पी. के. चौधरी : The Hon'ble Member should be asked to withdraw these expressions.

श्री श्रीमानसिंह : I will not withdraw anything and I can assure the Hon'ble Member that I am more conversant with the relevancy of the Question Hour than the Hon'ble Member.

श्री पी० के० चौधरी : The Hon'ble Member should not assume too much about himself.

श्री सभापति : I presume both are conversant.

श्री श्रीमानसिंह : I alwas assume more than the Hon'ble Member.

इस तरह का एक एप्रोच बन गया है। रूल्स के अन्दर क्वेश्चन हम इनफोरमेशन के लिए पूछते हैं कि अमुक काम हुआ या नहीं। अगर आप यहां पर यह क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं किसी रकम के लिए या किसी काम को कराने के लिए, तो यह मैंने आज तक क्वेश्चन का मकसद नहीं जाना है, न पढ़ा है और न किसी पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस के अन्दर है। आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा। आप लाइब्रेरी में जाकर देखें कि क्वेश्चन का मतलब यह है कि इनफोरमेशन इलिसिट करने का मतलब है। उसी मतलब से कम से कम क्वेश्चन दिया जाता है। मैंने तो इसी मकसद से दिया है। आप किसी काम या फन्क्शन के लिए देते हो तो आप जानें।

तो मैं कह रहा था कि पार्टी केन्डीडेट के लिए हम पॉवर लेने जा रहे हैं। मैं किसी का नाम तो नहीं लेता हूं लेकिन उनका मकान तो बना हुआ है जयपुर के अन्दर और वे एम० एल० ए० हुए है भरतपुर से, और क्लेम करते हैं असेम्बली में लोकल

(श्री श्रीभानसिंह)

नॉलेज का। रहते भरतपुर के अन्दर हैं, मकान जयपुर में है और यहां पर खड़े होकर कह सकते हैं कि मेरी जितनी लोकल नॉलेज उस एरिया की मेरी कॉन्स्टीट्युएन्सी की है उतनी ग्राम पंचायतों को नहीं है। यह अजीब आरग्युमेंट है ?

श्री ज्वालाप्रसाद (नसीराबाद) : आप साफ कहें कि किस मेम्बर के बारे में है ?

श्री श्रीभानसिंह : मैं किसी खास मेम्बर के बारे में नहीं कह रहा हूं। आपका प्रश्न हो सकता है। आप व्यक्तिगत ला सकते हैं और मैंने किसी के बारे में नहीं कहा है। यह बहुत सी प्लेसेज के लिए एप्लाई करता है। उनमें से आप भी हो सकते हैं। आप भी बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं तो।

एक पार्टी केन्डीडेट के लिए नेसेसरी नहीं है कि वह अपनी कॉन्स्टीट्युएन्सी को बीलोन्ग करता हो। पार्टी केन्डीडेट को वोट दिये जाते हैं तो पार्टी की ब्रोड पॉलिसी पर दिये जाते हैं। तो उन ब्रोड पॉलिसीज के अन्दर मैं खुद जितनी पोलिटिकल पार्टीज हैं या चाहूंगा कि आखिर यह बताएं कि उन ब्रोड पॉलिसीज में उन्होंने कभी डिक्लेअर किया था कि अमुक जगह कुंआ खोदेंगे। इस तरह के माइन्यूट डिटेल्स उनके लिए किसी भी पोलिटिकल पार्टी ने नहीं रखे। ब्रोड उद्देश्य रखे जनता के सामने। उनको एग्जीक्यूट करने के लिए हम ऐजेन्सी बना रहे हैं पंचायत समिति को तो यहां डिफरेंस आ जाता है कि लेजिस्लेटर्स को एग्जीक्यूटिव पॉवर्स दे रहे हैं। वह एग्जीक्यूटिव एजेन्सी बन रही है। लेजिस्लेचर एक ब्रोड पॉलिसी ले डाउन करती है। उसके एकॉर्डेन्स में कानून फ्रेम करती है और उसी को वह एग्जीक्यूट क्यों न करें ? यहां पर यह ले लिया जाय तो हम लेजिस्लेचर को एग्जीक्यूटिव करना चाहते हैं। आखिर जिस मन्शा से कानून बनाते हैं, जिस इन्टेन्शन से बनाते हैं, जिस परपज से बनाते हैं, जिस ऐम और ऑब्जेक्टिव से करते हैं तो उनसे बेटर आदमी कौन है। उनका एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिए तो वे कानून को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कहीं पर क्वेश्चन अगर क्लेश का आये तो जुडीशियरी के अन्दर भी हमारा रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिए, क्योंकि लेजिस्लेचर की मन्शा के मुताबिक इन्टरप्रेट सबसे अच्छा वही आदमी कर सकता है जो कि कानून बनाता है। इस तरह से लेजिस्लेटर्स का रिप्रेजेन्टेशन तीनों के अन्दर रहता। एक्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडीशियरी।

माननीय सदस्य जानते हैं कि पंचायत समितियों को एग्जिक्यूटिव पॉवर्स हैं। तो एक तरफ तो हम सेपेरेशन ऑफ पॉवर्स का नारा लगाते हैं और दूसरी तरफ लेजिस्लेचर का आदमी एग्जीक्यूटिव पॉवर्स को एज्यूम करने जा रहा है, क्योंकि हम फ्रेंड, फिलॉस्फर एन्ड गाइड है। यह आर्ग्युमेंट उनकी तरफ से है जो सबसे कम अपनी नॉलेज को एज्यूम करते हैं। जो रिप्रेजेन्टेशन चाहते हैं उनको अपनी नॉलेज का अभिमान है कि जनता को उन जैसा फ्रेंड, फिलॉस्फर और गाइड नहीं मिल सकता है। उन जैसा इन्टेलीजेन्ट आदमी नहीं है। उनको उनकी एडवाइस की जरूरत है। बिना उसकी एडवाइस के डेवेलपमेंट में रोक हो जायगी। बिना उनकी ओपीनियन के वह

(श्री श्रीभानसिंह)

ठीक नहीं होगा। अगर उनका वोट नहीं होगा तो जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमको अपनी ओपीनियन कैरी कराने के लिए क्यों नहीं पॉवर होनी चाहिए। तो एज्यूम कौन करता है ? एज्यूम वह करता है जो पॉवर चाहता है, और पॉवर कौन चाहता है कि जिनके हाथ में पॉवर है। मै यह चार्ज लगाता हूं कि जिन आदमियों के हाथ में पॉवर दी गई है वे ही विकेन्द्रीकरण के सबसे बड़े घातक बन रहे हैं।

तहसील पंचायतों के अन्दर अगर वे नेहरू हैं तो यह आरग्यूमेंट रहता है कि तहसीलदार सरपंचों को मोल्ड कर लेगा और जिस तरह से चाहेगा कन्ट्रोल करेगा, इसलिए एम० एल० ए० होना चाहिए ऑफिसर्स को वश में करने के लिए। अभी तक आप मौजूद थे, ब्लॉक समितियों में आप मौजूद थे, तो क्या मैं यह मानकर चलूं कि डेवेलपमेंट के काम के अन्दर इतना भाग लिया कि हरएक में सक्सेस रही। सक्सेस होती तो जिस आरग्यूमेंट से शुरू किया था माननीय पी० के० चौधरी ने कि हमारे एन० आई० एस० ब्लॉक फेल्योर हो गये, वह बोडी फेल हो गई इस वजह से ये पंचायत समितियां कायम की गई हैं, फिर यह आरग्यूमेंट कैसे रहता है कि पंचायत समितियों में रिप्रेजेन्टेशन दिया जाय। पहले की ब्लॉक बोडीज में एम० एल० एज० का रिप्रेजेन्टेशन था वह फेल्योर को प्राप्त हुई तो पहले स्टेट्यूटरी ..

श्री पी० के० चौधरी : I did not say so.

श्री श्रीभानसिंह : That is what you said. The body did not have suffiicent powers. The advise of the Hon'ble Member was there though it may be right or wrong advise to the misfortune of that body.

तो हमारी एडवाइस थी, लेकिन वह बोडीज सक्सेसफुल नहीं हुई। यद्यपि वहां पर एम० एल० एज० का रिप्रेजेन्टेशन था। मगर हमें सबसे पहले इस क्लेम को फुट फॉरवर्ड करने से एक चीज मिल जाती है कि चाहे ग्राम की उन्नति हो या नहीं लेकिन उस एरिया पर कन्ट्रोल हो सकेगा, चाहे विकास हो या नहीं। मगर इनको रेस्पोन्सिबिलिटी देना है और वह रेस्पोन्सिबिलिटी यों देना है कि एक लोकल लीडरशिप क्रियेट करना है तो लोकल लीडरशिप को पूरा फ्लो देना पड़ेगा। लोकल लीडरशिप को आगे नहीं आने देते हैं और जो लीडरशिप मेरे अन्दर केन्द्रित है उस लीडरशिप को मानकर चलते हैं और उसी लीडरशिप को वहां रखते हैं तो जनता के अन्दर विश्वास नहीं रखते हैं। हम ग्राम पंचायत के अन्दर विश्वास नहीं रखते हैं। इसकी मिसाल जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह एक पोलीटिकल मोटिव नहीं है मगर एक पोलीटिकल आधार है। हमें डर लगता है कि वहीं पंचायत समितियों के चेयरमैन हमारे चुनाव में पोटेन्शल राइवल्स न हो जायें।

इतनी विकास में दिलचस्पी थी, माननीय सदस्यों को तो म्युनिसिपल बिल जब डिस्कस हो रहा था, तो अर्बन एरिया के रिप्रेजेन्टेटिव्ज को अर्बन एरिया के डेवेलपमेंट में दिलचस्पी नहीं है, वहां पर आपने उनको एक्स ऑफिशियो मेम्बर क्यों नहीं रखा ? आपने उस वक्त सजेशन क्यों नहीं दिया ? अर्बन एरिया से जो आते हैं तो उनको उतनी

(श्री श्रीभानसिंह)

शहर के डेवेलपमेंट के लिए दिलचस्पी हो जितनी कि रूरल एरिया के लिए रखते हैं, उसके लिए किसी माननीय सदस्य का यह सजेशन नहीं था कि अर्बन एरिया के एम० एल० ए० को उसमें रखा जाय। आज रूरल एरिया से जो आते हैं, अर्बन एरिया के आदमी रूरल एरिया से आते हैं तो लीडरशिप को आप मिडिल क्लास के अन्दर सेन्ट्रेलाइज करना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा रिप्रेजेन्टेशन हो, तभी यह कहा जाता है कि हमारी वोटिंग होनी चाहिए। इससे हम यह चाहते हैं कि डोमीनेन्स मिडिल क्लास का रूरल एरिया पर हो। उस पर अर्बन माइन्डेड पीपल का डोमीनेन्स हो। अगर आप इतने यूजफुल हैं कि जनता ने आपको वोट दिया तो फिर मैं आपसे ही प्रश्न पूछता हूं कि आप जनता का भरोसा क्यों नहीं करते हैं? अगर मेरी यूजफुलनेस की पंचायत समिति को जरूरत है तो पंचायत समिति मुझे कोऑप्ट नहीं कर सकती है क्या? अगर मेरी एडवाइस की जरूरत है तो क्या वह मेरी एडवाइस नहीं ले सकती है? मुझे कोऑप्ट नहीं कर सकती है क्या? मेरा प्रश्न यही है कि अगर मुझे पंचायत समिति चाहती है तो कोऑप्शन का क्लॉज है उसमें एम० एल० ए० को कोऑप्ट कर सकती है। मगर मैं यह निश्चय मानकर चलता हूं कि १७६ में से २० आदमी भले ही कोऑप्ट हों बाकी कोऑप्ट नहीं होने के हैं। यह जो न्यूमरीकल स्ट्रेन्थ वह देते हैं......

श्री ज्वालाप्रसाद : आप दूसरों के लिए नहीं बोलें अपनी एक्जाम्पल पर चलिये कि माननीय सदस्य की पोजीशन उनके क्षेत्र के अन्दर क्या है?

श्री श्रीभानसिंह : उनको यहां पर डेढ़ लाख जनता ने चुनकर भेजा है लेकिन वे ग्राम पंचायत में एक हजार वोटों से हार गये। आप देखिये यहां यदि चुनाव का परिणाम रखते हैं, उनको १॥ लाख लोगों ने भेजा है लेकिन ग्राम पंचायत के चुनाव में एक हजार वोटों से हारे और इस पर भी वे यह कहें कि वे पंचायतों के लिये फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड हैं। ऐसे कई माननीय सदस्य होंगे। बहुत से म्युनिसिपल चुनाव में भी हारे होंगे, लेकिन जनरल इलेक्शन की बात है, यहां कांट्राडिक्शन है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ग्राम पंचायतवालों को हमारी जरूरत है। यदि उनको आपकी जरूरत है तो आप उनको फ्री छोड़िये। कोऑप्शन की पॉवर उनके पास है उससे वे आपको वहां कोऑप्ट कर सकते हैं लेकिन सुपर इम्पोज करने की पॉवर आपके पास है। जो पॉवर आपके पास है उसको आप युटिलाइज करना चाहते हैं, लेकिन जो पॉवर उनके पास है उसको आप युटिलाइज नहीं करने देते मेरा मतलब यह है कि जब आपने हाउस के सामने सब क्वालिटीज बतला दीं, तो अखबारों के जरिये उनके पास तक पहुँच गई जो अगर चुनने वालों को नहीं मालूम है तो अब मालूम हो जायगा। उनको अगर आपकी जरूरत होगी तो कोऑप्शन कर लेंगे। लेकिन कोऑप्शन से आप डरते हैं अगर कोऑप्शन नहीं किया जाय तो क्या होगा? तो फिर हमारे पास तरीका क्या है? एसोशियेट मेम्बर या फुलफ्लेज्ड मेम्बर बनाने का पॉवर हमारे पास है इसलिये आप सुपर इम्पोज करते हैं। डेवेलपमेंट वर्क के लिये एक एक तरफ तो आप इनिशियेटिव चाहते हैं और उनकी पॉवर को डेवेलपमेंट करना चाहते हैं तो दूसरी तरफ उनके कोऑप्शन के पॉवर को क्यों नहीं

(श्री श्रीभानसिंह)

डेवेलप करते हैं ? राइट व्यक्ति का चुनाव क्यों नहीं करने देते ? राइट व्यक्ति एम० एल० एज० हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। एक तरफ तो आप डिसेन्ट्रेला-इजेशन करना चाहते हैं और दूसरी तरफ एम० एल० एज० को रखना चाहते हैं पंचायत समिति में...

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभ नगर-सु०) : जयपुर में रहना चाहिये।

श्री श्रीभानसिंह : वहां आप रहते हैं, जयपुर में। उन्होंने आरग्यूमेंट दिया कि एम० एल० ए० एक लिन्क के रूप में सर्व करेगा। हमने पंचायत समिति के रोल को नहीं समझा है। सदन में यह निर्णय करना होगा कि हमारा जो राजनैतिक ढांचा है उसमें पंचायत समिति का क्या रोल रहेगा ? जो अगर हम उनको एडमिनिस्ट्रेटिव लिन्क मानते हैं तो उनको ऐसे पॉवर दें जिसके अनुसार काम करें, यह डिसेन्ट्रेलाइजेशन का मतलब नहीं है। डिसेन्ट्रेलाइजेशन का मतलब यह है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का बेस हो। उसमें आप टोप के आदमी को भेजने की क्यों जरूरत समझते हैं। इसको अगर लिन्क मानेंगे तो वह न तो डेमोक्रेसी है बल्कि एक्सपीडियेन्सी है। पंचायत समितियों से आपके लिन्क के रूप में ऑफिसर्स मौजूद हैं। आपने ऑफिसर्स को किस लिये रखा है ! As a link between the Panchayat Samiti and legislature.

वे ऑफिसर्स आपको रिपोर्ट करेंगे। वह लिन्क आपका मौजूद है। फिर एक इलेक्टिव आदमी के दूसरे लिंक की क्या जरूरत पड़ी? वे यहां आकर कह सकते हैं तो मैं कह सकता हूं कि उनकी जितनी नॉलेज है उससे वे लिंक का काम नहीं कर सकेंगे क्योंकि वे पंचायत समिति को एवोइड करेंगे और जो सरपंच है उससे ही बात करेंगे। उनके पीछे जो उनको वोट देने वाले पंच है उनको नहीं पूछेंगे और पंचों को भेजने वाले जो जनरल वोटर्स हैं, वे उनके पास नहीं जाना चाहते, उनके साथ कांटेक्ट नहीं करना चाहते। पंचायत समिति में ही नेरो डाउन करना चाहते हैं। यह चीज जनतन्त्र के लिये घातक होगी और इलेक्शन के लिये घातक होगी। मैं जाकर खाली सरपंच से कांटेक्ट कर लूँ। लेकिन सरपंच, पंचों द्वारा चुना गया है और पंचों को गांवों की जनता ने चुना है, लेकिन हम गांव की जनता से कांटेक्ट नहीं करना चाहते बल्कि कांटेक्ट करना चाहते हैं पंच या सरपंच से। लेकिन गांवों की समस्या एक इन्स्टिट्यूशन में ही सीमित नहीं है बल्कि गांवों की समस्या इन्डिविज्युअल्स तक है और इन्डिविज्युअल्स कलेक्टिवली होते हैं, वहां पर समस्या रहती है। इसलिये एक एम० एल० एज० को इन्डिविज्युल्स से भी कांटेक्ट रखना चाहिये इसलिये उनका स्कोप वाइडर होना चाहिये न कि पंचायत समिति तक ही सीमित।

इन सब आर्ग्युमेंट्स को देखते हुए मैं फिर निवेदन करूंगा कि चाहे एसोशियेट मेम्बर रखें, चाहे फुलफ्लेज्ड रखें, लेकिन जनता की राय हो वैसा करना चाहिये। नहीं तो जनता यह कहेगी कि सदन को पॉवर दी थी। उसके द्वारा जिनको जनता नहीं चुनना चाहती थी उनको जबर्दस्ती थोपा, इस दृष्टि से कि वह फ्रेन्ड, फिलोसफर और गाइड का काम करेगा। जो अगर आप फ्रेन्ड, फिलोसफर

(श्री श्रीमानसिंह)

और गाइड है तो आपको कोऑप्ट किया जायगा और निश्चित रूप से कोऑप्ट करेंगे। और अगर जनता आपको फ्रेन्ड, फिलोस्फर और गाइड मानती नहीं है तो सदन के जरिये इम्पोज करना अनडेमोक्रेटिक होगा, डिसेन्ट्रेलाइजेशन के विरुद्ध होगा और जनहित के विरुद्ध होगा।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने हेतु खड़े होने पर)

श्री सभापति : The House is in a mood to hear Shri Hari prasad Yadav.

Yes, Shri Hari Prasad Yadav

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर-सु.) माननीय सभापति महोदय (करतल ध्वनि), मेरे पूर्व वक्ता ने इस पर काफी प्रकाश डाला है। श्री भटनागर जी ने अपने प्रस्ताव में यह बतलाया कि विधान सभा के सदस्यों को पंचायत समिति में लेना चाहिये। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि यह प्रस्ताव ऐसा है जैसे कोई आदमी सड़क पर चल रहा है··· :

एक माननीय सदस्य : आप उनके कहने से बोल रहे हैं क्या ?

श्री हरिप्रसाद यादव : मैं इस सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि हम राजस्थान विधान सभा में कई इलाकों से चुन कर आये हैं, आज हमारा यह बिल बताता है कि हम राजस्थान से सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने आये हैं, आज हम देश का निर्माण करने और देश के लोगों को सस्ता न्याय देने के लिये और अच्छा कानून बनाने के लिये यहां आये हैं, न कि हम लोगों में फूट डालें। तो मैं, सभापति महोदय, आपके जरिये माननीय सदस्यों का ध्यान खींचना चाहता हूं कि माननीय भटनागर जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका जोरदार विरोध करता हूँ। मुझे यह नापसन्द है और जो श्री पी. के. चौधरी ने संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : मोहनलाल जी ने तो यह समझ कर आपको सिफारिश की थी कि आप उसको सपोर्ट करेंगे।

श्री हरिप्रसाद यादव : आज हम इस सदन में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण पर चर्चा करने जा रहे हैं तो परम्परा से प्राचीनकाल का इतिहास पढ़ने वालों को ज्ञान होगा और माननीय सदस्यों ने जिन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है वे हिन्दुस्तान के इतिहास को पढ़ें। हिन्दुस्तान के इतिहास को पढ़ने से उनको यह भान हो जायगा कि हमारे यहां पंचायती शासन बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमारी सरकार ने लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण बिल पर, जो बहुत महत्वपूर्ण बिल है, यह चर्चा करने का मौका दिया है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो बिल यहां पर चल रहा है वह पास होना चाहिये। इसमें विधान सभा के सदस्यों और पंचायत के सरपंचों के साथ टक्कर नहीं चलनी चाहिये। आज जो बिल चल रहा है उसकी आज की कार्यवाही कल अखबारों में जायगी और दैनिक अखबार पढ़ने वाले लोगों, सरपंच और पंच के दिमाग खराब

Page No.76

(श्री हरिप्रसाद यादव)

होंगे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस विधेयक के द्वारा पंचायत के सदस्य और विधान सभा के सदस्यों के बीच में मनमुटाव नहीं होना चाहिए। हमारे प्रान्त में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण दो अक्टूबर से होने जा रहा है और पंचायत को अधिकार देने जा रहे हैं तो उसमें विधान सभा के सदस्यों का भी सहयोग होना चाहिए। (करतल ध्वनि)

श्री सभापति : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, एक ऐसा प्रश्न उपस्थित है हाउस के सामने, जिससे जो मनुष्य मनुष्य के बीच में जो अन्तर है, मानव मानव में जो भेद है उसको बढ़ाना चाहते हैं, या यह समझना चाहते हैं कि विधान सभा के सदस्य हैं, वे किसी आकाश या देवलोक के प्राणी हैं और सरपंच और पंच हैं, वे जमीन के प्राणी हैं। सवाल एक छोटा और सार है और हम यह समझ कर चलें कि एक दीपक को जलाने के बाद हमारा कर्तव्य समाप्त नहीं हो जाता है। जब दीपक जल जाता है, तो हमारा कर्तव्य हो जाता है कि आंधी और झंझावात से वह दीपक बुझ न जाय। हम एक उसूल को लेकर चल रहे हैं और वह यह है कि किस प्रकार हम ऐसा राज्य कायम करें जिसमें इन्सान पर इन्सान की हुकूमत नहीं हो, आखिर इस राजतन्त्र का एक सिद्धान्त मनुष्यों के दिमाग में है, वह यह है कि वह सबसे अच्छा राज्य हो, सुन्दर राज्य हो, स्वतन्त्र राज्य हो जो मनुष्य के जीवन में, काम में हस्तक्षेप नहीं करें, वे भी यह चाहते है, लेकिन एक बड़ा पेचीदा सवाल है। राजस्थान सरकार ने एक बिल पेश किया, और उसका मकसद यह था कि जो काम है, उसको हम बांटना चाहते हैं, नौकरशाही के हाथ से हटा कर। हम अब काम उन लोगों को सौंपना चाहते हैं जो काम में दिलचस्पी लेकर, विकास के काम में मन लगाकर विकास कर सकें। एक छोटा सा सवाल है, चाहे सत्ता का विकेन्द्रीकरण हुआ हो या नहीं हो। लोगों के दिमाग में है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण है। मैंने अपने भाषण में पहले भी कहा था कि कोई यह न समझ बैठे कि इस बिल के द्वारा किसी सत्ता का विकेन्द्रीकरण होता है, इसके द्वारा नाम मात्र में भी सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं है, काम का विकेन्द्रीकरण है। जो काम पहले ऊपर के लेवल पर करते थे, जो चन्द आदमी बैठ कर जो सरकारी ऑफिसर होते थे, वे बैठ कर कुछ काम करते थे, उसका बंटवारा अपने स्तर पर, छोटे २ स्तर पर पंचायत समिति के स्तर पर करना है पंचायत समितियों के स्तर पर हम चाहते हैं कि कुछ विकास के काम चलें, जिनसे जो अशिक्षा हैं, वह खत्म हो जाय, जो गरीबी है, उसका बंटवारा किया जाय, हम इस सिद्धांत को लेकर चलते हैं। हमने इस बिल के साथ एक लम्बी सूची दी है, जिनके आधार पर गांव के अन्दर विकास का काम करना चाहते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि जो एम० एल० एज० हैं, जो विधान सभा के सदस्य हैं, उनके लिए हम चाहते हैं क्योंकि लोगों में एक भावना होती है; मनुष्य मनुष्य के स्तर में फर्क होता है और कुछ आदमियों का विकास शारीरिक, मानसिक और नैतिक हो जाता है और जो छोटी छोटी इकाई है, उनमें बैठने वाले व्यक्तियों का विकास नहीं हो पाता है, इसलिए विधान सभा के सदस्यों के वहां बैठने से वे दब जाते हैं और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण उन सरपंच और पंच का विकास नहीं

(श्री मूलचन्द डागा)

होगा और वे स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकेंगे। मुझे दुःख इस बात का है कि हम इस बात को भूल जाते हैं कि समाजवाद का जो मुख्य लक्ष्य है, वह यह है कि हम समानता लाना चाहते हैं, स्वतंत्रता लाना चाहते हैं, भ्रातृत्व लाना चाहते हैं। अगर ये तीन सिद्धांत हैं समाजवाद के, कि हम समानता लाना चाहते हैं, स्वतंत्रता लाना चाहते हैं और भ्रातृत्व लाना चाहते हैं, तो उस समानता के आधार पर एम० एल० ए० समझें कि हम फ्रेन्ड, फिलॉस्फर और गाइड की तरह काम करते हैं तो मैं कहूंगा कि न हम गाइड हैं और न फिलॉस्फर हैं, हम जन प्रतिनिधि हैं, हमें उनके साथ बैठना है और उनके साथ बैठकर विकास के कार्य में गति लानी है। जो सदस्य गांव गांव, घर घर घूम कर एक लाख वोट लेकर जन प्रतिनिधित्व करते हैं, वे लोगों की भावनाओं, अभिलाषाओं और इच्छाओं के प्रतीक हो सकते हैं। जब एम० एल० ए० बोलता है, जब उसकी वाणी बोलती है तो वह समझता है कि वह गांवों की भावनाओं को प्रकट करता है। तो मैं नहीं समझ पाया कि आप उस स्तर से क्यों समझने लगे? मैं कहता हूं कि एम० एल० ए० देहात में पंचायत समिति में बैठते हैं, वहां की कार्यवाही में भाग लेते हैं, तो क्या यह नहीं हो सकता कि जो एम० एल० ए० का अनुभव है, उसका भी बटवारा उन लोगों में हो। इससे आप हमें क्यों महरूम रखना चाहते हैं। एक पंचायत समिति की बैठक में १०, १५ सरपंच आते हैं, उसमें एम० एल० ए० बैठता है तो जो उसने अनुभव इकट्ठा किया है, अपनी जिन्दगी के जितने दिन उसने धारा सभा में बिताये हैं, उससे, वे कानून से गांव वालों को परिचित करायें। मेरी समझ में यह बात हो सकती है कि उसके अनुभव का बटवारा हो सकता है। उसके ज्ञान का बटवारा हो सकता है। जब अमीरी का बटवारा हो सकता है, तो उसका जो ज्ञान है, बुद्धिकोष है, उसका भी हम बटवारा चाहते हैं और वह तब ही हो सकता है जब भाई के नाते, भ्रातृत्व के आधार पर, समानता के आधार पर उनके साथ बैठ कर बातें करते हैं। मैं समझता हूं कि १६६५ में इस बात की आशा कर सकते हैं कि हिन्दुस्तान का कोई नागरिक राजनीति से दूर नहीं होगा। जिसका जीवन राजनीति से दूर हो, मैं समझता हूं कि उसमें जीवन नहीं है यह चीज तानाशाही में नहीं रहती है, फासिज्म में नहीं रहती। तो हमारे जीवन में राजनीति हमेशा होगी और उसको रखना होगा। कोई व्यक्ति किसी विचारधारा का हो, राजनीति से उसका सम्बन्ध होगा, वह राजनीति से अलग नहीं हो सकता है। जैसे ही एक व्यक्ति जीवन में घुसना चाहता है, वह राजनीति के क्षेत्र में आता है। १८ साल का होने के बाद एक व्यक्ति यह अधिकार प्राप्त करता है कि उसे वोट देना होगा। तो जब वोट देने का अधिकार है तो राजनैतिक प्रचार करने का, अपनी बात को कहने का पूरा अधिकार है। यदि कोई यह समझे कि एक एम० एल० ए० पंचायत समिति में जाकर अपनी राजनीति फैलाता है, कांग्रेस की बात करता है, किसी और पार्टी की बात करता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं। क्या हम चाहते हैं कि वह चुप रहे? क्या हम चाहते हैं कि वह अपनी बात नहीं कहे? हम चाहते हैं कि जन सम्पर्क बढ़े, तो जन सम्पर्क इन ग्राम पंचायत, पंचायत समितियों में जाने से बढ़ सकता है, गांवों में जाने से बढ़ सकता

(श्री मूलचन्द डागा)

है। एक अजीब बात है, एक काम हो रहा है पंचायत समिति का, वह काम क्या है ? उसकी कुछ बैठकें होती हैं, उनमें ब्लॉक के विकास के सम्बन्ध में बात होती है, उसके लिए, मेरे ख्याल से काफी प्रश्न हम इन्हीं बातों पर रखते हैं। कुओं पर, स्कूलों पर, पाठशालाओं पर, यह कहना चाहिए कि हम प्रश्नों की बौछार करते हैं मन्त्री महोदय पर। यदि हम पंचायत समिति से अलग रहते हैं, तटस्थ रहते हैं, तो मैं समझता हूं जो एम० एल० ए० बन चुके हैं, विधान सभा के सदस्य बन चुके हैं और समिति द्वारा जो ब्लॉक में क्षेत्र में विकास योजनाओं का काम होता है, उस पर विचार होता है, उसमें वे अलग रहते हैं तो मैं समझता हूं कि वे एम० एल० ए० बन कर, अपने इस पांच साल के जीवन के अन्दर आकर एक गुनाह कर रहे हैं। क्योंकि आखिर में उसका कर्तव्य है कि जहां विकास सम्बन्धी बातें हों, जिन समितियों में बैठकर लोग इन बातों पर विचार-विमर्श करें और जिन प्रोग्राम्स को लेकर चलें उन प्रोग्राम्स से एम. एल. ए. अलग न रहे। अलग क्यों रहे, अलग रहने का कारण क्या है ? २० आदमी पंचायतों में इकट्ठे होते हैं, उनके सामने खाद का सवाल आता है, कृषि का सवाल आता है, स्कूलों का सवाल आता है और हर छोटे मोटे काम के सवाल वहां लाये जाते हैं, उन सब में एम. एल. ए. अपनी सलाह दे, उन सब सवालों से परिचित हो, उनका मार्ग दर्शन करे। क्या कारण हो सकता है इन सब चीजों से एम. एल. ए. को अलग रखने का ? एक तो आपके दिल में यह भावना हो, यह धारणा हो कि हम ऊंचे स्तर पर हैं, पंचायतों में पंचों के बराबर कैसे जाकर बैठें तो इससे यह जाहिर होता है कि चाहे हमने अपना उद्देश्य लोगों के सामने यह रखा है कि जो लोग मीनारों पर बैठे हैं, आसमान में बैठे हैं उनको धरती पर समतल पर लाना चाहते हैं और जो नीचे गिरे हुए हैं, पड़े हुए हैं, उनको ऊपर उठाकर समान दर्जे पर लाना चाहते हैं। पर हम लोगों के दिलों के अन्दर इस तरह की भावना है कि इन्सान इन्सान पर हुकूमत करना चाहता है। पर हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि हमने एक लाख आदमियों से वादा किया था कि तुम्हारी बात धारासभाओं में रखेंगे। पर धारासभाओं में जाने से पहले पंचायत समिति एक पहला कदम है, वह एक पहला सीढ़ा कहिये, पहली मंजिल कहिये, वही मायने में पहली मंजिल है। विधान सभा के सदस्य को कहा जाता है कि पहली मंजिल पर न चढ़ कर दूसरी मंजिल पर चढ़ जा, तो उसके दांत गिर जायेंगे और वे पंचायतों में बैठने वाले लोग समझेंगे कि जिसने हमारी जीवन सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरी करने का वादा किया था, वह हमारी रोजमर्रा की आवश्यकताओं की बातों से परिचित नहीं है। एम. एल. ए. उन मीटिंग्स में, ग्राम समितियों में उपस्थित नहीं होते हैं तो कई मौलिक प्रश्न गांवों में पैदा होते हैं, उनसे अनभिज्ञ रहते हैं और ठीक तरह से अपने कर्तव्य को अदा नहीं करते। इस तरह मैं तो कहूँगा कि जो एम. एल. ए. पंचायत समितियों में बैठने से हिचकिचाते हैं वे बड़ा गुनाह करते हैं। बहुत सी शंकाएं उठाई जाती हैं कि वे लोग वहां अपना लाभ उठा लेंगे तो मैं यही निवेदन करूंगा कि एम. एल. ए. बनने के बाद वह पंचायत समिति में कसौटी पर कसे जायेंगे, वहां जाने से पंचायत समिति के लोग अच्छी

Page No.79

(श्री मूलचन्द डागा)

तरह से समझ जायेंगे कि हमारे प्रतिनिधि एम. एल. ए. में ये ये गुण हैं, तो इस कसौटी में उन्हें जरूर जाना चाहिये, वहां पंच उनका मूल्यांकन कर सकते हैं और विचार कर सकते हैं कि वास्तव में हमारा एम. एल. ए. हमारी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है कि नहीं ?

यह नहीं कि आ कर बैठ जायं, कभी इच्छा हो तो आये, इच्छा नहीं हुई तो नहीं आये, ज्योंही मनुष्य एम० एल० ए० बन जाता है उसका कर्तव्य हो जाता है कि वह विधान से अच्छी तरह परिचित हो, कानूनों से परिचित हो विधान सभा की हर कार्यवाही से परिचित हो। और अपने इलाके की बातों से परिचित हो और विधान सभा में जो जो बातें होती हैं उनसे पंचायतों में लोगों को परिचित करे, यह एक सरकार और गांवों के बीच में लिन्क है, राज्य और ग्राम जनता के बीच में लिन्क है जो पंचायतों को गति दे सकता है, पंचायत समितियों को गति दे सकता है, आपके जीवन को गति दे सकता है और राज्य सरकार को गति दे सकता है। तो गति देने का एक मात्र साधन यह है कि पंचायत समिति के रोजमर्रा के कामों में एम० एल० एज० अवश्यमेव भाग लें। उनको वोट देने का अधिकार हो न हो. प्रधान बनें न बनें, प्रधान का पद क्या है, प्रधान वह बनता है जो सबकी भावना को ले कर एक कुर्सी पर बैठ जाता है और उस समिति का संचालन करता है। एक एम० एल० ए० को २५० रुपया वेतन मिलता है, वह पंचायत समिति का काम करता है तो वह कोई गुनहगार नहीं है, पर जो तनख्वाह लेते हैं, मुझे यह पता नहीं कि प्रधान का काम करने वाले को क्या तनख्वाह आप देंगे जिस एम० एल० ए० को २५० रुपया इसलिये देते हैं कि वह एम० एल० ए० की जिन्दगी बसर करता है, वह पंचायत समिति का काम करे तो कोई दोष की बात नहीं है। कहा गया गया कि दबाव से वह प्रधान बन जाएगा, विश्वास से लोग चुन लेते हैं दबाव की बात नहीं है।

हम लोगों में यह भावना हो कि हम लोग ऊंचे हैं, सरपंचों और ग्राम समिति के पंचों के साथ जिनका कि विकास नहीं हुआ है, कैसे बैठेंगे, तो हमारी यह भावना समाजवाद की मूल धारा के खिलाफ है। हमारी भावना में यह दोष है कि हम पंचायत समिति से उड़े हुए हैं, हमारा काम विधान बनाने का है । कानून है क्या ? कानून तो मनुष्य की इच्छाओं का प्रतीक है, कानून बनाते हैं वह क्या है ? मनुष्य की जो इच्छाएं होती हैं उनको कानून का रूप देते हैं तो अपने आपको ऊंचा समझने की भावना है यह आपको कलुषित करने वाली है।

जो पंचायत समिति बना रहे हैं, इसमें मौजूदा ढांचा बनाया है, मैं तो कहता हूं यह काम का विकेन्द्रीकरण है, सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं है। जो वहां अधिकारी काम करते हैं वे भी कुछ न कुछ नौकरशाही की बू लाते हैं तो एम० एल० एज० के वहां जाने से उनकी इस बू में कुछ कमी आयेगी। हम चाहते हैं कि एम० एल० ए० सेवा की भावना को ले कर वहां जायें, उनके साथ बैठ कर काम करें। जो लोग अपने आपको ऊंचा समझ चुके हैं और समझते कि कैसे उन लोगों के साथ बैठें उन्हें या तो एम्बेसेडर बनना चाहिए या बाहर जाना चाहिए। पर जो एम० एल० ए० सेवा भाव

Page No.80

(श्री मूलचन्द डागा)

को अपना कर्तव्य समझते हैं उन्हें जनता की भावना की कद्र करनी चाहिये । पंचायत समितियों, पंचायतों में जा कर जनता को उसके विकास में सक्रिय योग देना चाहिये ।

(अनेक सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री सभापति : रावल श्री नरेन्द्रसिंह ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (डूंडू): यह प्रश्न काफी जटिल सा हो रहा है कि विधान सभा के सदस्य पंचायत समितियों में भाग लें या नहीं लें । मैं तो इसको उचित समझूंगा कि वे पंचायत समितियों में भाग लेने से बाहर न रहें । देखा जाय तो उनका सेवा धर्म ही परम धर्म है, उन लोगों की गाइडेंस के लिए उन्हें अवश्य वहां जाना चाहिये, बाहर नहीं रहना चाहिए ताकि वे अपनी राय से स्टाटिस्ट्रिक्ट सेवाओं से जनता की सेवा कर सकें. उनके दुख दर्द के कार्यों में भाग ले सकें तो मैं तो इसको समीचीन और उचित समझूंगा । इसमें यह नहीं है कि वे अपने आपको महत्व के स्थान पर पहुंचाना चाहते हैं या पंचों के साथ बैठ कर अपनी स्थिति को लोअर समझते हैं । इसका मतलब तो सेवा भाव है, जिस सेवा भाव की भावना को लेकर उन्होंने बीड़ा उठाया है, उससे वे अलग क्यों रहें । मैं समझता हूं इधर और उधर बैठे हुए माननीय सदस्यों का एक ही भाव है कि उनको सेवा का मौका मिले ।

इस विषय में कई यह भी विचार पैदा होते हैं कि उनके आने से उनके वोट से उनका गांव के अन्दर जैसा वोट का और सभी प्रकार का घुसने का प्रश्न रहे तो यह क्यों रहे । इसका जैसा प्रश्न है, मैं उसको भी उचित नहीं समझता हूं । मेरा विचार यह है कि वे अपनी राय दे सकते हैं और वोट से बरी रहें तो कोई बात नहीं है । उनको तो वैसे ही रखा जावे, वे अपनी राय दें और अपनी विचारधारा को व्यक्त करें और सेवा का कार्य करें । इसके अलावा उनका कार्य यह है कि विधान सभा में उनको बोलना पड़ता है और विचार करने पड़ते हैं, दोनों के बीच में मजबूत कड़ी रहेगी । जिससे ज्यादा मजबूती से और अच्छा काम होगा मेरा व्यक्तिगत भाव यही है ।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : (अजमेर-पूर्व) श्रीमान्जी, इस सम्बन्ध में मेरी यह राय है कि संसद् के सदस्यों को पंचायत समितियों में भाग लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए, अगर पंचायत समितियों के जो उद्देश्य हैं उनको अगर आप देखेंगे तो मेरी बात अपने आप ही साफ हो जाती है । विकेन्द्रीकरण एक शब्द है जो हमने अंग्रेजी भाषा से विचार लेकर किया है । असली शब्द अंग्रेजी भाषा में है वह डी-सेन्ट्रेलाइजेशन है । इसका अर्थ है एक जगह सत्ता का एकत्रित नहीं होना बल्कि भिन्न भिन्न जगह अलग अलग शक्तियां एक दूसरे से प्रभावित नहीं हों । इस तरह की श्रृंखला को विकेन्द्रीकरण शासन कहते हैं । तो एक तो हमारे यहां केन्द्र की सरकार है भारत सरकार और दूसरी राज्य की सरकारें हैं । और राज्य की सरकारों के नीचे भी राज्य सरकार से अप्रभावित शक्ति होनी चाहिए । इसमें ऊपर की शक्ति की बाधा नहीं होनी चाहिए । इसमें नीचे से शक्ति आवे ऊपर को । ऐसा विचार लेकर और इसको देखकर ही पंचायत समितियां बनाई हैं और अगर

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

इसमें भी राज्य सरकार का हस्तक्षेप रहे तो फिर विकेन्द्रीकरण नहीं कहा जा सकता है। हस्तक्षेप उस हालत में हो सकता है जब कुछ हस्तक्षेप करने की आवश्यकता हो, जैसे राज्य सरकार पर केन्द्रीय सरकार का हो सकता है। जैसे केरल में हुआ है। लेकिन आम तौर से किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। हम जितने सदस्य सदन में बैठे हैं सभी राज्य सरकार के अंग हैं। सरकार का अंग्रेजी में अर्थ है 'सोवरिनिटी' जैसा मैंने पढ़ा है। अंग्रेजी कानून में कहा है कि इंगलैन्ड में सोवरिनिटी कहां रखी है। वहां पर 'सोवरिनिटी किंग इन पार्लियामेंट' में सोवरिनिटी रेस्ट करती है। इसी तरह राज्य सरकार में 'गवर्नर इन असेम्बली' है।

मेरे एक मित्र ने कहा कि पंचायत समितियों के संगठन होनेसे लोकल बोडीज को ज्यादा अधिकार होंगे सरकार ने पंचायत समितियों को अधिकार दिये हैं। यह एक बड़ी लचर दलील पेश की है। चीज यह है कि समितियों को बनाने का मकसद यह है कि राज्य सरकार की शक्तियों को उनमें हस्तान्तरित करें। यदि इस उद्देश्य की पूर्ति करना है तो पंचायतों के मामलों में राज्य सरकार का इस प्रकार हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। पंचायत समितियाँ और म्युनिसिपेलिटीज में भेद क्या है। दोनों लोकल बोडीज है। दोनों विकेन्द्रीकरण के साथ साथ हैं। अगर आप पंचायत समितियों में एम० एल० ए० को सदस्य रखना चाहते हैं तो म्युनिसिपेलिटीज के भी सदस्य आप उनको बनावें। जहां से वे चुनकर आये हैं वहां के एक्स ऑफिशियो मेम्बर सदन का सदस्य हो। मगर इसके लिए आप यह कहेंगे कि यह तो बड़े मखौल की बात है। मै यह कहूंगा कि यह मखौल की बात है तो आप यह कहते हैं वह भी एक मखौल की बात है।

एक साहब ने फरमाया कि जो विधान सभा में चुनकर सदस्य आते हैं उनकी पोपुलेरिटी वहां पर जरूर होती है और उनका प्रभाव भी होता है। इसलिये उनकी पोपुलेरिटी का फायदा उस पंचायत समिति को मिलना चाहिये और उनकी ओपिनियन का भी फायदा मिलना चाहिये। मैं यह कहूँगा कि यह फायदा किसी भी तरह से कानून द्वारा रुका नहीं है अगर वे प्रभावशाली हैं, उनका प्रभाव तो मौजूद ही है। अपनी राय दे सकते हैं। मेरे एक मित्र फुलेरा से आनेवाले ने कहा है कि हमको डाइरेक्शन के पॉवर होने चाहियें। जिससे वे उसकी रीति नीति में डाइरेक्शन देते रहेंगे। मगर यह कहूँगा कि कोई सदस्य राज्य को डाइरेक्ट नहीं कर सकता। उसको तर्क और डिस्कशन करने का अधिकार है। बहस करने का अधिकार है। डाइरेक्शन का पॉवर तो सरकार को ही है। आज भी पंचायत समिति आपकी सलाह चाहती है तो कोई कानूनी मनाई नहीं है वह आप को बुला सकती है और आपकी सलाह ले सकती है। मगर आप यह चाहते हैं कि उनके निर्णयों में आपका हिस्सा हो। यह मुझे कुछ मजाक सी लगती है। आप समिति को प्रभावित करें। कोई छोटी संस्था है अगर आप में अधिक ज्ञान है तो आप उनको प्रभावित करें। लेकिन बुत पैदा करने में आपका हाथ होना चाहिये यह एक गन्दी बात है। वह प्रजातन्त्र से गिरे हुए हैं। अपने हाथ में सत्ता रखें यह दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए और मैं समझता हूं कि इस

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि पंचायत समिति में एम० एल० ए० सदस्य नहीं हों और उनकी ईमानदारी पर कुछ आक्षेप है। मगर सही और ईमानदारी इसी बात पर है कि जिस काम के लिये जनता ने आपको चुना है और वोट देकर भेजा है उसके कार्य को करें और जिसको करने के लिए आपने धर्म उठाया है। मैं समझता हूं यह एक अप्रगतिशील कदम होगा और सिद्धान्त होगा उस पंचायत समिति में सदस्यता को स्वीकार करने का।

श्री ज्वालाप्रसाद (नसीराबाद) : सभापति महोदय, जो चर्चायें यहां पर हुई हैं वे तरह २ के आदर्श व आदेशों की और और तरह की हुई हैं। मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि एम० एल० ए० पंचायत समिति के सदस्य बनें या न बने, लेकिन सही मसला क्या है उसको समझने के बाद इस मसले पर सदन को कुछ तय करना चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : Either he must support the amendement or.........

श्री ज्वालाप्रसाद : पूरा सुनेंगे तब पता चलेगा।

श्री सभापति : समझने के दो तरीके होते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद : मैं यह निवेदन करूँगा कि इस मसले पर जो आज हमारे सामने है उस पर कई माननीय सदस्यों ने जोर दिया है। यह बिल जब सदन में पेश हुआ था तब आपने देखा होगा कि जो उसे अलग फन्डामेन्टल चेन्ज राजस्थान में यह किया कि समितियों को चुने हुए चेयरमैन दिये।

श्री ज्वालाप्रसाद (नसीराबाद) : प्रेसिडेन्ट, प्रधान चुने हुए समितियों को दिये हैं। यह राजस्थान ने सारे हिन्दुस्तान में पहली मर्तबा कदम उठाया है। जो कमेटी की सिफारिश है उसके अन्दर उनकी कल्पना, जिसको विकेन्द्रीकरण कहते हैं, केवल इतनी ही थी कि आपके बी०डी०ओ० और क्लेक्टर उस काम को सम्हाले। प्रधान, उपप्रधान के लिए, कोई जगह सिफारिश के अन्दर नहीं थी। जब राजस्थान में इस पर विचार हुआ तो सिद्धान्त रूप से सोचा कि इसको हाफ वे में ले जाकर इसको वहीं तक ले जाना है जहां तक कि इसको लेजाना चाहते हैं। सारे हिन्दुस्तान में और जगह समितियां बनाने के लिए बिल पास हुए हैं, मद्रास और आंध्र में हुए हैं, उन्होंने इस चीज़ को वैसा का वैसा ही छोड दिया है। हमारी सरकार ने यह क्रांतिकारी कदम उठाया कि जिस लेवल पर इसको लेजाना चाहते हैं लेजाना चाहिए, जनता के प्रतिनिधियों द्वारा ही यह काम करवाना चाहते हैं। सरकारी मशीनरी है जिसके ज़रिये सीधा सम्बन्ध रहता है वहां विकेन्द्रीकरण नाम मात्र नहीं होता है। कलेक्टर, बी. डी. ओ. सीधे सरकार के नौकर रह कर पंचों को रख कर काम चलावें उससे सही तौर पर सत्ता आगे नहीं बढ़ती है। सरकार ने और आपकी असेम्बली ने ही यह सबसे पहला कदम लिया है कि चुने हुए प्रधान, उप प्रधान होने चाहिएँ।

अब मसला यह आता है कि उसके अन्दर एम. एल. एज. और दूसरे हैं उनकी

(श्री ज्वालाप्रसाद)

स्थिति क्या हो ? आप मेम्बर नहीं रहें कोई बात नहीं और रहते हैं तो इससे कोई सिद्धान्त की बात भी भंग नहीं होती है। राजस्थान सरकार ईमानदारी से विकेन्द्रीकरण के लिए आगे बढ़ना चाहती है तो वह सही कदम से चलें। आज भी दूसरी जगह कौंसिल, ब्यूरो की फर्क की बात कही। अजमेर से आनेवाले मेरे सम्मानित सदस्य ने कहा, मैं उनको कहूंगा कि जहां दूसरे देशों में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फर्क है, कुछ संस्थायें हैं वहां डाइरेक्ट इलेक्शन होता है, लेकिन आज विकेन्द्रीकरण द्वारा राजस्थान का काम किस प्रकार चले, किस प्रकार सत्ता हस्तान्तरण करके उनमें आत्म विश्वास हो उस काम के लिए इस प्रकार की चीजों को देखना होगा। यदि छोटी २ चीजों से, अमे-

(श्री बरकतुला खाँ, सभापति, पदासीन)

रीका आदि के कॉन्स्टिट्यूशन से नकल करना है तो वह विकेन्द्रीकरण तो हम कभी का कर चुके हैं. वर्षों पहले कर चुके हैं। छोटे २ गांवों के अन्दर सत्ता दीजिये, उसको बढ़ाइये, उसमें कोई एतराज नहीं है लेकिन अगर सेल्फ गवर्नमेंट की शक्ल है तो वह पंचायतों को दे चुके और पंचायतें कभी की चुनी जा चुकी हैं।

श्री महेन्द्रसिंह (अजमेर-पूर्व) : माननीय सदस्य की बात काट कर मैं उनको बता दूं कि इगलैंड में ब्यूरो कौंसिल का सिस्टम है उसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट माना न कि विकेन्द्रीकरण।

श्री ज्वालाप्रसाद : मैं वही कह रहा हूं। इस तरह से डाइरेक्ट इलेक्ट हों, उनको सत्ता देना है तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मान कर जितनी चाहे सत्ता दें। हमारा जो विज़न है, दृष्टिकोण है वह यह है कि जो पंचायतें चुनी हुई हैं, जो पॉवर्स का विकेन्द्रीकरण असली रूप से किया है, और भी सत्ता, यदि पंचायतें ठीक रूप से चल रही है तो विधान उनको देने के लिए तैयार है। आज विकेन्द्रीकरण का सवाल नहीं है बल्कि पंचायतों को बीड़ी का बंडल बना कर इकट्ठा कर रहे हैं। समितियाँ बना कर २० सरपंच को इकट्ठा करके काम को आगे बढ़ने दें, २० पंचायतों को लेकर इकट्ठा करें, यह विकेन्द्रीकरण है। जो पंचायतें चुनी हुई हैं उनमें लोग चुन कर आये हैं, समितियों में आकर बैठेंगे पंचायतों के विकेन्द्रीकरण होकर आती हैं उनसे विकास के काम करवाने हैं। कोई डेमोक्रेसी को खतरा नहीं है। एक बात का और भी फर्क करेंगे, जहां नीचे से चुनाव का सम्बन्ध है उसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के विकेन्द्रीकरण में और इसमें फर्क है। जो समितियां चली उनको दुगने जोश से चलाने के लिये हम चाहते है कि सरकार का और समितियों का तालमेल इस तरह से हो कि तरक्की के रास्ते दिन व दिन पूरी तरह से चल सकें। मैं नहीं समझता, सदन यह तय करता है कि वे बनाती हैं, मेम्बर कोई लालायित नहीं है कि वहां जाकर बैठें, यह तो विधान सभा को सोचना है जिस चीज को करने के लिए समितियों का संगठन कह रहे हैं उनका काम कैसे चले ? उनके अन्दर विकास के काम कैसे चलें ? जहां आप चाहते हैं कि सरपंचों की समितियां बनें, उनके साथ एम. एल. एज. को बैठने से क्या चीज पैदा हो जावेगी, क्या नुकसान होगा, यह बात समझायें तो समझ में नहीं आ सकती है।

श्री महेन्द्रसिंह : बी०डी० ओज़ आपसे ज्यादा समझते हैं, टेक्निकल ऑफिसर हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद : उसके बाद आपको देखना होगा कि ऐसे कौन से फन्डामेन्टल, मौलिक सिद्धान्त की बात होती है। बैठने से और न बैठने से ! ऐसी कोई चीज नहीं करना चाहते हैं जिससे कि खतरा हो। हमारी नीयत साफ है, कोई सत्ता नहीं रखना चाहते। कलेक्टर्स को पॉवर्स दें यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट की इच्छा नहीं रही, उनसे आगे कदम उठाया है। उनको मदद करने के लिए, काम को आगे बढ़ाने के लिए वहां जा रहे हैं, कोई सत्ता रखना चहते हैं ऐसी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि गांव फलें फूलें, उनमें विकास के काम चलें और यही नीयत है, इसलिए साथियों को सत्ता बांटना चाहते हैं। कन्धे से कन्धा मिड़ा कर काम करना चाहते हैं, इसलिए सही तौर पर वहां जाकर काम करें

एक दिक्कत और बताऊंगा। दिक्कत यह है कि सवालात वहां की जानकारी के लिए करें यहां पर कि वहाँ क्या हो रहा है, यह हो रहा वह हो रहा है, तो सरकार कह सकती है कि विधान सभा ने मिल कर ये सारे मामलात समिति को सुपुर्द कर रखे हैं, समिति आजाद है अपना काम करने के लिए जिस प्रकार सेन्ट्रल गवर्नमेंट स्टेट के लॉ एन्ड ऑर्डर के बारे में पार्लियामेन्ट में स्वीकृत नहीं दे सकती है उसी तरह हमें कहा जा सकता है कि कानून के दायरे में ये ट्रान्सफर्ड पॉवर्स हैं, इलेक्टेड आदमी हैं और उन्होंने जो कुछ किया है उसके लिए वे ही जिम्मेदार हैं। हम जान-बूझ कर देश को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ विकास के काम जरूरी हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको सहयोग करने के लिए वहां जाना चाहते हैं। आप विधान सभा के सदस्य अलग अलग इस पर सोचें कि वहां पर बैठना किस प्रकार से खतरा ला देगा। क्या आप खतरनाक लोग हैं ? कौन लोग हैं ?

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : खतरनाक इस मानें में कि बच्चे पर बाप का ज्यादा शाया जरूरी हो तो बच्चा बढ़ता नहीं है।

श्री ज्वाला प्रसाद : बच्चा मानता नहीं सब को बराबरी के मानता हूं और एक सहयोगी की और कॉमरेडशिप की भावना रखता हूं। आपको यह अच्छी तरह से सोचना चाहिये कि आप पंचायत समितियों में जाते हैं। आपकी नीयत साफ होनी चाहिये। अक्सर ऐसा देखा जाता है क कुछ लोग केऑस पैदा करते हैं और चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जाय जिससे पंचायत समिति में खिकूना पैदा हो जाय। कुछ लोग यह भी राय रख सकते हैं कि सरकार जो भी काम करती है वह सही रीति से करती है इस नीयत से एक सिद्धान्त की जय बोलते हैं। कुछ यह कहकर भी रिफ्लेक्शन करते हैं कि मुमकिन है कोई आदमी पंचायत के चुनाव के अन्दर हार गया हो उसका मतलब यह नहीं कि वह एक लाख व्यक्तियों का रिप्रजेन्टेटिव नहीं रहा। अपने लिये इस प्रकार की बातें करना यह गलत चीज़ है। मैं ऐसा मानता हूं कि एक माननीय सदस्य ने यह भी आरग्यूमेंट किया कि वे चुनकर क्यों न आ जाय। उसमें किसी प्रकार की कमजोरी की बात नहीं लगती। वह किसी भी पंचायत में चुनकर आ सकता है। जिस तरह का सुझाव है उससे हम दो दो बातों को एक जगह रखते हैं। वह अपने को सारी कॉन्स्टिट्यूएन्सी से महरूम नहीं रख सकता। माननीय सदस्य घबराते

(श्री ज्वालाप्रसाद)

नहीं है जब वे एक लाख लोगों के वोट लेकर आते हैं तो इस प्रकार चुनाव से डरने वाले नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी एम० एल० ए० चाहे इधर बैठने वाले हों चाहे उधर बैठने वाले हों उनका इनफ्लुएन्स इतना है कि वे किसी भी पंचायत समिति के चुनाव में आ सकते हैं, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं।

अब सवाल आता है जो अमेंडमेंट रखा है उसका मतलब यह है कि सरकार से यह बात चाही है, एम० एल० ए अपने क्षेत्र की गई विधि से पूर्णतया जानकारी रखे वह भी एसोशियेट मेम्बर की बात रखी है। कई लोगों का विचार है और मैं इस विचार की ताईद करता हूं यह सही है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि एक दिन वह आने वाला है हमको इसमें अमेंडमेंट लाना होगा और उसमें इस प्रकार का अमेंडमेंट रखना होगा कि एम०एल०ए० को फुलफ्लेज्ड मेम्बर रखना चाहिये और उस सुझाव को हमें और आपको स्वीकार करना होगा। आपको मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं हमें गांवों से गरीबी को मिटाना है और उसी के आधार पर मैं आपको कह सकता हूं हमें इसमें इस प्रकार का अमेंडमेंट लाना होगा कि एम० एल० ए० को फुलफ्लेज्ड मेम्बर बनाया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय सभापति महोदय, यह जो क्लॉज ६ वी प्रस्तुत किया गया है, मैं इसका कुछ आधारों पर विरोध करना चाहता हूं। पहली मेरी आपत्ति इसके विरोध में यह है कि इसका जो हैडिंग दिया गया है वह इस प्रकार है— 'एसोशियेट मेम्बर ऑफ दी पंचायत समिति'। इसका हैडिंग पढ़ते हैं तो मन में एक प्रकार की शंका पैदा होती है, यह जो एसोशियेट मेम्बर रहेंगे उसको अलग से क्यों रखा गया है। जिस समय पंचायत समिति का गठन किया गया धारा ६ में वहां इसका उल्लेख क्यों नहीं किया गया। माननीय सदस्य कहेंगे जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि हर एम० एल० ए० को यह अधिकार होना चाहिये कि वह जिस पंचायत समिति में जाना चाहे, जा सकता है। एम० एल०ए० को यह अधिकार होना चाहिये कि जिस कमेटी में जाना चाहे जाय और वहां के डेलिबरेशन्स में पार्टीसिपेट करे। डेलिबरेशन्स में भाग लेने से वह मेम्बर हो गया। ऐसी हालत में मेम्बर किस प्रकार का रहेगा, मेम्बर के बारे की धारा ६ हम पास कर चुके हैं, इसलिये अब इसको यहां रखना वैधानिक नियम के विपरीत बात है।

पंचायत समिति के गठन के जो नियम रखे हैं उसी के अन्तर्गत मेम्बर भी रखे जा सकते हैं। उसके लिये क्लॉज़ ६-बी बाहर से आ नहीं सकता। एम० एल० ए० और एम० पीज़ डेलिबरेशन्स में जाकर भाग ले सकते हैं। इसके लिये उसी स्पिरिट में क्लॉज़ आना चाहिये। एम० पी० का अधिकार है कि वह जब कभी चाहे पंचायत समिति में जाकर डेलिबरेशन्स में भाग ले सकता है, वोट देने का उसको अधिकार नहीं होगा। इसका हैडिंग इस प्रकार का होना चाहिये 'Right of the M.L.As. to participate in the meetings of the Panchayat Samiti.'

यह हैडिंग रखा जाता है तो सेपरेट क्लॉज़ की बतौर इसकी अहमियत होती।

Page No.86

(श्री दयाकृष्ण विजय)

एसोशियेट मेम्बर से जो स्पिरिट नज़र आती है उससे इस क्लॉज़ की अहमियत नहीं रहती। क्लॉज़ ए हम पास कर चुके हैं और उसमें 'एसोशियेट मेम्बर ऑफ दी पंचायत समिति' इस प्रकार के हैडिंग के अन्तर्गत क्लॉज़ रखा गया है। इस कारण इसपर वाद-विवाद भी जो हम कर रहे हैं वह उचित नहीं है, क्योंकि वह क्लॉज़ जो कम्पोजिशन का है उसको हम पास कर चुके हैं।

दूसरी आपत्ति मैं यह करना चाहता हूं कि एम० एल० ए० को पंचायत समिति में आप इस आधार पर ले जाना चाहते हैं चूंकि वह उस कॉन्स्टीट्युएन्सी का मेम्बर है इसलिये उसको वहां पार्टीसीपेट करने का हक होना चाहिये। इस पर ऐसा भी हो सकता है। कल पार्लियामेंट में इस प्रकार का गैर सरकारी संकल्प भी आ सकता है कि असेम्बली में हम को भी बैठने का अधिकार होना चाहिये क्योंकि हम भी उसी कॉन्स्टीट्युएन्सी से चुनकर आते हैं अत: हमें भी वहां की डेलिबरेशन्स में भाग लेने का अधिकार मिलना चाहिये। यह जितना अव्यवहारिक सुझाव लगता है उसी प्रकार का सुझाव यह भी है कि यहां के एम. एल. एज. को पंचायत समिति के डेलिबरेशन्स में भाग लेने दिया जाय। आपको असेम्बली में कानून बनाने के लिये भेजा है। वे आदमी यह कहें कि हमें पंचायत समिति में जाने देना चाहिये ताकि वहां पर विकेन्द्रित सत्ता हमने गांव के पंचों के हाथों में दे दी है वहाँ पर भी हमारा हो अधिकार रहे यह बात बिल्कुल ही अव्यवहारिक जचती है। आखिर जब आप रहना चाहते हैं तो आप एम. पी. को वहां क्यों नहीं रखते। क्या वे वहां के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं? क्या उनको तालाब, नहरें बनाने, कुँआ बनाने, सड़कें आदि के निर्माण में रुचि नहीं है? वे भी चाहते हैं कि उनकी कॉन्स्टीट्युएन्सी में सब प्रकार के विकास हों। हम लोग कानून बना रहे हैं हमको कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है इसलिये हम यह चाहते हैं कि हमें तो उनमें रख लिया जाय और एम. पी. को रखना नहीं चाहते। इससे कुछ स्वार्थ साफ झलकता है, कुछ दाल में काला जरूर नजर आता है। बेचारे एम. पी. ने आपका क्या बिगाड़ा है कि आप उसको वहां रखना नहीं चाहते।

तीसरी आपत्ति यह है कि जैसा कि एक जगह बताया गया है कि सारी पंचायत समितियों का काम स्टेंडिंग कमेटियों द्वारा होगा आपके ६ बी के अन्दर जैसा कि एक माननीय सदस्य ने रखा किसी भी स्टेंडिंग कमेटी का कोई एम. एल. ए. मेम्बर नहीं होगा। आखिर पंचायत समिति के काम भिन्न भिन्न प्रकार की स्टेंडिंग कमेटियों द्वारा होंगे इसमें तीन समितियों का प्रावधान किया गया है। ये तीन समितियां अपना अपना कार्य बिल्कुल स्वतंत्र रूप से करेंगी। इसलिये मैं निवेदन करूंगा जब कि अलग अलग कमेटियां सारा कार्य करेंगी, योजनायें बनायेंगी वैसी हालत में एक कमेटी के अलावा किसी भी कमेटी पर आधिपत्य नहीं रखते हैं और जैसा कि विधान है कि वह सब एक्टीवीटिज़ में गाइड करेगा फिर तो एम. एल. ए. स्टेंडिंग कमेटी में जाय। आपने लिखा है कि as a chairman of the standing committee... आप मेम्बर ऑफ दी पंचायत तो रखते हैं पर मेम्बर ऑफ दी स्टेंडिंग कमेटी नहीं रखते। इसका मतलब यह होगा कि उसकी कोई अहमियत नहीं है। पंचायत समिति की मीटिंग तो एक तरह से जनरल

(श्री दयाकृष्ण विजय)

मीटिंग होगी। किसी विकास सम्बन्धी मामले की गहराई तक जाने की बात उसमें आवेगी नहीं, गहराई तक जाने की बातें तो स्टैंडिंग कमेटियों में ही आवेंगी। जैसे फाइनैन्स के मामले हैं, डेवलपमेन्ट वर्क और प्रोडक्शन के मामले हैं, सोशियल सर्विसेज़ के मामले हैं और इन सबकी अलग अलग स्टैंडिंग कमेटियां होंगी और इन मामलों पर गहराई से वहीं पर चर्चा होगी और निर्णय होंगे। तो इन कारणों से यहां यह मेम्बर शब्द जो रखा है वह आपत्तिजनक है। जिस भावना से आप एम. एल. ए. को वहां सदस्य बनाना चाहते हैं वह भावना ही इससे समाप्त हो जाती है। वह किसी पर्पज़ को सर्व नहीं कर सकेगा। यह सारा क्लॉज़ निषेधात्मक है। उसका नेगेटिव ओब्जेक्ट है।

नेगेटिव ओब्जेक्ट इस प्रकार भी है कि कोई एम. एल. ए. वहां जाकर मत न दे सकेगा और किसी पद के लिये भी खड़ा नहीं हो सकेगा। अब और भी कारण हैं। कोऑप्शन वाले क्लॉज़ में आपने यह कहीं नहीं कहा कि एम. एल. ए. कोऑप्ट नहीं किया जा सकता। वह कोऑप्ट होकर वहां जा सकता है और कोऑप्टेड सदस्य के जो भी अधिकार हैं उनका वह उपभोग कर सकता है। पर आपके इस क्लॉज़ से उस पर भी रोक लग जाती है। वह कोऑप्टेड सदस्य की हैसियत से भी वोट नहीं कर सकेगा न किसी पद पर खड़ा हो सकेगा। तो कोऑप्टेड सदस्य के नाते जो अधिकार उसको हैं उन अधिकारों को भी आप इस क्लॉज़ से खत्म करते हो। इस नाते से भी यह क्लॉज़ वहां नहीं आना चाहिये। यह क्लॉज़ अतिक्रमण करता है एम. एल. ए. के उन अधिकारों पर जो आप उसको पहले दे चुके हैं। इसी कानून में कोऑप्ट सदस्य की हैसियत से चुनकर जाने पर।

मैं और भी इस कारण से इसका विरोध करता हूँ कि हमने जो कुछ भी किया है या करने का इरादा कर रहे हैं वह एक विकेन्द्रीकरण की भावना से कर रहे हैं। इसका हैडिंग भी आपने जनतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के रूप में दिया है। बड़े बड़े शब्दों में आप लोगों ने सब ने एक स्वर से कहा है कि हमारे अधिकारों को जनता तक पहुंचा रहे हैं। हम गांव के लोगों को अधिकार दे रहे हैं कि जो कुछ भी उनके पास योग्यता और सेवाएं हैं और जो कुछ भी उनके पास अधिकार हैं वे खुद उनका उपयोग अपने प्रशासन के लिये करेंगे। शासन की सत्ता से या अफसरों से या ऊपर से थोपे गये व्यक्तियों से प्रशासित न होकर वे स्वयं अपना प्रशासन चलावें यह अधिकार हम देने की बात करते हैं। तो जब ऐसे अधिकार उनको हम देते है तो फिर हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम उनकी शक्ति में, काम करने की योग्यता में विश्वास करें। हम असेम्बली में बैठकर इस तरह से अविश्वास प्रकट करें, इससे तो अच्छा है उनको सत्ता ही न दें। पर आप इसको तो स्वीकार कर चुके हैं कि सत्ता उनको देनी है। फिर उसमें अविश्वास करने की बात करना उचित नहीं होगा।

श्री सभापति : टाइम का ख्याल रखियेगा थोड़ा सा।

श्री दयाकृष्ण विजय : करता हूं सा'हब। फिर एक बात और है। अब अगर

Page No.88

(श्री दयाकृष्ण विजय)

एम. एल. ए. अपने विचार प्रकट करता है कि फलां स्थान पर स्कूल बने, पर मेजारिटी मेम्बर उसके खिलाफ तय करते हैं और उसकी बात नहीं मानते हैं तो इसका उसके मन पर क्या असर पड़ेगा ? दो चार बार इस तरह से हुआ और वहां उसकी बात नहीं मानी गई तो इसका उसके मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? वह कोई सरकारी पेड, अफसर तो है नहीं। वह किसी का पैसे से खरीदा हुआ गुलाम भी नहीं है। वह सोच सकता है कि जहां हमेशा उसको नीचा देखना पड़े, जहां उसके विचार हर बार ठुकरा दिये जाते हों वहां जाने से क्या ? यह तो उसकी परसनेलटी को डिग्रेड करना होगा। अब वोट देने का अधिकार भी नहीं रखा। पद के लिये खड़ा न हो यह तो मानी जा सकती है बात पर वोट का अधिकार न देकर उसकी परसनेलिटी को आपने और भी संकुचित करके रख दिया है। ऐसी स्थिति में उसका वहां बैठना न बैठना बेकार है। अब जो वह सोचता है या जो विचार किसी खास कार्य के सम्बन्ध में रखता है यह तो वह सरपंच को, यह उसके प्रधान को लिखकर भी भेज सकता है। तो यह इस जगह इस तरह का क्लॉज़ रखना उचित नहीं है। अगर बैठक में ही उसको जाना है और अपने विचार बताना है तो इसके लिये एक सेपरेट क्लॉज़ भी लाया जा सकता है।

श्री सभापति : मिस्टर विजय आपने दस मिनिट से ज्यादा ले लिये हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : खत्म कर रहा हूं साहब। तो आप सेपरेट क्लॉज़ रख सकते हैं कि जब चाहेगा और अनुकूल परिस्थिति देखेगा तब चला जाया करेगा। इस क्लॉज़ को अलग नहीं रखना एक टैक्निकल मिस्टेक भी होगी। इससे तो सारी बात गड़बड़ होने वाली है। तो सेपरेट क्लॉज लाया जावे कि पंचायत समिति में जब चाहे तब भाग ले सकता है।

श्री सभापति : श्री भैरवलाल कालाबादल।

श्री भैरवलाल 'काला बादल' (अकलेरा–सु०) : माननीय सभापति महोदय, आज हम इस प्रजातन्त्र शासन को किस तरह से चलाना चाहते हैं, इस बारे में हम विचार कर रहे हैं और इसके लिए चाहते हैं कि जनता को अधिकार दिये जावें। हमारा लक्ष्य यह है कि हमारे जितने राजा–महाराजा जो पहले थे और जिन्होंने शासन चलाया था, उन शासकों में महाराजा अशोक एक ऐसे राजा थे जो जनता के बीच में स्वयं वेष बदल-बदल कर भी घूमते थे और उनके दुख दर्द को जानने के बाद उनको दूर भी करते थे, उसी लक्ष्य को सामने रखकर आज हम यह प्रजातन्त्र चलाना चाहते हैं। मगर इस कानून के द्वारा मैं यह समझता हूं कि उस प्रजातन्त्र की जो सही प्रणाली है उससे हम दूर जा रहे हैं। हम आज के इन शासकों (एम० एल० एज०) को जनता से दूर कर देना चाहते हैं। अंग्रेज जब हमारे भारत में आये तो उन्होंने राजा महाराजाओं को जनता के सम्पर्क से एक ही कलम के इशारे पर दूर कर दिया और उनसे कह दिया कि तुम आलीशान कोठियों और बंगलों में रहो। नतीजा यह हुआ कि वे जनता के सम्पर्क

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

से दूर हो गये। अब वापिस उन राजा-महाराजाओं को कोठियां छोड़ कर धरती पर आना पड़ा। अब आप विधान सभा में गांवों से आगे, राजा महाराजाओं की तरह शासन चलाने का अधिकार लेकर विधान सभा में प्रतिनिधि बन कर आये हैं। आप इस कानून द्वारा यह चाहते हैं कि वे विधान सभाई जनता से सम्पर्क न रखें और दूर बैठे रहें विधान सभा में।

(तालियां)

जब वे जनता से सम्पर्क न रखेंगे तो गांवों के आदमी विधान सभा तक नहीं आ सकते क्योंकि वे कानून बनाना जानते नहीं। कानून बनाने वाले तो शहर के लोग हो सकते हैं क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे. अंग्रेजी जानने वाले शहरी लोग हैं जिनको इस कानून के द्वारा पंचायत में थोप दिया और अभी तक हमारे शासन के उच्च अधिकारी इतने समझदार नहीं बन पाये कि जो विकास के कामों को सही तरीके से कर सकें। आज उनमें वही गुलामी की भावना है जो अंग्रेजों की गुलामी करते-करते उन्होंने विरासत में पाई है। आज हम जगह-जगह सुनते हैं कि डेवलपमेंट कमेटी ने यह कर दिया, वह कर दिया, यह गलती कर दी, यह गबन कर दिया, इतना रुपया लगाना था, वह नहीं लगाया। विधान सभा के सदस्य रहते हुए भी आज हमारे पर वे आरोप थोपे जाते हैं, और करते स्वयं हैं। तो जो विधान सभा में बैठकर कानून बनाते हैं, उसका अनुभव लेते हैं वे अगर गांव के भोले भाले लोगों के बीच में नहीं होंगे तो ये सरकारी अफसर, ये नौकरशाही के पुर्जे मनमाने तरीकों से भोले भाले सरपंचों को जो पढ़े लिखे नहीं हैं, चलावेंगे और एक तरफ से उन्हीं नौकरों की, अफसरों की हुकूमत चलेगी, पंचायतों की नहीं। सरपंच बिना पढ़ा लिखा होगा या कम पढ़ा लिखा होगा वह चुपचाप बैठा रहेगा और ये ऑफिसर मनमानी करेंगे। अब अगर कम से कम विधान सभा का सदस्य उनके बीच में बैठेगा तो उन अफसरों पर असर पड़ेगा, वे मनमानी नहीं कर सकेंगे क्योंकि वे जानते हैं कि उनका मिनिस्टरों तक सम्पर्क है, गलत तरीके से काम करेंगे तो उनकी शिकायत हो सकती है। इसलिए वे भी मनमानी नहीं कर पावेंगे।

(तालियां)

और पंचायत के लोगों को पंचायत समिति में बैठने वालों को भी उनकी कमजोरियों का अनुभव हो जावेगा कि आज भी जो हमारे अफसर मनमानी करते हैं तो इन विधान सभा के सदस्यों के द्वारा हमारे मिनिस्टर तक और विधान सभा तक आवाज जावेगी। इस तरह से उनमें वीरता आवेगी और उनका डरपोकपना पंचों में से खत्म हो जावेगा।

(तालियां)

वे अफसरों की मनमानी के सामने डरेंगे नहीं। उनका मुकाबला करने की हिम्मत उनमें आ जावेगी।

आगे सभापति महोदय, दूसरी बात यह है कि आज हम ग्रामीण जनता को विकास की ओर आगे बढ़ाने की भावना रखते हैं। आप यह देखिये कि जितने भी विकास

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

के काम या पंचायत में विकास के कामों में एम० एल० ए० या एम० पी० हैं, फिर भी विकास अधिकारी वहां पर इतनी गुनताड़ेबाजी कर देते हैं कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी के मीटिंगों में विधान सभा सदस्य की ओर से सुझाव आते हैं वह भी विकास अधिकारी की रिपोर्ट से खारिज हो जाते हैं। तो जब बिना पढ़े लिखे लोग बैठेंगे तो न मालूम कितना घोटाला होगा जिसको कहने वाले विधान सभा तक में नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं तो यह प्रार्थना करूंगा कि अभी हमारे माननीय सदस्य श्री भटनागर ने यह संशोधन रखा है कि कम से कम पंचायत समिति में चेयरमैन बनने के लिए नहीं, किसी पद के ऊपर जाने के लिए नहीं, बल्कि वहां की जानकारी के लिए मैं समझता हूं कि विधान सभा के सदस्य को बैठना बहुत जरूरी है। चाहे वोट देने का अधिकार न हो, लेकिन वहां की जानकारी उसको मिलनी चाहिये। अगर उसको अपने क्षेत्र की जानकारी नहीं मिलेगी ग्राम-ग्राम की पंचायतों की तो सरपंच तो कोई यहां तक उनको कहने आयेंगे नहीं। आज हम देखते हैं कि माननीय मन्त्री महोदय को वहां के ऑफिसर्स गलत सूचना दे देते हैं और जब हम प्रश्न पूछते हैं तो माननीय मन्त्री महोदय यह कहते हैं कि यह जानकारी भी नहीं दी। तो तब आज वहां एम० एल० ए० भी बैठते हैं और जब ही सूचना नहीं देते हैं तो आगे जब आप एम० एल० ए० को नहीं रखेंगे, तो वह तो खूब मनमानी करेंगे। जिन विधान सभाइयों ने इसका विरोध किया है तो ऐसा मालूम होता है कि अब तक उन्होंने जनता का सम्पर्क ही नहीं किया। तो उनको डर लगता है कि अगर बैठने की इजाजत मिल गई तो पंच कहेंगे कि आओ हमारे बीच में बैठो, अगर नहीं बैठेंगे तो असर ठीक नहीं होगा। इसके अलावा अगर मेम्बर को रखा नहीं गया तो ऑफिसर्स लोग मन में आई वहां पर स्कूल खोलेंगे और दवाखाने खोलेंगे। उसकी जानकारी के लिए ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि इस तरह से मनमाने तरीके से काम करने लग जायेंगे और यहां सदन में भी उनको पूरी जानकारी नहीं मिल सकेगी और माननीय मन्त्री महोदय यह कह देंगे कि हमारा क्वेश्चन नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो हमारे जैसे यहां विधान सभा में नहीं आ सकेंगे क्योंकि यहां कानून बनते हैं अंग्रेजी में, हिन्दी में तो बनते नहीं तो हम गांव के लोग अंग्रेजी तो पढ़े हुए हैं नहीं तो अब शहरों में रहने वाले लोगों का काम यह हो गया कि कानून बनायें और पास कर दें और गांव वालों से उनका पालन करायें। तो आज इस कानून के द्वारा हम गांव वालों को अलग करना चाहते हैं और गांव और शहरों में टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। क्योंकि शहर वाले कानून बनायेंगे और गांव वालों से पालन करायेंगे। इसलिए सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो यह प्रस्ताव रखा है कि विधान सभा के सदस्य को पंचायत समिति में बैठने का अधिकार मिलना चाहिये उनके प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूँ। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सभापति (श्री बरकतुल्ला खां) : श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (रायपुर): सभापति महोदय, इस सदन के समक्ष जो महत्वपूर्ण प्रश्न है

(श्री शंकरलाल)

वह यह है कि विधान सभा के सदस्यों की वास्तव में पंचायत समिति में सदस्यता होनी चाहिये या नहीं होनी चाहिए, तो किस प्रकार की होनी चाहिये। सभापति महोदय, यहां पर काफी बातें कहीं गईं और उनमें यह भी कहा गया कि कोऑप्शन से आ सकते हैं। एक प्रकार की यह धारणा है कि मेम्बर तो होना चाहिये लेकिन उनको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिये। दूसरी विचार–धारा यह है कि वह फुलफ्लेज्ड और पूरे अधिकारों के साथ मेम्बर होना चाहिये। सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से और आप से निवेदन करना चाहता हूं कि हमें स्थिति को एक पूर्ण स्पष्ट रूप देना पड़ेगा कि वास्तव में विधान सभा के सदस्यों का क्या कर्तव्य और क्या अधिकार हैं? उसके अधिकारों को देखते हुए उसे पंचायत समितियों में रखना जरूरी है या नहीं यह देखना पड़ेगा। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज तक जो परम्परा रही है और जिस प्रकार से विधान सभा के सदस्यों को माना जाता है और जब चुनाव होते हैं उसके बाद में, विधान सभा का सदस्य बी० डी० सी० की मीटिंग में जाता है, तकावी की मीटिंग्स में उसको रखा गया, उसको अलॉटमेंट की मीटिंग्स में रखा गया और आज तक जो विकास सम्बन्धी कमेटियां बनीं उनमें भी उसको रखा गया और जिस समय विधान सभा के सदस्य का जनता के समक्ष चुनाव हुआ तो जनता को यह कहा गया और जनता की यह विचार-धारा रही कि विधान सभा का सदस्य जाकर हमारे इलाके की जो विकास की बातें हैं वह सरकार के सामने रखेगा और हमारे यहां की जो कमियां हैं उनको पूर्ण कराने में योग देगा और यही नहीं बल्कि हमारे यहां पर जो भी दूसरी प्रकार की कमियां हैं और समस्यायें हैं उनको वह रखेगा, ऐसी विचारधारा उस क्षेत्र की जनता की रही। हम विकेन्द्रीकरण के युग में अगर यह करना चाहते हैं कि विधान सभा का सदस्य केवल कानून ही बनाये और उसका जो कर्तव्य है वह कानून बनाने तक ही सीमित है तो सभापति महोदय, मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब तक हम जनता के सामने इस प्रकार की विचार धारा स्पष्ट नहीं करें और जो परम्परा रही है उसको स्पष्ट नहीं करें कि आज से विधानसभा का सदस्य केवल कानून बनाने वाला ही सदस्य रहेगा और उसको विकास के कामों से जनता की अन्य दिक्कतों से कोई वास्ता नहीं है। तो यह ठीक है विधान सभा का सदस्य किसी प्रकार का हिस्सा विकास कार्यों में नहीं रखेगा और मैं तो कहता हूं कि जिला परिषद् में भी उसको मत रखिये। अगर इस तरह की स्थिति आप रखना चाहते हैं जो कि स्पष्ट नहीं है। एक तरफ यह कहते हैं कि उसको मेम्बर रखा जाये और दूसरी तरफ यह कहते हैं कि उसको वोट देने का अधिकार न हो और उसको मेम्बर रखें भी या नहीं रखें तो यह सारी बातें उस जगह आकर पड़ती हैं कि विधान सभा के सदस्यों के क्या राइट्स हैं। अगर यह स्पष्ट कर दिया जाता है तो जनता के सामने यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि विधानसभा के मेम्बर का कर्तव्य केवल कानून बनाने का ही है। लेकिन जितने भी सदस्य यहां पर हैं उनको मालूम है कि जनता ने जिस मकसद से उनको चुना और जिस समय चुनाव हुए, जनता के दिमाग में यह बात थी कि विधानसभा के सदस्य वहां जाकर केवल कानून बनाने का काम नहीं

(श्री शंकरलाल)

करेंगे बल्कि हमारे यहां की जो समस्याएं हैं उसका भी वे समाधान करेंगे। तो जो जनता के दिमाग में बातें थी चुनाव के समय और उस बात को हम एक कानून के जरिये से घटा देना चाहते हैं तो उसका असर विधान सभा के सदस्यों पर पड़ेगा। उनके जो अधिकार हैं उनको आप कानून के द्वारा हटाना चाहते हैं और जनता की नजरों में उसको गिराना चाहते हैं। जिस भावना से उन्हें चुना था अगर वह काम नहीं कर सकते और केवल इसलिये कि वह पंचायत समिति की बैठकों में नहीं होंगे तो मेम्बर को पता नहीं होगा कि उनके क्षेत्र में क्या काम होते हैं; उसको पता नहीं होगा कि वहां क्या समस्यायें और परिस्थितियां हैं। तो मैं यह कहना चाहता था कि इस परिस्थिति को हमें साफ करना पड़ेगा। लेकिन जब तक हम इस परिस्थिति को साफ नहीं कर देते अगले चुनाव आने से पहले, तब तक उसको हमें पंचायत समितियों का सदस्य भी स्वीकार करना पड़ेगा। अब यह बात है कि इसको हम स्वीकार करें और उसको एसोशियेट मेम्बर ही रखें तो यह तो बहुत ही विकट परिस्थिति हो जाती है। जिस प्रकार कि सरपंच को अधिकार है वोट देने के और वह सरपंच जो कि अपने इलाके से चुनकर आता है और एक विधान सभा का सदस्य जो कि अपने पूरे क्षेत्र से चुनकर आता है तो उसको आप वोट देने का अधिकार नहीं देते और स्टेंडिंग कमेटीज में बैठने का अधिकार नहीं देते तो इस ब्लॉक को हटा दिया जाये। इस प्रकार से उसकी इज्जत को और जनता का विश्वास था, उसको आप कम करना चाहते हैं, इसको रख कर कि वह केवल एसोशियेट मेम्बर रहेगा, यह तो आंसू पोंछना हुआ। इसलिये मैं कहता हूं कि अगर वह मेम्बर बने तो फुलफ्लेज्ड बने और नहीं बनता है तो जैसा कि आप धारा २३ के अन्दर देखेंगे कि उसमें ये अधिकार माने हैं कि हमारी सरकार के जितने भी डेवलपमेंट कमेटी के आफिसर्स हैं वे वहां की पंचायत समिति में और वहां की स्टेंडिंग कमेटी में ला सकेंगे।

तो फिर आप उसको एसोशियेट मेम्बर क्यों रखते हैं। एसोशियेट मेम्बर का नाम रखकर उसके हाथ में कोई अधिकार नहीं देते हैं, वोट देने का भी अधिकार नहीं देते हैं और केवल वहां जाकर बैठने का अधिकार ही देना चाहते हैं। तो यह मेम्बर का शब्द उसके आगे रख कर उसके नाम को और अपने आपको अपमानित मत करिये। मंत्री महोदय से खास करके निवेदन करूंगा कि सेक्शन २३ जो है उसको ध्यानपूर्वक देखें। इस बात का धारा २३ में अधिकार दिया गया है कि जितने भी स्टेट डिपार्टमेंट के आदमी है सारे डेवलपमेंट के उनको मीटिंग में बैठकर भाग लेने का अधिकार होगा। उसमें यह रख दिया जाय कि एम० एल० ए० जो है उसकी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में जितनी भी पंचायत समितियां हैं और जो उनकी स्टेंडिंग कमिटीज है उसमें भाग लेने का अधिकार रख सकते हैं। चाहे वे भाग लें या न लें उनकी मर्जी की बात है। लेकिन उनका यह राइट होना चाहिए कि मीटिंग के अन्दर जायं। उनको अगर मेम्बर रखते हैं और नाम रखते एसोशियेट में, तो सभापति महोदय, यह बात बहुत गलत होगी। इस तरह का अधिकार धारा २३ के अनुसार मीटिंग्स में भाग लेने का रहता है, तो मैं समझता हूं कि हमारा

(श्री शंकरलाल)

मकसद पूरा हो सकेगा । दोनों बात आप करना चाहते हैं कि वह बैठे भी और वोट भी नहीं दे तो हमारा मकसद पूरा नहीं होता है और यह कन्फ्यूजन में डालने वाली बात है । विधान सभा के सदस्यों की स्थिति स्पष्ट करने के लिए और जनता के विचारों को ध्यान में रखते हुए दोनों बातों में से एक बात अपनानी पड़ेगी । यह बीच का रास्ता ठीक नहीं होगा । मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि या तो अगर मेम्बर रखते हैं तो उनको फुलफ्लेज्ड मेम्बर रखें । अगर मेम्बर नहीं रखना चाहते हैं तो सेक्शन २३ के अनुसार जिस प्रकार से दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को बैठने का अधिकार है उस प्रकार से उनको भी उनके बीच में बैठने का अधिकार हो ।

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा) : आदरणीय सभापति महोदय, नई क्लॉज ६–बी पर जो संशोधन श्री पी० के० चौधरी ने पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं, और बाकी का विरोध करता हूं ।

सभापति महोदय, जहां तक मूल बिल का संबन्ध था गवर्नमेंट की तरफ से असेम्बली के मेम्बर को पंचायत समिति का मेम्बर नहीं माना गया था, मगर अब सिद्धान्तत: पंचायत समिति का मेम्बर जो नई क्लॉज ६-बी आई है, उसके एम. एल. ए. को एसोशियेट मेम्बर माना गया है । जहां तक मेम्बर नहीं मानने का सवाल था, वह तो खत्म हो गया । अब उसको एसोशियेट मेम्बर माना गया है । लेकिन अब उसका वोटिंग राइट छीन लिया गया है, और उसे समितियों का चेयरमैन बनाये जाने से रोका गया है । मैं निवेदन करूंगा सभापति महोदय, कि अभी तक विकास खंड समितियां थीं, बी. डी. सीज़ थीं, उनके अन्दर एम. एल. एज. थे और वह एम. एल. ए. वहां पर अपनी राय प्रकट कर सकते थे, वोट दे सकते थे और उसका सभापति भी बन सकता था, चाहे वह एक महीने के लिए हो या कुछ दिनों के लिए रहे । लेकिन सिद्धान्ततः राज्य सरकार ने यह स्वीकार कर लिया था कि बी. डी. सी. के अन्दर विकास खण्ड समिति के अन्दर एम. एल. ए. को रखा जाना उचित समझा गया उस समय, तो अब मैं नहीं समझता कि ऐसी कौनसी बात हो गई कि जिससे विकास-खण्ड के अनुरूप विकास खण्ड के बदले पंचायत समितियां बनाई गई हैं, उनसे एम. एल. ए. को महरूम रख दिया जाय । वहां पर उनको वोटिंग राइट नहीं दिया जाय । विकासखण्ड में रहते हुए कोई ऐसी बात आई हो, कोई राजस्थान में ऐसी बात पैदा नहीं हुई कि जिसमें एम. एल. ए. के रहने के कारण वहां झगड़ा पैदा हुआ हो या बी. डी. सी. पर एम. एल. ए. हावी हुआ हो । वहां पर सभापति भी बने थे, उन पर विशेष असर या प्रभाव दिखाया हो ऐसी बात नहीं है । बल्कि एम. एल. ए. के कारण, उनके वोटिंग के राइट के कारण अच्छे अच्छे सुझाव बी. डी. सी. को प्राप्त हुए, और जो अनुभव थे एम. एल. एज. के वहां पर बी. डी. सी. के काम एम. एल. ए. आये, क्योंकि बी. डी. सी. में कई अवसर प्राप्त हुए जब कि उनके कामों में एम.एल.ए. सहयोग दिया और सलाह दी । इस तरह से वहां पर एम. एल. ए. को रहने देना वहां पर उपयोगी रहा ।

अब मेरी समझ में नहीं आता कि पंचायत समिति से एम. एल. ए. को महरूम

(श्री सम्पतराम जैन)

किया जा रहा है, उसको वोटिंग राइट नहीं दिया जा रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा कि यदि ऐसा रख लिया जाय, उसको एसोशियेट मेम्बर रख लिया जाय और वोटिंग का राइट नहीं दिया जाय तो कोई भी एम. एल. ए. पंचायत समिति में जाना पसन्द नहीं करेगा। क्योंकि, उपाध्यक्ष महोदय, एक ग्राम पंचायत का सरपंच जो कि करीब २ हजार के एरिया से आता है, क्योंकि अब जो ग्राम पंचायतें बनेंगी वह ड़ेढ़ दो हजार पर बनेंगी। लगभग १ हजार वोटर होंगे, एक तहसील पंचायत का सरपंच ५०,६० हजार की आबादी से आता है, जिनको कोऑप्ट करेंगे, जो कि पंचायत समिति में कहीं से भी चुने हुए जा सकते हैं उन कोऑप्टेड सदस्य को भी वोटिंग राइट है, तो डेढ़ लाख, या दो लाख और डबल मेम्बर कॉन्स्टीट्यून्सी से आते हैं वे तो २॥ लाख की जनता से आते हैं, उनके चुने हुए प्रतिनिधि को रखते हैं और अगर उनको वोटिंग का राइट नहीं देते हैं तो बहुत बड़ा अन्याय होगा। अब तक उन्हें बी० डी० सी० के अन्दर रखा है तो इस सिद्धान्त को मन्जूर कर लिया है कि एम० एल० ए० का वहाँ पर रहना उचित है और आवश्यक है। जब कि हम बी० डी० सी० के बजाय पंचायत समिति बनाते हैं और यदि उनको महरूम रखते हैं तो सरकार ने क्या सोचा है यह मेरी समझ में नहीं आता है। यह हो सकता है कि कोई भी नीति निश्चित रखी गई है। जो शंका थी वह दूर हो गई है। वह शंका क्या थी कि एम० एल० ए० पंचायत समिति में जाते हैं तो वहां जाकर हावी हो जायेंगे। इस वजह से जो नये लोग जो कि देश के लिए आवश्यक हैं या असेम्बली के लिए आवश्यक हैं आगे एम० एल० ए० बनने के लिए, वह नई पौध नहीं आ सकेगी। वहां के लोगों का आगे बढ़ना एम० एल० ए० रोक देंगे। आज आपने नई क्लॉज ६–बी में यह प्रावधान कर दिया है कि कोई भी एम० एल० ए० पंचायत समिति का प्रधान या उपप्रधान नहीं बन सकता है। इसलिए आपकी जो शंका थी या सरकार की जो शंका थी वह दूर हो जाती है। उनको अगर प्रधान या उपप्रधान नहीं बनने देते हैं तो वे पंचायत समिति पर कैसे हावी हो सकते हैं और न आगे बढ़ने वाले लोगों को रोक सकेंगे जिनकी कि देश को आवश्यकता है, जिनको कि आगे असेम्बली में आने की आवश्यकता है, या किसी बात में आने की आवश्यकता है। यह शंका समाप्त हो जाती है।

विधान सभा का सदस्य एसोशियेट मेम्बर बनेगा और वहां जाकर उसे वोटिंग राइट नहीं देते हैं तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? सभापति महोदय, मैं एक नज़ीर पेश करना चाहता हूँ। मेरे एरिया के अन्दर मनोहरथाना विकास खण्ड है। वहां पर पुराने जमाने का एक बहुत अच्छा किला बना हुआ है। बहुत अच्छी इमारत बनी हुई है जो कि विकास खण्ड के दफ्तर के काम में आ सकती है। मैं एक बी० डी० सी० की मीटिंग में नहीं आया तो बी० डी० ओ० ने सरपंचों पर प्रभाव डालकर यह तय करवाया कि विकास खण्ड का दफ्तर नहीं बनना चाहिये और वह इमारत काम में नहीं लाई जानी चाहिये, बल्कि एक इमारत नई बनाई जानी चाहिये और उसके

(श्री सम्पतराम जैन)

लिये २५, ३० हजार रुपये जो विकासखण्ड के बजट में थे उनको खत्म कर दिया जाय। इस बात का प्रस्ताव तो पास नहीं किया गया लेकिन सरपंचों को कह दिया गया कि आगे की मीटिंग में यह तय होगी। तो दूसरी मीटिंग जो अकलेरा में हुई थी वहां पर आगे प्रस्ताव रखा गया कि वह इमारत काम में नहीं लाई जा सकती है और एक नई इमारत नई जगह बनाई जानी चाहिये। मैंने प्रस्ताव रखा कि जब इमारत मौजूद है और हजारों या लाखों रुपये खर्च करने पर भी ऐसी इमारत नहीं बन सकती है, फिर २५ हजार रुपये खर्च करने क्या जरूरत है। मेरा वोटिंग राइट था। मैंने अपनी राय सरपंचों को समझाई वह मान गये। मेरा वोटिंग पॉवर था तो नतीजा यह हुआ कि बी० डी० ओ० जिस चीज को सरपंचों पर प्रभाव डालकर तय करवाना चाहते थे अपनी राय थोप कर विकास खण्ड, के कार्यालय के लिये अलग इमारत बनवाना चाहते थे और पुरानी इमारत के अन्दर ऑफिस नहीं बनवाना चाहिये, वह प्रस्ताव उनका पास नहीं हो सका। आखिरकार यह तभी सम्भव हुआ जब कि मेरा वोटिंग राइट था, मुझे राय प्रकट करने का अवसर था। मैं अपनी राय दे सकता था। तो मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे अवसर एक नहीं कई आ सकते हैं। यदि एम० एल० ए० को मेम्बर बनाकर भेज दें और उनको वोटिंग राइट नहीं देते हैं तो मैं अर्ज करूंगा सभापति महोदय, कि उनका रखना और न रखना बिल्कुल बेकार साबित होगा। इस तरह से कोई भी एम० एल० ए० वहां पर जाकर मीटिंग जॉइन करना पसन्द नहीं करेगा। इसमें मैं निवेदन करूंगा कि श्री पी० के० चौधरी का जो संशोधन है उसको स्वीकार किया जाय।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : सभापति महोदय, मैं इस प्रस्ताव के विरोध में बोल रहा हूँ। जिस प्रस्ताव से इस सदन से इस प्रकार की व्यवस्था चाही है कि पंचायत समिति के मेम्बर या एसोशियेट मेम्बर एम० एल० एज० रहें। श्रीमान् मुझे ऐसा लगता है कि जिन जिन माननीय सदस्यों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में अपने विचार रखे हैं या जिस माननीय सदस्य की ओरसे यह प्रस्ताव आया है उनके दिमाग में एक प्रकार का भय छाया हुआ है। स्पष्टत: उनके दिमाग में हर तरह से काम कर रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि उस पंचायत समिति के मेम्बर हम न रहें। इस कारण वे अपने विचार पूरी तरह से प्रकट नहीं कर सकते क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि हमारी वर्तमान कुर्सी तक इसकी वजह से छिन न जाय। और सभापति महोदय, जब भय चाहे सही हो चाहे गलत हो, एक आदमी के दिमाग में काम करता है तो उसका दिमाग कभी सही काम नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ पंचायत समिति और जिला परिषद् बिल २ अक्टूबर से लागू होगा लेकिन इससे पहले आप विधान सभा में कैसे आये ? विधान सभा में आपको वोट नहीं मिलता तो काम नहीं होता क्या और आप आये हैं तो काम नहीं होता है क्या ? काम होता है। यदि आप शारिरिक काम को इतना महत्व देते हैं और यह कहते हैं कि हम शारीरिक मेहनत की वजह से यहां आये हैं तो एक मजदूर जो ८ या १० घंटे शारीरिक काम करता है वह यहां आता, आप नहीं आते। वोट मिलने

Page No.96

(श्री गिरधारीलाल)

पीछे राजनैतिक पार्टीज की नीति होती है और उसका सिद्धान्त होता है और जो वर्कर्स आते हैं वे अपनी पार्टी के सिद्धान्त के कारण आते हैं। आप यदि काम के लिहाज से देखते हैं तो आपकी पार्टी में भी बहुत से लोग जो महलों में रहने वाले हैं वे आये हैं और पब्लिक उनको वोट देती है। लेकिन मैं समझता हूं यह भय गलत है और इससे नहीं समझना चाहिये कि यदि हम पंचायत समिति के मेम्बर नहीं रहेंगे तो उनको सलाह नहीं दे सकेंगे और जो पंचायत समिति का काम होगा उसका निरीक्षण नहीं कर सकेंगे। यदि आप काम देखना चाहेंगे तो जो आज आप यहां काम करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, सड़कों के बारे में या अन्य कार्यों के बारे में वैसे ही प्रश्न आप वहां और भी पूछ सकते हैं। जो पंच लोग हैं या सरपंच उनके हाथ से ज्यादा काम होंगे तो निश्चित रूप से वे आपको सूचना देंगे। यदि आपको गलत सूचना देगा तो एक सरपंच देगा, लेकिन सभी पंच खिलाफ नहीं जा सकते, सभी आपके खिलाफ षडयन्त्र नहीं कर सकते जैसी कि आपको आशंका है।

दूसरी बात यह है कि यह बात कहते हुए जैसे कुछ माननीय सदस्यों ने बताया कि हम इस सिद्धान्त को भूल जाते हैं कि यह बिल केवल मात्र पंचायत समिति या जिला परिषद् बिल ही नहीं है बल्कि इसके पीछे एक सिद्धान्त काम कर रहा है जिसका नाम है 'विकेन्द्रीकरण'। विकेन्द्रीकरण का केवल मात्र मतलब यह होता है कि सत्ता कहीं न कहीं केन्द्रित है, वहां से उसको नीचे की ओर विकेन्द्रित किया जाय और इसको ही विकेन्द्रीकरण कहते हैं। अब यह देखना है कि सत्ता किस में केन्द्रित थी जिस कारण से यह बिल लाना पड़ा। सत्ता पहले के जमाने में एक व्यक्ति के हाथ में केन्द्रित थी जिनको राजा या बादशाह कहते थे। आज जनतन्त्र है। निश्चित रूप से असेम्बली और राज्यराज के हाथ में केन्द्रित है। इसको विकेन्द्रित करने के लिये यह बिल है। असेम्बली के एक एक मेम्बर को मिलाकर असेम्बली बनी है और ये ही मेम्बर आगे जाकर जिस सत्ता को विकेन्द्रीकरण कहते हैं उसमें दखल देना चाहते हैं, अपने आप को उस पर थोपना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ यह प्रजातन्त्र की हत्या है। इसको कभी नहीं मानना चाहिए। चाहे कोई सरपंच या पंच किसान हो या और कोई हो उस पर विश्वास रखना पड़ेगा आप यह विश्वास करते हैं कि आप वहां नहीं बैठेंगे तो नौ की तेरह हो जायगी, यह आपकी गलत धारणा है। किसानों ने पहले भी अच्छी तरह से काम चलाया है। मैं आशा करता हूँ कि जो काम आज हम उनको सौंपने जा रहे हैं उसे वे अच्छी तरह से चलायेंगे। आपने सत्ता का पूर्ण विकेन्द्रीकरण नहीं किया जैसा कि पाली से आनेवाले माननीय सदस्य कहते हैं यह सत्ता का विकेन्द्रिकरण नहीं है बल्कि काम का वितरण है, रचनात्मक काम का लोगों पर भार डाला है। ऐसी हालत में आप यह अमेन्डमेंट गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। जहां रचनात्मक काम करना पड़ता है वहां एम० एल० एज० कहें कि मैं रहूंगा तभी वह काम ठीक होगा, यह उचित नहीं है। सबसे बड़ी चीज देश में और राज्यों में यह है कि हमारे में वह राजनैतिक चेतना नहीं आई है जिसके द्वारा प्रभावित होकर बड़े बड़े सिद्धान्तों और उसूलों को दृष्टिकोण में रख कर चलें। हम छोटे छोटे झगड़े करते हैं। कभी ऐसे काम कर जाते हैं जो जनहित के

(श्री गिरधारीलाल)

खिलाफ हो जाते हैं। जनहित के काम में जहां तक हो सके राजनीति को कम लाना चाहिए, तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं। यदि एम० एल० ए० को मेम्बर रखें तो उनकी विचारधारा उनकी पार्टी के सिद्धान्तों से प्रभावित होती है जिसके कारण वहां पर राजनैतिक दंगल होगा और राजनैतिक काम कम होगा यह मेरी निश्चित धारणा है। हम चाहते हैं कि सार्वजनिक काम करना हो तो राजनीति उसमें कम से कम दखल दे। यदि एम० एल० ए० को वहां रखा तो रचनात्मक काम कभी नहीं होगा।

श्री सभापति (श्री बरकतुल्ला) : श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री (आमेर-सु.) : सभापति महोदय, आज धारा ६-बी प्रस्तुत की गई है सदन के सामने, उसको अच्छी तरह से पढ़ा। जो ६ क्लॉज़ आया उसमें एम. एल. ए. को मेम्बर नहीं रखा था, लेकिन एसोशियेट मेम्बर रखा उसके लिये तो धन्यवाद है लेकिन दूसरे पार्ट को देखा तो उसमें यह है :

"...shall not have the right to vote ..."

जब मैंने इस शब्द को पढ़ा तो मेरे दिल में एक विचार आया, इस पर मैं लम्बा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, निचोड़ बताउंगा। हमारे यहां कहते हैं– देखोजी बना, घर बार थांका छै पर चीज बस्त के हाथ मत न लगाइजो'। इसका मतलब यह है कि वहां जायेंगे एम. एल. ए. साहब दो चार पांच रूपये खर्च करके, मीटिंग में बैठेंगे, और बातें और विकास का प्रश्न सामने आयेगा तब अपनी बात कह सकेंगे, लेकिन वोट देने का मतलब आयेगा तब पंच कहेंगे कि एम. एल. ए. साहब आप जरा दूर बैठ जाइये और वह अपना सा मुंह लेकर बाहर जायेगा, उस समय एम. एल. ए. की क्या स्थिति होगी। यहां यही विचार करलें, उसका क्या हाल होगा क्या उसको गुस्सा नहीं आयेगा ? यदि सहनशील होगा तो गुस्से को पी जावेगा लेकिन यदि कोई तेज तर्रार आदमी होगा तो वह लड़ाई कर बैठेगा। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसी स्थिति को सामने नहीं लावें। यदि आप एम. एल. ए. को मेम्बर रखना चाहते हैं तो उनको फुलफ्लेज्ड बनावें ताकि वे वहां पर दबंग तरीके से कुछ कह सकें वरना एक एम एल. ए. की पाजीशन खराब हो और कुछ नहीं कह सकें। और पंचायत के लोग उसकी माने या नहीं मानें, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या राय व्यक्त कर सकेगा। इसलिए जो एसोशियेट मेम्बर बनाया गया है, उसके बजाय फुल फ्लेजड मेम्बर रखा जाय। नहीं तो जैसा मैंने बताया कि यह कहा जाय कि घर बार तुम्हारा हूं चीज बस्त में हाथ नहीं लगाये। यह स्थिति नहीं है। इतना कह कर मैं स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री रामचन्द्र।

श्री रामचन्द्र (डग-सु.): सभापति महोदय' आज ६-बी क्लॉज पर जो संशोधन आया है उस पर विचार करने पर, जो मैंने आज कुछ विवाद में नवीनता देखी, वह यह थी कि सदन के माननीय सदस्य दूसरे विषयों पर विवाद करते हैं, पर आज वादविवाद उन्हीं

(श्री रामचन्द्र)

के ऊपर हो रहा है। इससे बहुत से महानुभाव जब इस विवाद को सुनते हैं तो अपने मन में समझते हैं कि एम. एल. ए. लोग अपनी पॉवर को ग्रहण करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार और राजस्थान की जनता के हृदय में एम. एल. ए. के प्रति यह भावना है कि एम. एल. ए. वह है, जिस पर राज्य का उत्तरदायित्व है, लेकिन आज हम देखते हैं कि इस बिल में एम. एल. ए. की जैसी मिट्टी पलीद की गई है, शायद ही किसी जगह की गई हो। हम देखते हैं कि जो पंचायत समिति बनने जा रही है, उसमें मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स का समावेश हो रहा है। एक तरफ गांव के किसान होंगे, दूसरी तरफ राज्य कर्मचारी होंगे, जो सदन से अपनी स्कीम को उनके ऊपर थोपते आये हैं और मनमाना खर्चा करते आये हैं। एक और यह दृश्य है और दूसरी ओर वह एम. एल. ए. होगा और राज्य कर्मचारी होंगे, जिनको यह अधिकार दिया गया है कि सरकार का उत्तरदायित्व है, लेकिन उसको समिति के दफ्तर में बैठ कर यह अधिकार नहीं है कि वह वोट दे सके लेकिन राज्य कर्मचारी मनचाहा कर सकेगा। यह बिल्कुल अपोजिट बात है। इसलिए मैं कहूंगा कि यदि आपको इस बिल के अनुसार एम. एल. ए. को कोई स्थान देना है, तो जो राजस्थान की जनता ने उनको एक स्थान दिया है और कानून के अनुसार, एम. एल. ए. के प्रति जिस प्रकार राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है, उसी प्रकार वह पंचायत में बैठे और आपके जो कार्यकर्त्ता हैं, उनका उत्तरदायित्व हो और एम. एल. ए. को सब प्रकार वोट देने का हक हो तब तो एम. एल. ए. को इस पंचायत समिति में लाने से लाभ होगा वर्ना वह मजाक होगा। इसलिए, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बिल के अनुसार एम. एल. ए. को फुलफ्लेजड मेम्बर का अधिकार देना चाहिए। सभापति महोदय, मैं आज यह बता देना चाहता हूं कि पंचायत समितियों में एम. एल. ए. को बैठाने की और सारे काम का संचालन करने की आवश्यकता है क्यों? यह हमें मालूम है कि राज्य सरकार ने एक नीति का पालन किया, एक नीति बनाई और वह है कि जनतंत्र का विकेन्द्रीकरण हो और उसको अमल में लाने के लिए आज इस सदन के सामने एक बिल पेश हुआ है और हम जिस रीति नीति को आज बनायेंगे, उसके अनुसार उसका पालन आपकी पंचायत समितियों में होगा। जो पुस्तक एक्ट के रूप में पंचायत समितियों में पहुँचेगी, और जैसी उसकी भाषा होगी, वैसे ही उसका उपयोग वे करेंगी, लेकिन एम. एल. ए. के जाने से डबल पर्पज सर्व हो जावेगा। आपका जो कानून होता है, उसके साथ साथ जो कानून की कमेन्टरी होती है, इसी तरह आपके एक्ट के साथ एम. एल. ए. एक जीती जागती कमेन्टरी की तरह पहुंचेगा और आपके कर्मचारियों को भली प्रकार समझा देगा कि राज्य सरकार की क्या नीति है क्योंकि विधान सभा में बैठ कर इस मसले पर विचार करके वास्तव में निर्णय देंगे, वह केवल शब्दों के द्वारा जो हाउस की नीति है, जो भावना है, मालूम नहीं कर सकेंगे, उन शब्दों से मालूम नहीं कर सकेंगे, वे तो केवल शब्द ही शब्द होंगे, इसलिए यदि आप चाहते हैं कि सरकार की नीति भली प्रकार से सफल हो और जैसा कि सरकार चाहती है, गांव और उस क्षेत्र का

(श्री रामचन्द्र)

विकास, तो मैं निवेदन करूंगा कि इन पंचायत समितियों में आपके एक्ट के साथ वह मनुष्य भी पहुंचना चाहिए, उन व्यक्तियों का जाना भी आवश्यक है, जिन्होंने वह कानून बनाया है क्योंकि यदि कनून को समझने में और उसको किसी तरह कार्यान्वित करने में उलझन पड़ेगी, तो इस विधान सभा के एम. एल. ए. से वह उसको भली प्रकार समझ सकेंगे।

तीसरी बात, सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आया इस मशीनरी में जो कि राजस्थान सरकार बनाने जा रही है, उसमें एम. एल. ए. नाम का पुर्जा रखना जरूरी है या नहीं। जैसे घड़ी में बीसियों पुर्जे होते हैं, तो हर एक पुर्जा अपना महत्व रखता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जनतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को अमल में लाने के लिए जो आपने एक नीति बनाई है, उसमें एम. एल. ए. का स्थान बनाना आवश्यक है या नहीं। इसके लिए मैं निवेदन कर दूं कि राजस्थान विधान सभा का एम. एल. ए. तीन पोजीशन रखता है।

(श्री निरंजननाथ आचार्य उपाध्यक्ष, पदासीन)

जनता का वह एक प्रतिनिधि है, लेकिन साथ ही साथ सरकार का भी आदमी है, जो नीति सरकार ने निर्धारित की है, उसका अमल कितना हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है, इसको देखरेख करना भी विधान सभा के सदस्य का कर्त्तव्य है। इसके साथ साथ जनता को, सरकार क्या करना चाहती है, विकास किस रूप में करना चाहती है, आया वह विकास उस रूप में हो रहा है या नहीं, इसके ऊपर नियन्त्रण रखना, देख भाल करना, यह भी उसका कार्य है। तीसरी बात यह है कि विकास के मसलों में हमें यह देखना है कि यह जो स्प्रिट है, सरकार को नीति की, उस नीति का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके ऊपर विशेष नियन्त्रण रखना, कन्ट्रोल रखना एम० एल० ए० का काम है, उसको न राज्य कर्मचारी समझ सकता है और न गांव पंचायत के मेम्बर समझ सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यदि आपको इस नीति को सब प्रकार से सफल बनाना है और यदि आप यह चाहते हैं कि राजस्थान को जनता फले फूले, गरीबी दूर हो, विकास के कार्य हों तो इसके लिए सारे साधन आपको देने चाहिएँ, काम करने वाले

(घंटी)

भी। तजवीज देने वाले भी हों और इन दोनों के ऊपर वह आदमी भी हो, जो सुपरवाइजर हो ताकि वह दोनों तरफ जनता की क्या आवश्यकता है, काम करने वाले किस ढंग से कर रहे हैं आया जनता की इच्छा के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसे देखना इस विधान सभा के सदस्य का ही काम होगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस कानून के अनुसार यह क्लॉज, जो कि फुलेरा से आये हुए महानुभाव ने रखा है, उसको अवश्य मानना चाहिए और एक्ट जो आयन्दा बनने जा रहा है, उसमें राजस्थान के विधान सभा के मेम्बर को एक फुलफ्लेज्ड मेम्बर के रूप में बैठाना चाहिए यही निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अनोपसिंह।

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने आज यह धारा ६-बी,

Page No.100

(श्री अनोपसिंह)

पंचायत समिति व जिला परिषद् विधेयक की, काफी देर तक चर्चा का विषय रही है। मैं इसके बारे में अपने विचार पहले भी अर्ज कर चुका हूं सदन के सामने और उस वक्त मैंने यह अर्ज किया था कि एम० एल० ए० चूंकि एक लाख जनता का प्रतिनिधि होता है, उसको पंचायत समिति में रखना जरूरी है। मैं अब भी यही मानता हूं कि जिस आदमी को सरकार एक गजेटेड ऑफिसर की हैसियत देती है, एक लाख जनता जिसको वोट देकर भेजती है यहां, और जिसके सामने विकेन्द्रीकरण के ऐसे महत्वपूर्ण बिल आते हैं और उसके ऊपर अपने विचार व्यक्त करता है, इस लिहाज से देखें तो वाकई एम० एल० ए० बहुत बड़ी हस्ती है और उस हस्ती के नाते उसको हक होता है कि अपनी कॉन्स्टीट्युएन्सी में जो कुछ हो रहा है या होने वाला है या जो कुछ वहां की पंचायत के मुखिया या भले आदमी वहां के होते हैं, समझते हैं, उसको पूरा करे और अपनी कॉन्स्टिट्युएन्सी की समस्याओं को, अपने क्षेत्र की तकलीफों को, विकास की बातों को समझने की कोशिश करे, वहां से आपके पास लाये और यहां से हल निकलवा कर उसको वापिस पंचायत में ले जाकर दे। इस लिहाज से तो समझता हूं पंचायतों में, पंचायत समितियों में एक एम. एल. ए. का रहना जरूरी है, निहायत जरूरी है, पर अभी जिस तरह की भावनाएं मैंने आज इस सदन में व्यक्त होते हुये देखी हैं, सुना है, और यहां तक इस तरह की बातें भी सुनी हैं कि इस बिल में एम. एल ए. की जैसी बुरी हालत की है, जैसी मिट्टी पलीद की है, जैसे पहाड़ उस पर गिरने वाला है, उसके वहां नहीं रहने से न मालूम कौन सा पहाड़ गिर जायगा, भूचाल आ जायगा, मुसीबत आ जायगी, तो यह सब सुनने के बाद मेरे लिये कम्पलसरी हो गया कि मैं अपने विचार वापिस आपके सामने रखूं।

मैं यह बात कह देना चाहता हूं कि किसी के मन में यह नहीं है कि हम विकेन्द्रीकरण नहीं चाहते, यह निश्चित बात है कि हम सब विकेन्द्रीकरण चाहते हैं। जब हम विकेन्द्रीकरण चाहते हैं तो सत्ता को एक ही जगह रखने की बात को बिल्कुल छोड़ दें, हम सत्ता डिस्ट्रिब्यूट करना चाहते हैं, एक ही जगह उसे नहीं रखना चाहते और जब एक जगह सत्ता को केन्द्रित नहीं रखना चाहते तो यह जरूरी हो गया है कि एक एम. एल. ए. के हाथ में पहले से ही ऑलरेडी एक सत्ता है कि वह अपने क्षेत्र की बातें यहां रखता है और यहां की बातें अपने क्षेत्र में रखता है, उसको यह सत्ता प्राप्त है कि वह कलेक्टर से, मिनिस्टर महोदय से और सब अधिकारियों से पूछ सकता है किसी भी बात को और उसका जवाब मांग सकता है। तो यहां प्रिविलेज पोजीशन में एक एम. एल. ए. को ऑलरेडी रखा गया है और यह सत्ता उसके पास है और आप एक और सत्ता उस पर थोप देते हैं कि वह पंचायत समिति में सदस्य रहे, वोट दे सके, पंचायत समिति का प्रधान बन सके, उस पंचायत समिति का सर्वेसर्वा बन सके, गार्जियन बन सके तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरी समझ में नहीं आया कि यह किस तरह की सत्ता का विकेन्द्रीकरण हुआ ? एक ही व्यक्ति एक तरफ एम. एल. ए. भी रहे, सरपंच भी रहे, पंचायत समिति का सदस्य भी रहे, पंचायत समिति का सर्वेसर्वा यानि प्रधान भी रहे, यह कैसा सत्ता का विकेन्द्रीकरण ? क्या इसके

(श्री अनोपसिंह)

पास इतना समय है कि वह इतने कामों को सम्हाल सकेगा ? दो मीटिंग्स तो रूल्स के माफिक कम्पल्सरी होंगी, और भी आवश्यक मीटिंग्स हो सकती हैं। मैं मेरे साथी सभी माननीय सदस्यों से जो सदन में मौजूद हैं कहूंगा कि वे अपने दिल पर हाथ रख कर सोचें कि एक एम. एल. ए. के ऊपर जितनी जिम्मेदारियां, रेस्पोन्सिबिलिटीज होती हैं, लोगों की जो उनसे आशाएं रहती हैं, जो वादे उन्होंने लोगों से किए हैं, वे सारे काम आपने पूरे किये हैं क्या ? आप यहां पधारते हैं, मैं दूसरों की क्यों कहूं अपनी खुद की कहता हूं, शायद जितने बिल यहां आते हैं, उनकी स्टडी कर के नहीं आ सकता, जितने क्वेश्चन्स वहां के यहां आने चाहियें वे नहीं रख पाता, बिल्स में स्टडी करके जितने संशोधन रखने चाहियें, सुझाव देने चाहियें वह सब नहीं कर पाता, जितनी यहां सिलेक्ट कमेटीज की, एस्टीमेट कमेटी की, पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट्स आती हैं, उन सबको पढ़ तक नहीं सकता...

श्री रामचन्द्र (डग-सु.) : रुकावट तो नहीं है।

श्री अनोपसिंह : रुकावट तो नहीं है, पर आपके पास वक्त नहीं है, और माफ करें हम में इतने काबिल भी नहीं हैं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री (आमेर-सु.) : अधिकार तो दिया हुआ है, अधिकार ही नहीं दें तो क्या कीमत।

श्री अनोपसिंह : एक आदमी से, जितना ह्युमनली पोसिबिल है उतना ही हो सकता है उसके सिर पर इतना बड़ा दिमाग लगा दें कि जितना ६ आदमियों में दिमाग होता है, उसके ६ हाथ, ६ पैर लगा दें तो ये सारे काम वह कर सकता है। हो सकता है कि आप इतने काबिल हों कि यह सब काम कर सकते हों, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी हों, जिनको जीनियस शायद राजस्थान मान ले, आप जीनियस हो सकते हैं, हर जगह पहुंच सकते हैं, जिला परिषद् की मीटिंग में पहुंच सकते हैं, पंचायत समिति की मीटिंग्स में पहुँच सकते हैं, फेमीन रिलीफ कमेटी में पहुंच सकते हैं और भी दूसरी फलां फलां कमेटी में पहुँच सकते हैं पर जिस हालत में मैं हूँ मैं कन्फेसन कर लेता हूं कि मैं हर कमेटी में नहीं पहुँच सकता। यहां विधान सभा की मीटिंग्स अटेन्ड करते हुये तो कोई नहीं कर सकता। मैं अपने आपको गिल्टी समझता हूं कि जिस जनता ने मुझे प्रतिनिधि चुना है उसका जिस रूप में पूरी तरह से प्रतिनिधत्व निभाना चाहिये व प्रतिनिधित्व के पूरे काम जिस ढंग से करने चाहिये उस ढंग से नहीं कर सकता हूं।

मैं आप से पूछना चाहता हूं कि यदि आपको पंचायत समितियों और जिला परिषदों में नहीं रखा गया तो क्या आपकी मिट्टी पलीद हो जायगी। आपने क्या काम किये हैं और क्या करने को आमदा हैं ? मैं तो समझता हूं हम अपनी लिमिटेशन्स में रहें और जो काम हमको दिया है उसी को पूरा कर के बता दें आखिर एक लाख जनता ने बड़ी उम्मीदें रखते हुये हमें वोट दिये हैं, उनकी जिन बातों को हमें राज्य सरकार के सामने रखना चाहिये, राज्य सरकार को जो सुझाव पेश करने चाहियें वही कर देते हैं, तो मैं समझता हूं कि हम जनता के सच्चे प्रतिनिधि हैं।

(श्री अनोपसिंह)

पर हमारे अन्दर यह भावना रहे कि हम इन पंचायत समितियों और जिला परिषदों में नहीं गये तो वहां का सारा विकास कार्य खराब हो जायगा, विकास अधिकारी न जाने क्या का क्या कर देंगे, तो इस प्रकार की भावना उचित नहीं है। मैं तो कहता हूं आप वहां पहुंच कर विकास के कार्यों में और रुकावट डालेंगे, आप वहां पार्टीबाजी फैलायेंगे, आपके वहां पहुंचने से यह होगा कि आपकी पार्टी की नीति अलग है, आप अपनी पार्टी की नीति से कार्य करना शुरू करेंगे और दूसरी पार्टी के लोग हैं उनकी पार्टी की नीति और है वे अपनी पार्टी की नीति के अनुसार कार्य करना शुरू करेंगे और आपको हमेशा यही कोशिश रहेगी कि जो आपकी पार्टी के आदमी हैं, जो आपको वोट देते हैं, जिनके ऊपर आप मेहरबान रहते हैं, आप उनके सुझावों के अनुसार जहां वे कहेंगे उसी जगह उनकी इच्छानुसार कार्य करवायेंगे और अपने दिमाग को कन्फाइन कर देंगे अपने दिमाग को छोटा और संकुचित बना लेंगे तो विकास का कार्य जिन स्थानों पर होगा उसका दायरा भी संकुचित हो जायगा। इम्पार्शियल होकर काम करने की बात आपके दिमाग में आयेगी तो आपकी पार्टी आपको नहीं करने देगी, आपको आपकी पार्टी के आदेशों का पालन करना होगा। मैं मेरी बात कहूं, मैं किसी को नहीं छोड़ता, मेरी पार्टी जो मुझे आदेश देगी वह मुझे करना पड़ेगा। तो आज हम यहां बैठ कर सब कन्फेस क्यों नहीं कर लेते कि हम यह करना चाहते हैं। यह दुनियां को क्यों कहें कि हम नहीं गये तो तुम सब डूब जाओगे और हम इन पंचायत समितियों व जिला परिषदों में आयेंगे तो तुम सब तिर जाओगे।

तो माननीय उपाध्यक्ष हो सकता है कि हम में दो चार ऐसे काबिल माननीय सदस्य हों जो यह सब कुछ कर सकते हों पर मैं समझता हूं कि जो कुछ कार्य इन्हें सौंपा हुआ है, जो कार्य आज हमारे पास ऑलरेडी है उसी की पूरी तैयारी कर के आयें तो गनीमत है। यह कहना कि हम नहीं जायेंगे तो पहाड़ टूट गिरेगा, यह विचार ठीक नहीं है। मैं तो यह समझता हूं कि एसोशियेट, नॉन एसोशियेट वोट नॉन वोट, इस सारे पचड़े से निकल कर आपको ऐसे रह जाना चाहिये कि अलग रह कर सलाहकार के रूप में वहां जायें ऐसे सलाहकार जो वहां की बातों को यहां लावें और यहां की बातों को वहां ले जावें। यह एक बड़े शर्म की बात है कि इनको किस तरह से कार्यान्वित करना है, इस बात को वहां ले जावें और वहां की बातों को यहां लाकर चलावें और हम एम० एल० ए० कोई यह समझे कि हम कोई लाट साहब हैं...

एक माननीय सदस्य : यदि माननीय सदस्य को किसी बात की जानकारी नहीं होगी तो वे क्या सलाह-मशविरा देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : इस आधार पर आप अपने भाषण को लम्बा न करें।

श्री अनोपसिंह : हम ब्लॉक एडवाइजरी कमेटी के सदस्य रहे हैं और हमको उसका बहुत अनुभव है। वहां पर जो कुछ भी इन्स्ट्रक्शन्स होते हैं, बी. डी. ओ. का होते हैं और जो राज्य सरकार के अधिकारी ने आंकड़े मद में खर्च करने के लिये रखे होते हैं उसका वे लोग ढांचा बनाकर बी. डी. ओ. के पास भेज देते हैं और बी. डी. ओ. ब्लॉक एडवाइजरी कमेटी के पास उस कमेटी

Page No.103

(श्री अनोपसिंह)

के पास उस कमेटी के सदस्यों को इकट्ठे करके सरकार का प्लॉन और सरकार के व्यूज होते हैं वह रख देते हैं। ब्लॉक एडवाइजरी कमेटी उसमें क्या करती है ? वह सिर्फ यही करती है कि यह टीक है और यह टीक नहीं है इस प्रकार की अपनी राय देती है। इसके सिवाय वह कुछ नहीं कर सकती है। मैं यह आपसे निवेदन करूंगा कि आपने और हमने वहां पर इसके सिवाय और क्या किया। आप कर ही क्या सकते हैं। सारी शक्ति राज्य सरकार के हाथ में है सिवाय इसके कि आप अपनी राय वहां पर दें। हम इस गलतफहमी में रहे हैं कि हम कोई लाटसाहब है।

एक माननीय सदस्य : आपको मालूम होना चाहिये कि लाटसाहब तो कभी के गये।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री अनोपसिंह : मैं आपकी भावना को जानते हुए निवेदन करूंगा कि आप फजूल में अपनी वहां पर क्यों टांगे घुसेड़ना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : घुसेड़ना तो दिमाग चाहिये। टाँग से क्या होता है।

श्री अनोपसिह : दिमाग तो वहाँ नहीं पहुँचेगा। टांग ही पहुंचेगी। माननीय उपाध्यक्ष, इसलिए मैं माननीय राजस्व मन्त्री से व मेरे माननीय मित्रों से नम्र निवेदन करूंगा कि ६–बी क्लॉज को कम्पलीटली हटादें और ज्यादा से ज्यादा अगर आप उसमें कुछ रखना ही चाहते हैं तो यह प्रोविजन रखें कि पंचायत समिति अगर आपको बुलाने के लिये इन्विटेशन भेजें तो आप जरूर जावें। इसके सिवाय जाने में कोई इज्जत नहीं है।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। बोलना तो बहुत है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं भी आपको ज्यादा समय नहीं दे सकता।

श्री अनोपसिंह : कुछ बातें अभी कहनी बाकी रह गई हैं।

श्री उपाध्यक्ष : थर्ड रीडिंग पर आप उन्हें कह सकते हैं।

श्री अनोपसिंह : मैं अपने माननीय मित्रों से यह निवेदन करूंगा कि वे इस बात की लालसा अपने मनसे निकाल दें कि हम वहां पर साथ मिलकर काम करेंगे। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप आज यहां पर हैं कल यहां पर न रहेंगे और आपकी जगह कोई दूसरा ही एम० एल० ए० आ जाएगा और वह अपनी अड़ंगेबाजी लगाना शुरू कर देगा तो आप क्या करेंगे ? आप साफ मन के हैं मगर उसका दिल साफ न हो। इन सब सम्भावनाओं को सोच कर हमें इस समय निश्चित करना है। आप यह कहें कि एसोशियेटेड सदस्य रहेंगे। मैं यह कहूँगा कि आप वहां पर एसोशियेटेड सदस्य रह कर अपनी क्यों मिट्टी पलीद कराते हैं। अच्छा तो यह हो कि आपको पंचायत समिति बुलावे और आप वहां पर जाएँ और

(श्री अनोपसिंह)

अपनी रायदें कि हमारी इस मामले में यह राय है। मैं समझता हूं कि वह तो उचित बात होगी। और इसके सिवाय आपकी डिग्निफाइड पोजीशन और नहीं हो सकती।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : अगर वे नहीं बुलावें तो क्या करें?

श्री अनोपसिंह : नहीं बुलावें तो नहीं जावें अतः मैं माननीय राजस्व मन्त्री से निवेदन करूंगा कि इसको हटा दें।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय सलुम्बर से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है, उसको मैं स्वीकार करता हूं और इस क्लॉज पर जो इस सदन में बहस हुई है वह तीन तरह की विचारधारा को लेकर हुई है :

एक तो स्कूल ऑफ थॉट यह है कि एम० एल० ए० को सदस्य नहीं होना चाहिये।

दूसरा यह कि एम० एल० ए० सदस्य हों, वे फुलफ्लेज्ड हों और उनको राइट ऑफ वोट होने चाहिये और आगे जाकर वे प्रधान और उप-प्रधान के पद पर हो सकते हैं।

तीसरा यह कि वे एक एसोशियेटेड मेम्बर रहें और उस मीटिंग को अटेन्ड कर सकें, डेलीब्रेशन में हिस्सा ले सकते हैं मगर उनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा और इसके सिवाय वे प्रधान और उपप्रधान नहीं चुने जावेंगे। इसके लिये उनको अधिकार नहीं होगा।

इस प्रकार की बातें इस क्लॉज के लिये कही गई हैं। जहां तक मेरा विचार है, ६ क्लॉज पर बहस हुई थी उस समय एम० एल० ए० को फुलफ्लेज्ड सदस्य नहीं होना चाहिये और उसके लिये कारण भी दिये और यह कहा कि प्रधान और उपप्रधान उनको नहीं होने चाहियें। जहां तक कॉन्सटीट्यूएन्सी के डेवलपमेंट वर्क की जानकारी का प्रश्न है कि उनको वहां के डेवलपमेन्ट वर्क की जानकारी रहे। इसी लिए यह है कि वे पंचायत समिति के सदस्य हों और उसको वे अपने विचार दे सकें और एडवाइस दे सकें। उनको यह अधिकार हो सकता है कि वे मीटिंग में भाग लें लेकिन जहां तक निर्णय का प्रश्न है मैं यह कहूंगा कि निर्णय का कार्य इनडिपेन्डेन्ली सरपंचों पर ही छोड़ देना चाहिये ताकि वे अपना स्वतन्त्र रूप से निर्णय दे सकें। आपकी सलाह और आपकी राय उनको मिलती रहे, मगर उनके निर्णय में आपका किसी प्रकार से दखल नहीं होना चाहिये। इसके अलावा यह बात है कि हम ऊपर के कानून बनाने वाले हैं, कानून बनावें न कि उनके सदस्य हो जावें। यह उपयुक्त नहीं होगा। इसके अलावा दूसरी बात हम यह कहते हैं कि डिसेन्ट्रेलाइजेशन की युनिट पंचायत होगा तो हमको उन पर सब छोड़ देना चाहिये और निर्णय जो भी लेना चाहें लें, यह उन पर छोड़ देना चाहिये। इसलिए मैं समझता हूँ कि सलुम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है वह इस प्रकार है और उसको स्वीकार करना चाहिये।

दूसरी बात, एम. एल. ए. पर बहुत जोर दिया गया है कि उनको सदस्य रखा जाए और उनको वोट देने का अधिकार दिया जावे,

(श्री दामोदरलाल व्यास)

इस सिलसिले में मैं यह निवेदन करूंगा कि दूसरी स्टेट्स ने क्या एम. एल. ए. को ऐसी पंचायत समितियों में एडोप्ट किया है या नहीं। मैं यह कहूंगा कि एम. एल. ए. और एम. पी. हैं उनको आन्ध्र, मैसूर, मद्रास और आसाम इन चारों जगह डिसेन्ट्रेलाइजेशन किया है वहां किसी भी जगह एम. एल. ए. को फुलफ्लेज्ड सदस्य नहीं रखा है। यह बात मैं आपको आपकी जानकारी के लिये अर्ज करना चाहता हूँ कि जो प्रोविजन आन्ध्र में एम. एल. ए. के लिए रखा है वह इस प्रकार है :

Every member of the State Legislature representing the constituency to which or the block to which the member belongs shall have a right to take part in the proceedings of the Panchayat Samiti but without any right ot vote, मैसूर में एम. एल. ए. और एम. पी. को नहीं रखा है। दूसरे राज्यों में भी एम. एल. ए. को पंचायत समितियों का फुलफ्लेज्ड सदस्य नहीं रखा है, न उसको राइट ऑफ वोट दिया है।

अब स्टैंन्डिग कमेटी की बात कही है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Point of order, whether this has been passed in Mysore, Andhara etc. and whether they are in the form of a Bill as yet ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आन्ध्र ने पास कर दिया है। Madras has passed.

डॉ० बहादुरसिंह : लेकिन राजस्थान का त्याग इतना नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आपकी भावना की कदर करते हुए यह कह रहा हूं कि आपको राय देने का अधिकार है, यह सही है कि आप लोकल लीडरशिप कायम रखें। लेकिन पंचायतों के सरपंच को इनडिपेन्डेन्ट डिसीजन लेने का अधिकार होना चाहिये और उसमें आपका दखल नहीं होना चाहिये। और इसके लिए यह आवश्यक है कि यह जो अमेंडमेंट सलुम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने पेश किया है उसको मान लें।

एक संशोधन जो माननीय सदस्य बाड़ी (धौलपुर) से आये हैं उन्होंने पेश किया है। उन्होंने एक नया तरीका निकाला है। आप इसमें फुलफ्लेज्ड मेम्बर मत रखिये लेकिन यह प्रोविजो हटा दीजिये कि स्टेन्डिंग कमेटी के मेम्बर या चेयरमैन बनने के लिये रुकावट नहीं होनी चाहिये। मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता। स्टेन्डिंग कमेटी में सारा काम करना पड़ेगा। चेयरनमैन या मेम्बर बनने के लिए यदि स्वतन्त्रता दे दी गई तो फिर वहां जाकर सेन्ट्रेलाइजेशन हो जायगा बजाय डिसेन्ट्रेलाइजेशन के। आपका अमेंडमेंट इस दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। यदि एम. एल. ए. चाहे कि स्टेन्डिंग कमेटी के डिलिबरेशन्स में हिस्सा ले सकें और वहां सलाह मशविरा दे सकें उसके लिए मुझे कोई एतराज नहीं है। सलुम्बर से माननीय सदस्य ने जो अमेंडमेंट रखा है उसके आगे सेक्शन (२) में लाइन दो के आगे इतने शब्द बढ़ा दिये जायं "Such associate members shall have the right to attend the meeting of each Panchayat Samiti of which he is such

Page No.106

(श्री दामोदरलाल व्यास)

member..." इसके आगे "or any standing committee thereof"

इसके बढ़ा देने से पंचायत समिति और स्टेन्डिग कमेटी के डेलिबरेशन्स में भाग ले सकेंगे।

श्री अनोपसिंह : इससे कौन सा तुकमा लग जावेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : तुकमा लग जावेगा या नहीं यह आप देख लीजिये। मैं तो अपने विचार बता रहा हूं। एम. एल. ए. अपने विचार वहाँ बता सकें लेकिन स्वतन्त्र राय पंचायत समिति या स्टेन्डिग कमेटीज़ की होनी चाहिये और उनमें एम. एल. ए. का दखल नहीं होना चाहिये।

राजा श्री मानसिंह (बैर) : Point of information, what will be the amendment by the Hon'ble Minister?

श्री पी० के० चौधरी : सारा पढ़ कर बता दीजिये।

राजा श्री मानसिंह : We could not catch the exact wording that he wishes to include

श्री दामोदरलाल व्यास : I will read it again with your permission, Sir. "Such associate member shall have the right to attend the meetings of each Panchayat Samiti of which he is such member." Now I may add "or of any standing committee thereof".

श्री सोहनलाल भटनागर (सलुम्बर): बाद के वर्ड डिलीट करने पड़ेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी कोई जरूरत नहीं है।

श्री सोहनलाल भटनागर : नहीं, करने पड़ेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अर्ज करता हूं कि मीटिंग अटेण्ड करने का राइट दिया जा रहा है। उनको मेम्बर या चेयरमैन बनने के लिए राइट नहीं दिया जा रहा है। इसलिए नीचे के वर्ड्स को डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है। पंचायत समितियों को सलाह देने के लिए, उनके डेलिबरेशन्स में हिस्सा ले सकते हैं, स्टेंडिंग कमेटी के डेलिबरेशन्स में भी हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन उनके प्रधान, उप-प्रधान या मेम्बर नहीं बन सकते, उनको उनमें वोट करने का राइट नहीं होगा। वैसे ही आपकी स्टेंडिंग कमेटी या पंचायत समिति के कामों में दखल होगा, आप ऑलरेडी उस कॉन्स्टीट्युएन्सी के एम० एल० एज० हैं, आपकी राय में वैसे ही वहां वजन होगा, आप एक्सपीरियेन्स्ड हैं।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : आपने एक्सपीरियेन्स के लिए कहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य श्री अमृतलालजी यादव जो उदयपुर के रहने वाले हैं, जयपुर में रहते हैं उनके एक्सपीरियेन्स के लिए बता रहा हूँ कि वे जालोर से चुनाव जीत कर आये हैं तो उनको वहां का क्या एक्सपीरियेन्स हो सकता है।

Page No.107

श्री दामोदरलाल व्यास : यह आप ही सोच सकते हैं कि उनको कितना एक्स्पीरियेन्स है। सलुम्बर से आये माननीय सदस्य के इस अमेन्डमेन्ट के साथ मेरे अमेन्डमेन्ट को स्वीकार कर लिया जाय।

दूसरे अमेन्डमेन्ट जो माननीय सदस्यों ने रखे हैं उनके लिए मैंने पहले ही अर्ज कर दिया।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : On a point of information Sir, एम० एल० एज० कोऑप्शन के द्वारा आ जाते हैं तो क्या प्रधान या उपप्रधान बन सकते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कोऑप्शन से आ सकते हैं तो वे हो सकते हैं, लेकिन ऊपर से थोपने का सवाल नहीं हो सकता। बयाना से आये माननीय सदस्य ने कहा कि कोऑप्शन से कितने आ सकते हैं उसके लिए तो उन्हीं को अन्दाजा हो सकता है। वह रास्ता खुला हुआ है, उससे आ सकते हैं जो कि आने के लिए उत्सुक हो। अन्य माननीय सदस्यों ने जो अमेन्डमेन्ट रखे हैं उनको स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री अनोपसिंह : कोऑप्शन से आ जाते हैं तो फिर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : मैं अपने संशोधन प्रस्ताव को वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ६–बी पर जो संशोधन डॉ० बहादुरसिंह ने रखा है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री पी० के० चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने संशोधन वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री पी० के० चौधरी ने रखा है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : श्री सोहनलाल भटनागर।

श्री दामोदरलाल व्यास : First my amendment will be taken up.

मैंने यह अर्ज किया है for adding of the words "or of any standing committee thereof."

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री दामोदरलाल व्यास ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सोहनलाल भटनागर ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

राजा श्री मानसिंह : Point of order, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : I will not entertain any point of order when the amendment is being put to vote.

राजा श्री मानसिंह : Sir, there is another amendment by Shri Hoti Lal.

श्री होतीलाल (भरतपुर) : What about my amendment, Sir.

राजा श्री मानसिंह : Sir, I have got an amendment for additional clause 12 A which I hope you will allow me to move.

श्री दामोदरलाल व्यास : Sir, there is no notice and I oppose it.

श्री उपाध्यक्ष : जो पक्ष में हों वे हां कहें, (हां) जो विपक्ष में हों वे ना कहें (ना) हां पक्ष जीता ।

संशोधन स्वीकार किया गया ।

श्री होतीलाल : I press my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री होतीलाल ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६–बी संशोधित रूप से स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६–बी संशोधित रूप से स्वीकार किया गया ।

क्लॉज़ १२

श्री दामोदरलाल व्यास : I move that in sub-clause (1) omit the words "having jurisdiction over the area in which the officer of the Panchayat Samiti is situated" occuring in the last two lines.

The clause reads like this:—

"Whenever it is alleged that any member of a Panchayat Samiti is or has become disqualified and such member does not admit the allegation, or whenever any member is himself in doubt whether or not he is or has become disqualified for the office, such member or any other member may, and the Pradhan at the request of the Panchayat Samiti shall, apply to the Judge..."

Page No.109

(श्री दामोदरलाल व्यास)

after this, I want to delete the words 'having jurisdiction over the area in which the office of the Panchayat Samiti is situated."

श्री उपाध्यक्ष : Shri Sohan Lal.

श्री सोहनलाल भटनागर : I don't want to move it.

श्री उपाध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय ।

(अनुपस्थित)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री दामोदरलाल व्यास ने रखा है, उसे स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज १३ संशोधित रूप से स्वीकार की जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज १३ संशोधित रूप में स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १४ को स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १४ स्वीकार किया गया ।

क्लॉज़ १५

श्री जगदीशप्रसाद माथुर ।

श्री भैरोंसिंह ।

श्री दयाकृष्ण विजय ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १५ स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज १५ स्वीकार किया गया ।

क्लॉज़ १६ ।

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) **:** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि हाउस में सदस्यों की संख्या कम है, अतः आज हाउस एडजॉर्न कर दिया जाय ।

श्री सोहनलाल भटनागर : कोरम तो है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेम्बर्स काफी हैं । अतः स्थगित करने की आवश्यकता नही है ।

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज़ १६ । श्री पी० के० चौधरी ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) **:** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १६ पर मेरा अमेन्डमेन्ट है Replace the words "in the prescribed manner" by the words "according to proportional representation by means of single transferable vote." in sub-clause (3) of clause 16.

(श्री पी० के० चौधरी)

उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १६ स्टैंडिंग कमेटीज के सम्बन्ध में है। स्टैंडिंग कमेटीज किस किस विषय की होनी चाहियें। इसके सब क्लॉज़ ३ में इलेक्शन किस प्रकार से होना चाहिये, सब क्लॉज़ तीन में कहा गया है :

"Every Standing Committee shall consist of not more than seven members elected by the members of the Panchayat Samiti from amongst themselves in the prescribed manner;"

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव का जो तरीका है वह इस कानून में इनकोरपोरेट कर दिया जाय। इसलिये मेरे दिमाग में यह बात साफ है कि स्टैंडिंग कमिटीज का इलेक्शन कैसे होना चाहिये। प्रेसक्राइब्ड मेनर के रहने से साफ बात नहीं होगी, इसमें सिर्फ सिम्पल मेजोरिटी वोट पर करते हैं तो उचित नहीं है इसके लिये मैंने प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेन्टेशन का और सिंगल ट्रान्सफरेबल वोट का प्रावधान रखा है। आज किसी भी इलेक्टिव बोडीज़ की परमानेन्ट कमिटीज़ का चुनाव होता है हमेशा सभी जगहों पर देखा गया है हम प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेन्टेशन के बेसिस पर करते हैं ताकि इस प्रकार की बोडीज़ में जो अलग-अलग प्रकार के एलीमेंट्स आते हैं सब को एडीक्वेट रिप्रेजेन्टेशन इन स्टैंडिंग कमिटीज़ में मिल सके। इस प्रोवीज़न में प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेन्टेशन नहीं रखते हैं तो उसका नतीजा यह होगा कि पंचायत समित में जो मेजोरिटी ग्रूप होगा मान लीजिये १०० में ५१ सीट्स मेजोरिटी ग्रूप के हाथ में हैं तो उससे होगा क्या कि सारे के सारे मेम्बर्स उसी ग्रूप के स्टैंडिंग कमिटीज़ में आ जायेंगे और दूसरे एलीमेंट्स स्टैंडिंग कमिटीज़ में आ नहीं पायेंगे। स्टैंडिंग कमिटीज़ के जो फंक्शन्स दिये हुए हैं इस क्लॉज को आप देखेंगे— Every Panchayat Samiti shall constitute standing committees for each of the following groups of subjects:—

(a) Production programmes, including Agriculture, Animal Husbandary, Irrigation, Co-operation, Cottage Industries and other allied subjects;

(b) Social services including Rural Water Supply etc. etc."

And then it says:- "A Panchayat Samiti may constitute one or more additional Standing Committees for any of subjects enumerated in any of the groups." इस तरह से स्टैंडिंग कमिटीज़ है वह बहुत इम्पोर्टेन्ट हैं, उन्हीं स्टैंडिंग कमिटीज़ का सारा अधिकार रहेगा। जिन आइटम्स के लिये सरकार द्वारा अपोइन्ट की जायगी कमेटी वह फुल आथोरिटी से फंक्शन करेगी क्योंकि हमने पंचायत समिति को एग्जीक्यूटिव फंक्शन्स दिये हैं, क्योंकि पंचायत समिति हर वक्त सेशन में रह नहीं सकती। इसलिये स्टैंडिंग कमेटियों को फंक्शन दिये हैं और वे कमिटीज ज्यादातर सेशन में रहेगी एग्जीक्यूटिव वर्क, डेवलपमेंट वर्कस आदि में डायरेक्शन देंगी, एड देगी और उसको मेनेज करेंगी। क्योंकि पंचायत समिति को टेरिटोरियल रिप्रेजेन्टेशन नहीं बल्कि फंक्शनल रिप्रेजेन्टेशन दिया है। हमने इसमें कोऑपरेटिव और कॉम्युनिटी रिप्रेजेन्टेशन दिया है

(श्री पी० के० चौधरी)

हमने इसमें क्लास रिप्रेजेन्टेशन भी दिया है यानि पंचायत समिति के गठन में इस बात का बराबर ख्याल रखा है हर तरह के एलीमेन्ट्स, हर तरह के इन्टरेस्ट्स जो उस समिति के एरिया में है सब को प्रतिनिधित्व मिल जाय। इस प्रकार हमने पंचायत समिति के कम्पोजिशन में ख्याल रखा है। यह इसलिये रखा है कि पंचायत समितियाँ जो भी हों उसमें उनका बराबर प्रतिनिधित्व हो, उनकी भी वोइस उसमें हो इसी प्रकार से मैं यह चाहता हूं कि स्टेंडिंग कमिटियों का भी गठन इस प्रकार से हो जिससे हरएक सेक्शन, हर एलीमेंट्स और हर इन्टरेस्ट के लोगों को रिप्रेजेन्टेशन मिल सके। क्योंकि एक स्टेंडिंग कमेटी के चेयरमैन के अलावा दो मेम्बर होंगे। इसमें हम नहीं चाहते कि परटीकुलर ग्रुप के लोग सारे उस कमिटी में रहे। इसलिए मैंने यह अमेंडमेंट रखा है कि परटीकुलर सिंगल मेजोरिटी ग्रुप बन जाय और सारे स्टेंडिंग कमीटीज में वे ही अपने मेम्बर्स रख दे यह न होकर प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिए। जैसा कि हमारे यहाँ की फाइनेन्शियल कमिटीज में है एस्टीमेट्स और पब्लिक अकाउन्टस कमिटी के जो चुनाव होते हैं वह सिम्पल मेजोरिटी के आधार पर नहीं करते उनका हमने प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेन्टेशन रखा है ताकि हर पार्टी के मेम्बर को, उसके स्ट्रेंग्थ के अनुसार, उसको उस कमिटीज में हिस्सा मिल सके।

श्री सम्पतराम जैन : टाइम होगया है उपाध्यक्ष महोदय।

श्री पी० के० चौधरी : I have not yet concluded. So I continue tomorrow.

श्री उपाध्यक्ष : Then you will get five minutes tomorrow because you have already consumed five minutes today.

We now adjourn to meet day-after-tomorrow at 11 A.M.

(तदुपरान्त सदन की कार्यवाही ५ बजे, दिनांक ३१ अगस्त, १६५६ के प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

शनिवार, २६ अगस्त, १९५६

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर

जिला टोंक के पटवारियों और गिरदावरों के स्थानान्तरण।

समाज कल्याण सलाहकार परिषद्।

नगरपालिका उनियारा के चुनाव।

नगरपालिका भरतपुर के अध्यक्ष व एग्जीक्यूटिव ऑफीसर द्वारा जारी किये गये परस्पर विरोधी क्लीयरेंन्स सर्टिफिकेट।

नगरपालिका चितौड़ द्वारा कांग्रेस कार्यालय को दी गई जमीन।

लूनकरणसर तहसील में तावान की वसूली।

नगरपालिका परबतसर के अध्यक्ष का निर्वाचन।

प्लॉट नं० १ स्कीम 'ई' बनीपार्क, जयपुर।

ग्राम पंचायत पचवार (लालसोट) के सरपंच, श्री कन्हैयालाल के विरुद्ध की गई शिकायतें।

बीमा-विभाग के कर्मचारियों पर परीक्षाओं में बैठने हेतु लगाया गया प्रतिबन्ध।

सन् १९५८ में औरंगाबाद में बी. सी. जी. सम्मेलन में राजस्थान के प्रतिनिधि।

स्कम्भ

ग्राम पंचायत बड़ोद (कोटा)।

अफीम-वितरण।

श्री मोहन पूनमिया द्वारा श्री महाराजा उम्मेद मिल्स, पाली में की गई भूख हड़ताल।

खाद्यान्नों के निर्यात पर लगाया गया प्रतिबन्ध।

नायब तहसीलदारों व सदर कानूनगो की नियुक्ति हेतु बनाये गये नियम

सिरोही के ग्राम पोसालिया में चिकित्सालय का खोला जाना

तहसीलदार व नायब तहसीलदार, सोजत द्वारा भूमि वितरण

अध्यक्ष नगरपालिका पिलानी द्वारा भूमि विक्रय।

कृषि सहकारी समितियां-पाली।

ग्राम आहुवा खारची में चिकित्सालय की स्थापना।

शराबबन्दी के प्रशिक्षण के लिये बम्बई भेजे गये उम्मीदवार

भूतपूर्व कस्टम विभाग के निरीक्षकों व नाकेदारों का यूनीफाइड व

रेशनेलाइज्ड पे स्केल के एरियर का भुगतान।

अनाज का राज्य-व्यापार

बंगाली शरणार्थियों को दी जाने वाली सहायता।

स्कम्भ स्कम्भ

सरकारी दवाखानों में अधिकतर बाहर से मोल लेने वाली दवाओं का लिखकर दिया जाना ।

मद्य-निषेध ।

अजमेर, ब्यावर व नसीराबाद आदि के सरकारी अस्पतालों में नियुक्त हरिजन कर्मचारी ।

स्याही व दवातों की सप्लाई ।

किशनगढ़ सब-डिविजन के कृषकों से लगान की वसूली

पंचायतों के हिसाब का ऑडिट-जिला झालावाड़

(स्थगित प्रश्नोत्तर)

सूरतगढ़ में सन् १६५७-५८ में एक साला जमीन का अलॉटमेन्ट

राजस्थान केनाल क्षेत्र में टैक्स

मालिकाना कर का लगाया जाना

डाइरेक्टर कॉलोनाईजेशन, हनुमानगढ़ द्वारा सरकारी जीप में की गई जयपुर की यात्राएं ।

विधायी कार्य

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १६५६

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित उपरोक्त विधेयक पर अग्रेतर खण्डशः विचार जारी रहा ।

खण्ड ६-बी :—नया खण्ड ६-बी जोड़ा गया ।

खण्ड १२ :—संशोधित रूप में स्वीकार कियागया ।

खण्ड १३ :—संशोधित रूप में स्वीकार किया गया ।

खण्ड १४ व १५ :—बिना किसी संशोधन के स्वीकार किये गये ।

खण्ड १६ :—इस खण्ड पर श्री पी. के. चौधरी ने संशोधन प्रस्तुत किया ।

श्री पी. के. चौधरी अपना भाषण दे रहे थे कि सदन की बैठक ठीक ५ बजे सोमवार, दिनांक ३१ अगस्त, १६५६ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई ।

सोमवार, ३१ अगस्त, १६५६ की
कार्य-सूची

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १६५६ ।

(प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित उपर्यंकित विधेयक पर अग्रेतर खण्डशः विचार)

परिशिष्ट १

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४५४ का उत्तर देखिये]

जिला टोंक में तहसीलवार पटवारी और गिरदावरों की सूची, जिनका ट्रान्सफर १०,५, व ३ वर्षों से नहीं हुआ।

तहसील		१० साल से	५ साल से	३ साल से
टोंक	पटवारी	१	१	१६
	गिरदावर	–	–	१
अलीगढ़	पटवारी	–	–	८
	गिरदावर	–	–	१
टोडारायसिंह	पटवारी	२	५	४
	गिरदावर	–	–	२
निवाई	पटवारी	–	३	२२
	गिरदावर	–	–	१
देवली	पटवारी	–	८	६
	गिरदावर	–	–	१
मालपुरा	पटवारी	३	६	१
	गिरदावर	–	–	–

जिला टोंक में तहसीलवार पटवारी और गिरदावरों की सूची जिनका ट्रान्सफर २ साल, १ साल व ६ माह में हुआ।

तहसील		२ साल	१ साल	६ माह
टोंक	पटवारी	८	१०	२
	गिरदावर	१	२	–
अलीगढ़	पटवारी	११	१४	–
	गिरदावर	१	२	–
टोडारायसिंह	पटवारी	–	–	४
	गिरदावर	–	–	–
निवाई	पटवारी	३	१	–
	गिरदावर	१	३	–
देवली	पटवारी	–	–	४
	गिरदावर	–	१	–
मालपुरा	पटवारी	८	५	२
	गिरदावर	३	१	३

परिशिष्ट २

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४५५ का उत्तर देखिए]

राजस्थान अनुसूचित जन जाति मंत्रणा परिषद् के सदस्यों की सूची

१. मन्त्री, समाज कल्याण विभाग	अध्यक्ष
२. उप-मन्त्री, समाज कल्याण विभाग	उपाध्यक्ष

राजस्थान विधान सभा में अनुसूचित जन जाति के प्रतिनिधि

१.	श्री	कालूराम भील	सदस्य
२.	,,	भैरवलाल 'काला बादल'	,,
३.	,,	हरिकिशन	,,
४.	,,	नाथूलाल करोल मीना	,,
५.	,,	गोपी सहाय	,,
६.	,,	नाथूराम	,,
७	,,	हीरा भाई	,,
८,	,,	मोडूलाल मीना	,,
९.	,,	देवा गिरासिया	,,
१०.	,,	रामनारायण वर्मा	,,
११.	,,	विद्यासागर	,,
१२.	,,	फूलाभाई	,,
१३.	,,	लक्ष्मण हीरात	,,
१४.	,,	अमरा मीना रावत	,,

जो अनुसूचित जन जाति के नहीं हैं

१.	श्री	गौरीशंकर उपाध्याय	सदस्य
२,	,,	भैरवलाल वर्मा	,,
३.	,,	नटवरलाल भट्ट	,,
४.	,,	हरिदेवजी जोशी	,,

संचालक, समाज कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर पदेन सचिव

अनुसूचित जन जाति कल्याण बोर्ड के सदस्यों की सूची

१.	मन्त्री, समाज कल्याण विभाग	अध्यक्ष
२.	उप-मन्त्री, समाज कल्याण विभाग	उपाध्यक्ष

सरकारी सदस्यगण

३.	सचिव, समाज कल्याण विभाग	सदस्य
४.	सचिव, राजस्व विभाग	,,
५.	मुख्य वनरक्षक, राजस्थान	,,
६.	संचालक, शिक्षा विभाग	,,
७.	संचालक, समाज कल्याण विभाग	पदेन सचिव

गैर सरकारी सदस्यगण

८.	श्री उदयलाल वेर्दिया, सलुम्बर	सदस्य
९.	,, गोकुलभाई भट्ट, सिरोही	,,
१०.	,, पृथ्वीराज, सदस्य, विधान सभा, बामनवास, गंगानगर	,,
११.	,, देवीलाल, सदस्य, विधान सभा	,,
१२.	,, डूंगरसीदास, सदस्य, विधान सभा, मानपुरा	,,
१३.	,, भोगीलाल पंड्या, सदस्य, विधान सभा	,,
१४.	,, रामप्रसाद बद्धा, भूपालगंज, भीलवाड़ा	,,
१५.	,, रामेश्वर दयाल, सक्सेना, सदस्य विधान सभा, कोटा शहर	,,
१६.	श्रीमती उर्मिला देवी, मसूदा हाउस, अजमेर	,,
१७.	श्री माणिक्यलाल वर्मा, एम. पी.	,,
१८.	,, बलवन्तसिंह मेहता, उदयपुर	,,
१९.	,, गोपाल हरि वर्मा, बांसवाड़ा	,,
२०.	,, भोगी भाई, एम. पी., बांसवाड़ा	,,
२१	,, दीनबन्धु परमार रिखबदेव, उदयपुर	,,
२२.	,, धीराजी, बनजारिया, खेरवाड़ा	,,

२३. „ रोशनलाल शर्मा, मा० जिला कांग्रेस कमेटी, उदयपुर सदस्य

२४. „ हरिराम, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा, बांसवाड़ा „

२५. „ अरीसालसिंह, कोटपूतली „

अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड के सदस्यों की सूची

१. मंत्री, समाज कल्याण विभाग अध्यक्ष

२. उप मंत्री, समाज कल्याण विभाग उपाध्यक्ष

सरकारी सदस्य

३. सचिव, समाज कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर सदस्य

४. सचिव, गृह विभाग „

५. सचिव, राजस्व विभाग „

६. महानिरीक्षक जनरक्षा, विभाग „

७. संचालक, शिक्षा विभाग „

८. संचालक, समाज कल्याण विभाग पदेन सचिव

गैर सरकारी सदस्यगण

९. श्री पन्नालाल बारूपाल, ६४ नॉर्थ एवैन्यू, नई दिल्ली सदस्य

१०. „ सम्पतराम, सदस्य, उप राजस्व मंत्री „

११. „ ओंकारलाल, एम. पी., धान मंडी, कोतवाली रोड, कोटा „

१२. „ जगन्नाथ पहाड़िया, एम. पी., भूसावर, भरतपुर जिला „

१३. „ अमृतलाल यादव, सी स्कीम जयपुर „

१४. „ भंवरलाल भदादा, हरिजन सेवक संघ, भीलवाड़ा „

१५. कंवरलाल जेलिया, कोटा „

१६. „ धर्मपाल, सदस्य विधान सभा, हनुमानगढ़ „

१७. „ हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री, सदस्य, विधान सभा „

१८. „ अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, मा० प्रजा सेवक, जोधपुर „

१९. श्रीमती इन्दुबाला सुखाड़िया, सीविल लाइन जयपुर „

२०.	श्री बालकृष्ण गर्ग, भारत सेवक समाज, अजमेर	सदस्य
२१.	,, हजारीलाल बाकोलिया, सदस्य, विधान सभा	,,
२२.	,, रामचन्द्र, सदस्य, विधान सभा, मोचीपुरा, झालावाड़	,,
२३.	,, हरिप्रसाद यादव, सदस्य विधान सभा	,,
२४.	,, रावतराम, सदस्य विधान सभा	,,
२५.	,, मंडन मिश्र, भारत सेवक समाज, जयपुर	,,
२६.	श्रीमती कमला देवी श्रोत्रिय, सदस्या विधान सभा	,,

अनुसूचित जन जाति मंत्रणा परिषद् के गैर सरकारी सदस्यों को जो टी. ए. व डी. ए. स्वीकृत है, उसकी सूची

१. जहां तक रेल व रोड माइलेज का सम्बन्ध है, जो सदस्य विधान सभा के सदस्य भी हैं उनको वही टी० ए० दिया जावेगा जो प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को दिया जाता है।

२. दूसरे सदस्यों को उनके निवास स्थान से आने व जाने का प्रथम श्रेणी के किराये पर टी० ए० दिया जावेगा।

नोटः—जब वापसी सरकार के लिये रेल्वे द्वारा रियायती किराये की अनुमति हो तो वापसी टिकिट के वास्तविक दाम तथा प्रत्येक तरफ से साधारण किराये का आधा दोनों मिलाकर उनके हिसाब से टी० ए० दिया जावेगा।

३. सब सदस्यों को डी० ए० ७।। रु० दिया जावेगा।

नोट— जो सदस्य ५ मील के अन्दर से आवेंगे उन्हें कन्वेयेन्स चार्ज (डी० ए० नहीं) ३ रु० प्रतिदिन दिया जावेगा।

४. सदस्यों के साथ आने वाले नौकरों को टी० ए० नहीं दिया जावेगा।

५. जो स्थान रेल द्वारा मिले हुए हैं उनके बीच कार द्वारा सफर की इजाजत नहीं दी जायेगी। और यदि सदस्य कार द्वारा सफर करते हैं तो जो टी० ए० रेल द्वारा सफर का दिया जा सकता है, उस तक उनका टी० ए० सीमित रहेगा।

६. सड़क द्वारा सफर करने पर ५ आने प्रति मील माइलेज की दर होगी।

अनुसूचित जन-जाति कल्याण बोर्ड एवं अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों को जो टी० ए० व डी० ए० स्वीकृत है, उसकी सूची

१. प्रथम श्रेणी अधिकारी को जो रेल किराया दिया जा सकता है, वही किराया सदस्यों को मिलेगा बशर्ते उस रेल्वे लाइन पर जिस क्लास में उन्होने सफर किया है, वह क्लॉस वास्तव में प्राप्य है और उनके द्वारा प्रयोग की गयी है।

२. ७॥ रु० प्रतिदिन के हिसाब से डी० ए० दिया जायेगा।

परिशिष्ट ३

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४६० का उत्तर देखिये]

तारांकित प्रश्न संख्या ३८। आर. एम. से संबंधित सूची

१. मलकीसर	२. लक्ष्मीनरायनसर
३. सेतसर	४. कुनटी
५. भानपुरा	६. कसुरीसर
७. पीपेरा	८. मकरासर
९. तेजाना	१०. गगरा
११. रानेर	१२. संधारदेसर
१३. मांडसर	१४. खारबारा
१५. माडेरा	१६. सरदारपुरा
१७. कुन्डा	१८. मौजावास
१९. सुई	२०. शेरपुरा
२१. आडसर	२२. नाजासर भाटियान
२३. कालू	२४. नाथवाना
२५. गोयलान	२६. पीरपान
२७. तारी	२८. महाजन

परिशिष्ट ४

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४६१ का उत्तर देखिए]

Copy of the Telegram dated 11-3-59.

Collector, Nagaur

Remurs of SDOS Immediately transfer on his dramatic disappearance of fourteenth Afloat in own Chairman Election and oath ceremoney must be performed in necessary appoint another Officer or come yourself.

Public Parbatsar.

Copy of the Telegram Dated 1-3-59 from Makrana.

District Magistrate Nagaur.

Your nominee immediately called to Jaipur Chairmans Election on 11th kindly come yourself.

Sharmonmal

परिशिष्ट ५

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४६६ का उत्तर देखिए]

Government of Rajasthan Appointments (A) Department.
Notification.

No. F. 13 (17) Appts. (A)/55 Jaipur, the 11th October, 1958.

In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India and of all other powers enabling him in this behalf, the Governor of the State of Rajasthan hereby directs that the following amendment shall be made in the Rajasthan Government Servants and Pensioners Conduct Rules, hereinafter referred to as the said Rules, namely :

Amendment.

After Rule 14-A of the said Rules, the following new rule shall be inserted namely :

"14-B. Prohibition of joining or attending educational institutions; No Government servant, while in Government service, shall join or attend any educational institution for the purpose of preparing himself for, or shall appear at, any examination of a recognised Board or University :

Provided that—

(i) nothing in this rule shall apply to a Government servant who applies for and is granted such leave as may be due to him under the Rajasthan Service Rules for the entire period of the school or College session in which he so prepares himself.

(ii) a Government servant who has, in or before the year 1955, passed any previous examination may be permitted by the appointing authority to join or attend an education institution outside his office hours for the purpose of preparing himself for, and to appear at, the final examination next following such previous examination.

(iii) A Government servant may be permitted by the appointing authority to join or attend an educational institution outside his office hours for the purpose of preparing himself for, and to appear at, the matriculation examination of a recognised Board or University or any other examination held by a recognised Board or University which may have been declared to to be equivalent to such matriculation examination :

(iv) A teacher or librarian may, subject to rules and regulations of of Education Department, be permitted by the appointing authority to join or attend any educational institution outside his office hours for the purpose of preparing himself for, and sitting at any examination higher than the matriculation examination of a recognised Board for University or any other examination declared to be equivalent thereto, and

(v) a technical officer may also, subject to any departmental rules be permitted by the appointing authority to join attend, out side his office hours, any technical institution for the purpose of pursuing higher technical studies and sitting at any technical examination.

Explanation.

(a) the expression "previous examination" refers to the annual examination immediately proceding the final intermediate or Degree or post-graduate examinations, and

(b) the expression "technical officer" refers to officers holding post of technical nature in or under the Medical and Health, Agricultural, Veterinary, Forest, Public Works and Mines and Geology Departments of the State or in State owned factories or production centers under the control of the Industries Department of the State.

(Sd.) R. D. Mathur,
Special Secretary to Government.

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४७४ का उत्तर देखिये)

व्यापार संघ

रजिस्टर्ड नम्बर ७५।५८

कार्य क्षेत्र
सम्पूर्ण राजस्थान,
क्रमांक —५६—२७

प्रधान कार्यालय,
कोटा, राजस्थान,
दिनांक १८-३-५६

श्रीयुत डायरेक्टर साहब,
फूड एण्ड रिलीफ ऑपरेशन,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषयः—खाद्यान्न निर्यात व राजकीय खाद्यान्न व्यापार योजना

प्रिय महाशय,

यह तो आपको भली भांति विदित है कि कोटा डिविजन खाद्य उत्पादन में प्रधान क्षेत्र है और यहां जन साधारण की पूर्ति के पश्चात् भी इस क्षेत्र से राजस्थान प्रान्त एवम् देश के अन्य भागों में यहां पर उत्पादित खाद्यान्नों का निर्यात होता रहा है।

दुर्भाग्य से स्वार्थी व्यापारियों की संग्रह एवम् मुनाफाखोरी वृत्ति के कारण गत वर्ष से ही निरन्तर भाव वृद्धि होती गई और वह चर्म सीमा पर पहुंच गई। विवश होकर सरकार ने खाद्यान्नों का व्यापार स्वयं करने का निश्चय किया जो कि स्वागत योग्य कदम है।

राष्ट्रीय विकास परिषद् एवम् केन्द्रीय व राज्य सरकारों द्वारा भी अभी तक इस सम्बन्ध में स्पष्ट रीति-नीति घोषित न होने से जहां काश्तकार उलझन में हैं वहां इस व्यवसाय में लगे हुए व्यापारी एवम् जन साधारण भी। अतः इस सम्बन्ध में स्पष्ट नीति घोषित की जानी चाहिये।

इस क्षेत्र में ज्वार, चना आदि कोर्स ग्रेन की पैदावार प्रचुर मात्रा में हुई है। लेकिन स्थानीय अधिकारियों द्वारा इस क्षेत्र के एक स्थान से अन्य स्थानों पर ले जाने के लिए पाबंदी लगा रखी है वह गलत प्रकार का परमिट सिस्टम कायम कर रखा है। जिससे कि चंद पूंजीपती व्यापारियों की एक फर्म याने एक गिरोही परमिट द्वारा माल निर्यात कर अनुचित लाभ उठा रहा है। जब कि केन्द्रीय सरकार द्वारा ग्रेन के जोन बने हुए हैं जिसमें कोर्स ग्रेन का जोन अलहदा व गेहूं का जोन अलहदा है तो क्यों नहीं एक ही जौन के विभिन्न स्थानों पर खुले रूप से याता-यात होने दिया जाता। अनधिकृत पाबन्दी क्या भ्रष्टाचार नहीं है। क्या इससे काश्तकार को अपने उत्पादन का उचित मूल्य मिल रहा है। क्या इससे जन साधारण को उचित मूल्यों पर वस्तुयें उपलब्ध हुई हैं। क्या इसे सरकार की बदनामी नहीं हुई।

परिशिष्ट

राजस्थान में खाद्यान्नों के व्यापार करने के लिए लाइसेन्स प्रणाली लागू है। जिसके अनुसार जिन जिन व्यापारियों ने लाइसेन्स लिये हैं और व्यापार करते हुए केन्द्रीय व राजकीय योजना के मुताबिक एक ही जोन के किसी भी स्थान पर यहां उत्पादित खाद्यान्नों को निर्यात करना चाहते तो उन्हें स्वतन्त्र रूप से निर्यात करने देना चाहिये, जैसा कि अन्य जिलों में हो रहा है। यह स्थिति तो अविलम्ब समाप्त कर देना चाहिये कि कोटा नगर से एक फर्म द्वारा हो निर्यात हो। जनतन्त्र में इस प्रकार की मोनापोली तो एक प्रकार का अभिशाप ही है। और किसी संस्था या समूह द्वारा भी यह कार्य सम्पन्न करवाया जाना हो तो वह संस्था होनी चाहिये और वह भी रजिस्टर्ड, न कि फर्म तथा उस संस्था में खुले रूप से प्रत्येक को सम्मिलित होने का अवसर चाहिये।

आशा ही नहीं वरन् पूर्ण विश्वास है कि उपरोक्त तत्वों पर अविलम्ब शीघ्रातिशीघ्र समुचित व्यवस्था के आदेश प्रसारित करने की कृपा करेंगे।

उत्तर की प्रतीक्षा

आपका

ह० पुष्पचन्द जैन,

प्रधान मन्त्री

———

परिशिष्ट ७

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४८४ का उत्तर देखिये)

सरकार की ओर से घट्टी व परानियां में बसाये गये शरणार्थीयों परिवारों की आयोजना (Scheme) के अन्तर्गत प्रत्येक परिवार को निम्नलिखित स्तर व शर्तों पर सहायता ऋण के रूप में समय समय पर दे दी गई है। सिर्फ नये आने वाले परिवारों को बैलों की तकावी नहीं दी जा सकी है, अब दी जा रही है

क्रम संख्या	आयोजना के अन्तर्गत किस दर पर ऋण दिया जाना है।	धनराशि जो ऋण के रूप में कितने परिवारों को दे दी गई है।	अदायगी की शर्त
१	२	३	४
१.	आवश्यक आर्थिक सहायता (Maintenance Loan) प्रत्येक युवा को १२ : व बालक को (८ वर्ष से नीचे की आयु) ८ : माहवार की दर से प्रत्येक परिवार को ५०) रु० सीमा परिवार के वहां पहुंचने की तिथि से १२ माह तक दिया जाना है।	प्रत्येक परिवार को आयोजना के अन्तर्गत बराबर दी जा रही है। अब तक १,२६,१४६.८२ न० पै० इस रूपमें दिये जा चुके हैं। इसमें अकृषकों को ६ माह तक दिया जाने वाला आवश्यक सहायता में दिये जाने वाला ऋण भी सम्मिलित है।	वह कृषिक परिवार को दिये जाने वाला ऋण १० वर्षों में १० बराबर किश्तों में मूलधन व ४ रु० ब्याज की दरसे अदा करना होगा जिसकी पहली किश्त ऋण दिये जाने वाली तिथि से २ साल बाद प्रारम्भ होगी। प्रथम वर्ष में किसी प्रकार की वसूली नहीं की जावेगी
२.	५०० रु० प्रत्येक परिवार के लिए बैलों की तकावी	पूर्व आने वाले १०६ कृषक परिवार को ५३,००० रु० दिये जा चुके हैं। बाद में जाने वाले नये परिवारों को अब दिया जा रहा है।	...

Page No.128

१	२	३	४
३.	१०० प्रत्येक परिवार को गाय के लिए	पूर्व आने वाले १०६ परिवारों को व बाद आने वाले १२५ परिवारों को, कुल २३१ परिवारों को २३,१०० रु० दिया जा चुका है।	....
४.	अ- ५० रु० की दर से कृषि औजार (हल, कुली व जुए आदि) के लिए	पूर्व आने वाले १०६ व बाद को आनेवाले १२५, कुल २३१ परिवारों को ११,५५० रु० दिये जा चुके हैं इसके	
ब.	इसके अतिरिक्त कुल्हाडी, गेंती व फावड़े इत्यादि भी दिए गए हैं।	अतिरिक्त ११,६८२,३२ न० पै० के कृषि औजार जैसे गेंती, फावड़े, तगारी व कुल्हाड़ी इत्यादि भी खरीद कर विस्थापितों को बांटे जा चुके हैं।	
५.	४५ रु० एक एकड़ की दर से भूमि सफाई (Reclamation) के लिए।	१०६ पूर्व आने वाले परिवारों को एक एकड़ का पैसा दिया जा चुका है, शेष जमीन को ट्रेक्टर द्वारा तैयार (Reclamation) कराने के लिए विभागीय कार्यवाही की जा रही है।	
६.	बीज बांटा जा चुका है।	... ...	...
		अकृषक (Non-Agriculturist) परिवार के लिए	
१.	आर्थिक आवश्यक सहायता उपरोक्त दर से परिवार के पहुंचने की तिथि से ६ माह के लिए दिया जाना है।	समस्त १६ परिवारों को दिया जा चुका है। धनराशि जो परिवारों को आइटम नम्बर १ में नोट की गई है, उसी में सम्मिलित है।	यह अकृषक परिवारों को दिये जाने वाला ऋण २० वर्ष में २० बराबर सालाना किश्तों में मूलधन व साढ़े चार

१	२	३	४
			६० सैंकड़ा ब्याज की दर से अदा करना होगा, जिसकी पहली किश्त ऋण दिये जाने वाली तिथि से ४ वर्ष बाद प्रारंभ होगी। प्रथम ३ वर्ष तक सिर्फ सादा ऋण ब्याज लिया जा सकेगा।

ऋण कब कब, कितना कितना दिया गया है, उसका ब्योरेवार सलंग्न तालिका में दिया है (Appendix)

Statement showing the details of loans advanced to displaced persons from East Pakistan resettled at Ghatti, Parania Colonies, Teh. Kishanganj

S. N.	Name of the Month.	Maintenance Loan for Agriculturists & Non-Agrictlturists families	Reclamation of land	Agriculture loan for Purpose of Bullocks	Implements	Seed	Misc	Milch Cow.	Non-Agriculture loans Business loan.	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1975-58						
1.	February, 58	1,624/-	—	—	—	—	—	—	—	
2.	March, 58	3,268/-	—	—	—	—	—	4,200/-	—	
	Total	4,892/-	—	—	—	—	—	4,200/-		
				1958-59.						
3.	April, 58	3,813/-	—	—	—	—	—	—	—	
4.	May, 1958	4,304/-	—	—	—	—	—	—	—	
5.	June, 58	4,810/-	—	32,000/	—	—	—	—	—	
6.	July, 1958	4,790/-	—	21,000/	—	—	—	—	2,400/-	
7.	August,58	4,798/-	—	—	—	—	—	—	800/-	
8.	September,58	4,786/-	—	—	450/-	—	—	—		
9.	October,58	4,810/-	—	—	53,000/-	—	—	—	700/-	
10.	November,58	6,158.52 N.P.	—	—	—	—	—	6,700/-	1,200/-	
11.	December,1958	8,452. 73 N.P.	—	—	—	—	—	4,100/-	1,100/-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	January, 59	9,246. 08 N.P:	—	—	2,529. 09/-		—	1,600/-	—	
13.	Feb. 59	9,488. 00	—	—	—	—	—	—	1,100/-	
14.	March, 58	19,[illegible]39. 81	12.000/-	—	8,703.23	2,030	1,900/-	1,500	600/-	
	Total	[illegible],41. 14	12,000/-	53000/-	16,982.32	2,030	1,900	18,900	7,900/-	
					Year 1959-60					
15.	April, 58	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	May, 59	4.4[illegible]8/-	—	—	—	—	—	—	—	
17.	June, 59	11,804 68	4,635/-	—	—	—	—	—	—	
18.	July, 59	15,018.00	—	—	—	—	—	—	—	
19.	August, 59 upto 13.8 59	4 539.00	—	—	6,250/-	—	—	—	—	
	Total upto 13.8 59	35,838.36	4635/-	—	6,250/-	—	—	—	—	
	G. Total upto 13 8.59	1,[illegible]6146 82	16,635/-	53,000/-	23,232.32	2,030/-	1,900/-	23,100/-	7,900/-	

परिशिष्ट ८

[प्रश्न काल में समयाभाव के कारण न पूछे जा सकने वाले प्रश्नोत्तर]

सरकारी दवाखानों में अधिकतर बाहर से मोल लेने वाली दवाओं का लिखकर दिया जाना

४८५. श्री ज्ञानचन्द मोदी (नीम का थाना) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि सरकारी दवाखानों में रोगियों को दवा लिख कर देना जो कि उनको बाहर से लानी है, एक आम बात हो गई है ?

(२) यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर—

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मद्य-निषेध

४८६. श्री रामचन्द्र (डग-सु.) : क्या आबकारी मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) मद्य-निषेध के लिये कौन कौन से दिन शुष्क दिवस माने गये हैं ?

(२) क्या एक्साइज अधिकारी कभी यह जांच करने का कष्ट करते हैं कि इन दिनों में शराब नहीं बेची जाती है ? यदि हां, तो झालावाड़ जिले में किस अधिकारी ने गत वर्ष अर्थात् १९५८-५९ में कब कब जाँच की और उसका क्या परिणाम निकला ?

उत्तर—

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) हां। ऐसी (जब दुकानें बन्द हैं) जांच का कोई रेकार्ड नहीं रखा जाता, किन्तु झालावाड़ जिले में शुष्क दिनों में शराब बेचने का कोई केस नहीं पकड़ा गया।

[कृपया परिशिष्ट ९ देखिये]

अजमेर, ब्यावर, नसीराबाद आदि के सरकारी अस्पतालों में नियुक्त हरिजन कर्मचारी

४८७. श्री हजारीलाल बाकोलिया (केकड़ी-सु.) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) अजमेर, ब्यावर, नसीराबाद व केकड़ी के सरकारी अस्पतालों में हरिजन कर्मचारी कितने हैं तथा ये लोग कितने कितने अर्से से सर्विस कर रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि यह सब टेम्पोरेरी हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर—

(१) ५४ हरिजन कर्मचारी अजमेर, ब्यावर व केकड़ी अस्पताल में कार्य कर रहे हैं। नसीराबाद का अस्पताल चिकित्सा विभाग के अधीन नहीं है। हरिजनों के नाम व सर्विस का ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(२) जी हाँ। पहले वेतन कन्टिन्जेन्सी से दिया जाता था। अब राज्य सरकार ने १९६१ तक के लिये इनको टेम्पोरेरी पोस्ट्स में परिवर्तन कर दिया है। जब यह पोस्ट पर्मानेन्ट हो जायेंगी तो जो रेगुलर पोस्ट पर काम कर रहे हैं उनको पर्मानेन्ट कर दिया जावेगा।

[कृपया परिशिष्ट १० देखिए]

स्याही तथा दवातों की सप्लाई

४८८. श्री तेजमल बापना (बनेड़ा) : Will the Minister for Printing & Stationery Department be pleased to state:

1. Whether any tenders were invited for the supply of ink and inkpots this year ?

2. Whether the samples were also examined by some officer ? If so, by whom ?

3. Is it true that inkpots supplied to Collectorate, Bhilwara are not of the approved type ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

किशनगढ़ सब-डिविजन के कृषकों से लगान की वसूली

४८९. श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि किशनगढ़ सब डिविजन में कृषकों को सैटलमेंट के वक्त भूमि के लगान के साथ साथ सरकारी तालाबों से पानी पिलाई का लगान भी जोड़ कर पर्चे वितरत किये गये और उसी के अनुसार अब तक उनसे लगान वसूल होता रहा है ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि सरकार द्वारा इस साल सिंचाई की रकम अलग वसूल करने के आदेश पटवारियों को दिए गये हैं।

(३) अगर हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) नये आदेश नहीं हुए।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

पंचायतों के हिसाब का ऑडिट (जिला झालावाड़)

४६०, **श्री रामचन्द्र** (डग-सु.) : क्या स्वायत शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) जिला झालावाड़ में पंचायतों के हिसाबात का ऑडिट करने का क्या प्रबन्ध है ?

(२) ऑडिट कितने वर्ष में किया जाता है ? अब तक कुल कितने गबन संबंधी मामले पकड़े गये और कितनों को सजा दिलाई गई ?

(३) तहसील झालरापाटन की पंचायतों से हिसाबात का ऑडिट पिछली बार कब किया गया था ?

उत्तर

(१) लोकल फन्ड ऑडिट विभाग द्वारा तहसील पंचायत के हैडक्वार्टर पर उनके अधीन समस्त ग्राम पंचायतों के हिसाबात की जांच की जाती है। जांच करने की सूचना पूर्व से ही तहसील पंचायत को व्यवस्था हेतु दे दी जाती है।

(२) ऑडिट साधारणतः प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर करने का प्रयत्न किया जाता है।

जिला झालावाड़ में छत्रपुर एवं मन्डावर पंचायत में गबन पाया गया। सजा अभी तक किसी को नहीं हुई।

(३) दिनांक १-८-५८ से ६-८-५८ तक

स्थगित प्रश्न

सूरतगढ़ में सन् १९५७-५८ में एक साला जमीन का अलॉटमेंट

६६. **श्री गिरधारीलाल** : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सन् १९५७-५८ में सूरतगढ़ में एकशाला जमीन किन किन व्यक्तियों को कितनी कितनी अलॉट की गई।

(२) क्या यह सही है कि एकसाला जमीन हरिजनों को बहुत कम अलॉट की गई ? अगर हाँ, तो क्यों, और क्या सरकार इनकी इनक्वायरी कराने का इरादा रखती है ?

उत्तर—

(१) भाखरा योजना के अन्तर्गत सन् १९५७-५८ में तहसील सूरतगढ़ में आरजी काश्त पर २३६४ व्यक्तियों को ४५६३८ बीघे भूमि अलॉट की गई।

(२) जी नहीं। २३६४ व्यक्तियों में से ६८१ हरिजन थे। हरिजनों को १२८२२ बीघे भूमि अलॉट की गई है। शेष १६८३ व्यक्तियों को ३२८२६ बीघे भूमि अलॉट की गई हैं। कोई भी हरिजन अधिकारी काश्तकार जिसने आरजी काश्त पर जमीन लेने की दरख्वास्त दी, जमीन से वंचित नहीं रखा गया।

राजस्थान केनाल क्षेत्र में टैक्स मालिकाना का लगाया जाना

२३१. **श्री भीमसेन** (लूनकरणसर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राजस्थान कैनाल के क्षेत्र में आने वाले गांवों के किसानों पर टैक्स मलिकाना लगाया गया है ?

(ख) यदि हां, तो वह कहां कहां, किस किस तहसील में, किस शरह से लगाया गया है ?

(ग) टैक्स मालिकाना की व्याख्या क्या है ?

(घ) क्या अन्य सिंचाई योजनाओं में भी ऐसा टैक्स लगाया है ?

उत्तर

(क) टेम्प्रेरी कल्टीवेशन कन्डीशन, १९५५ की संशोधित शर्त ६ के अनुसार जो अधिकृत सरकारी भूमि अस्थाई कृषि अर्थात आरजी काश्त पर योजना क्षेत्र में आवंटन की जावेगी उसमें सिंचित होने की दशा में ४) रुपया प्रतिबीघा और असिंचित होने की दशा में १) प्रतिबीघा ठेके की रकम ली जावेगी। इस ठेके की रकम को ही आम बोल चाल की भाषा में मालकाना कहते हैं।

(ख) ये ठेके की रकम उपरोक्त शहर से सारे ही राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में लेनी वाजिब होती है। इस योजना क्षेत्र में जिन जिन तहसीलों के गाँव आते हैं उनके नाम निम्नलिखित हैं :—

(१) हनुमानगढ़

(२) सूरतगढ़

(३) रायसिंहनगर

(४) अनूपगढ़

(५) नोहर

(६) लूनकरणसर
(७) बीकानेर
(८) मगा
(९) नाचना
(१०) जैसलमेर
(११) रामगढ़

(ग) मालकाना के नाम से कोई टैक्स नही लगाया गया है और न ही उसकी कोई व्याख्या लीज कन्डीशन्स में दी गई है। ये दूसरी बात है कि ठेके की रकम को ही लोग मालकाना कहते हैं।

(घ) जी हां।

डाइरेक्टर, कॉलोनाईजेशन, हनुमानगढ़ द्वारा सरकारी जीप में की गई जयपुर की यात्राऐं

२७१. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) डाइरेक्टर, कॉलोनाइजेशन, हनुमानगढ़ ने सन् १९५८-५९ में कितनी दफे सरकारी जीप द्वारा जयपुर की यात्राएं की ?

(ख) क्या वे रेलमार्ग के होते हुये भी हनुमानगढ़ से जयपुर तक सरकारी नियमों के मुताबिक सरकारी जीप द्वारा यात्रा करने के अधिकारी हैं ?

उत्तर—

(क) डाईरेक्टर, कॉलोनाईजेशन, हनुमानगढ़ ने सन् १९५८-५९ में दो बार जीप द्वारा जयपुर की यात्रा की।

(ख) विशेष परिस्थितियों में इस प्रकार की यात्रा की जा सकती हैं।

———

परिशिष्ट ६

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४८६ का उत्तर देखिए]

List of Dry days.

1. Republic day.
2. Independance Day.
3. Harijan day.
4. Mahavir Jayanti.
5. Budh Purnima.
6. Guru Nanak's Birth-day.
7. Birth day of Prophet.
8. Krishana Janmashtami
9. Mahatma Gandhi's Birthday.

परिशिष्ट १०

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४८७ का उत्तर देखिए]

List showing the names of Harijans (Sweepers) in Government Hospitals, Ajmer, Beawar and Kekri

S. No.	Name	Date of Apptt.	Service on 1-11-56. Yrs.	Mths.	Days
1.	Shri Babu	8—12—49	6	10	24
2.	„ Bhagu	10—10—50	6	0	22
3.	„ Chittar	1—11—46	10	0	0
4.	„ Gopal	1—11—46	10	0	0
5.	„ Kana	1—11—46	10	0	0
6.	„ Pyara	1— 3—50	6	8	0
7.	„ Ramdayal	17—10—50	6	0	15
8.	„ Sultan	20— 8—48	8	2	12
9.	„ Naina	10—10—54	2	0	22
10.	„ Mohan	29— 7—51	5	3	3
11.	„ Ramdhan	20— 3—51	5	7	12
12.	„ Bhanwarilal	9— 2—54	2	8	23
13.	„ Madan	12— 1—54	2	9	20
14.	„ Dalchand	7— 2—54	2	8	25
15.	Smt. Rampyari	28—12—54	1	10	4
16.	Shri Rampal	11— 3—50	6	7	21
17.	Smt. Annu	19—11—54	1	11	13
18.	„ Kesri	21—11—54	1	11	11
19.	„ Jumna	6— 1—56	0	9	26

1	2	3	4	5	6
20.	Shri Gopal	6— 1—56	0	9	26
21.	„ Ramchandra	6— 1—56	0	9	26
22.	Smt. Munni	6— 6—56	0	4	26
23.	„ Kiran	6— 1—56	0	9	25
24.	„ Tara	6— 1—56	0	9	26
25.	Shri Babulal	26— 8—56	0	2	6
26.	„ Rama	31—10—56	0	0	1
27.	„ Pyarelal	31—10—56	0	0	1
28.	„ Laxman	31—10—56	0	0	1
29.	„ Ramprasad	31—10—56	0	0	1
30.	„ Bhanwarilal	31—10—56	0	0	1
31.	Smt. Jasoda	31—10—56	0	0	1
32.	„ Bhanwar	31—10—56	0	0	1
33.	„ Munni	31—10—56	0	0	1
34.	„ Jadaw	28— 7—51	5	3	4
35.	„ Soni	7— 6—52	4	4	25
36.	„ Kesar	28— 7—51	5	3	4
37.	„ Rama	11—10—53	3	0	21
38.	„ Chhoti	16— 9—55	1	1	16
39.	„ Gulabi	18—10—55	1	0	14
40.	„ Badami	24—10—56	0	0	8
41.	Shri Madan	1— 2—53	3	9	0
42.	„ Haldar	20— 8—53	3	2	12

1	2	3	4	5	6
43.	„ Phoolchand	13— 5—51	5	5	19
44.	Smt. Gyarsibai	1— 2—53	3	9	0
45.	„ Pyaribai	22— 7—53	3	3	10
46.	Shri Ramcharan	12— 9—53	3	1	20
47.	„ Jagdish	1—11—54	2	0	0
48.	„ Ram Parsad	1— 7—55	1	4	0
49.	„ Lal Chand	1— 7—55	1	4	0
50.	„ Sugan Chand	1— 7—55	1	4	0
51.	Smt. Naini	18—10—55	1	0	14
52.	„ Rampyari	18—11—55	0	11	14
53.	Shri Nimura	9— 2—50	6	8	23
54.	Smt. Kaoli	1— 3—53	3	8	0

शुद्धि-पत्र

(कार्य विवरण दिनांक २९ अगस्त, १९५९)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
२९९९	२१	श्री भीमाभाई	श्री भीखाभाई
३००१	१३	सड़े सात	साढ़ेसात
३००३	१०	अपने	आपने
३००४	६	श्री दामोदरलास	श्री दामोदरलाल व्यास
,,	८	any	and
,,	१०	छावड़ा	(छबड़ा)
,,	अन्तिम से५	श्री दमोदरलाल व्यास	श्री दामोदरलाल व्यास
३००५	अन्तिम से५	Pustion	question
३००६	२२	नहीं	नहीं
,,	अन्तिम से३	सही है नही	सही नहीं है
३०१०	३	श्री उपायत्त	श्री उपाध्यत्त
३०११	६	किये था	किया था
,,	१८	ग्रुप्र वालो	ग्रुपवालों
३०१२	८	श्री दयाकृप्ण विजय	श्री दयाकृष्ण विजय
३०१६	१८	बनीपाक	बनीपार्क
,,	अन्तिम	कासिल	कौंसिल
३०१७	१	दरख्वास्त	दर्ख्वास्त
,,	अन्तिम से२	आथिक	आर्थिक
३०१८	८	कर्यवाही	कार्यवाही

१	२	३	४
३०२१	६	hat	that
,,	अन्तिम	(२)	(३)
३०२२	१	(३)	(४)
३०२३	१२	४३६	४६६
३०२७	२	areeprepared	are prepared
३०३०	११	thingh	thingh
,,	अन्तिम	hrere	there
३०३१	अन्तिम से५	अनजन	अनजान
३०३४	१२	रक्स्टिर्ड	रजिस्टड
३०३६	६	नोि	नोटिस
३०४२	१६	श्री दामदोरलाल व्यास	श्री दामोदरलाल व्यास
३०४३	१८	wanated	wanted
,,	अन्तिम से३	४७४	४७५
३०४४	अन्तिम से२	४४६	४७६
३०४६	अन्तिम से५	४५८	४७८
३०४६	१३	यदि ही	यदि हां
३०५१	१०	कायवाही	कार्यवाही
३०५२	अन्तिम से२	Jhalwa	Jhalawar
३०५५	अन्तिम से१२	वकाई	बाकई
,,	अन्तिम से४	मेज	मेज

१	२	३	४
३०६४	१३	pustion	question
३०६६	अन्तिम से२	leve	leave
३०७०	११	श्री दयाकृष्ण	श्री दयाकृष्ण
३०८०	५	befor	before
३०८२	अन्तिम से७	to u	to us.
३०८३	१६	puestion	question
,,	अन्तिम	logicac onclusion	logical conclusion
३०८७	२४	devolcp	develop
३१०२	१२	अपन	आपने
,,	२०	mamber	member
३११६	२१	abot	about
३१३०	प्रथम	(श्री श्री मानसिंह)	(श्री श्रीमानसिंह)
,,	६	श्री युगलकिशोर	श्री जुगलकिशोर
३१५५	४	श्री ज्वालाप्रसाद (नसीराबाद)	विलोपित समझिये
३१५६	८	मानें मैं कि	मांने में कि
३१६४	अन्तिम	अ	अति
३१६५	अन्तिम	सत-हब	साहब
३१६६	शीर्षक	२७ अगस्त	२६ अगस्त
३१७५	२	इसलिये में	इसलिये मैं
३१७८	प्रथम	(श्री सम्पतराम जैन)	(श्री सम्पतराम जैन)

१	२	३	४
३१८०	प्रथम	(श्री सम्पतराम जैन)	(श्री सम्पतराम जैन)
३१६८	१६	थोट	थोट
३२०४	शीर्षक	२८ अगस्त	२६ अगस्त
३२१३	८	श्री सम्पतराम जैन	श्री सम्पतराज जैन